डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

वार्षिक प्रतिवेदन
2017-2018

'परीक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम के दौरान प्रधान मंत्री को सुनते हुए छात्र

जीसीसीएस 2017, 23 नवंबर, 2017 को उमंग का शुभारंभ

साइबर स्पेस 2017 पर वैश्विक सम्मेलन

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

वार्षिक प्रतिवेदन
2017–2018

अनुक्रमणिका

कॉर्पोरेट विवरण	--	पृष्ठ 03
प्राक्कथन	--	पृष्ठ 06
निदेशक प्रतिवेदन	--	पृष्ठ 07
लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	--	पृष्ठ 48
वित्तीय स्थिति विवरण	--	पृष्ठ 57
आय एवं व्यय विवरण	--	पृष्ठ 58
टिप्पणियाँ	--	पृष्ठ 60
स्वचलित वित्तीय विवरण		
राष्ट्रीय–ई–शासन विभाग (NeGD) (डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का विभाग)	--	पृष्ठ 79
माईगोव (डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का विभाग)	--	पृष्ठ 94
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग)	--	पृष्ठ 107
परियोजना 'सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)'	--	पृष्ठ 124
परियोजना 'इलेक्ट्रॉनिकी और आई टी – के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना'	--	पृष्ठ 139

कॉर्पोरेट विवरण

निदेशक मंडल

अध्यक्ष

श्री रवि शंकर प्रसाद (पदेन)
माननीय विधि एवं न्याय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, भारत सरकार

उपाध्यक्ष

श्री एस.एस. अहलूवालिया (पदेन)
माननीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार, 16 मई, 2018 से

श्री एलफांस कन्ननथानम आई.ए.एस (पदेन)
माननीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, 15 मई 2018 तक

निदेशक

श्री अजय प्रकाश साहनी आई.ए.एस (पदेन)
सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 23 जून, 2017 से

सुश्री अनुराधा मित्रा
अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार,
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 20 सितंबर 2018 तक

श्री किरण कार्णिक
पूर्व अध्यक्ष, नासकॉम (NASSCOM)

डॉ० सौरभ श्रीवास्तव
संस्थापक, इंडियन एन्जिल नेटवर्क

सुश्री नीता वर्मा
सीईओ, माईगोव, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, 6 फरवरी 2018 तक

श्री अरविंद गुप्ता
सीईओ, माईगोव, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, 12 फरवरी 2018 से

श्री संजीव गुप्ता आई.ए.एस
प्रबंध निदेशक और सीईओ, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, 27 फरवरी 2018 तक

श्री संजय कुमार राकेश, आई.ए.एस.
संयुक्त सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय,
तथा प्रबंध निदेशक और सीईओ, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन 6 मार्च, 2018 से 12 सितंबर, 2018 तक

श्री एम, एस, राव, आई.ए.एस.
अध्यक्ष और सीईओ, राष्ट्रीय–ई–शासन विभाग तथा
प्रबंध निदेशक और सीईओ, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, 19 सितंबर, 2018 से

वरिष्ठ कार्यकारी

अनुसंधान एवं विकास

प्रो. नरेन्द्र आहूजा, निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी
श्री वी.के. भाटिया, वरिष्ठ निदेशक (अनुसंधान), डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
श्री विनय ठाकुर, निदेशक, परियोजना विकास, NeGD
श्री भवानी प्रसाद येरापल्ली, अनुसंधान निदेशक, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

वित्त एवं प्रशासन

श्री जॉर्ज अराकल, निदेशक (प्रशासन एवं वित्त), डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
श्री नीरज कुमार, निदेशक, परियोजना मूल्यांकन और वित्त, NeGD
श्री के.पी. शिवदास, मुख्य प्रबंधक (वित्त), डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

लेखा परीक्षक
ए. पी. संजगिरि एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, मुंबई–400055

पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय :

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
समृद्धि वेन्चर पार्क, चतुर्थ तल, सेंट्रल एमआईडीसी रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र, – 400093
CIN : U72900MH2001NPL133410
फोन : (022) 28312931 / 28327505
फैक्स : (022) 28379158
www.digitalindiacorporation.in

अनुसंधान केन्द्रः

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन – प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग (TDDD)
708–723, सातवां तल, देविका टॉवर, 6 नेहरू प्लेस, नई दिल्ली – 110019

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन - राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)
चतुर्थ तल, ईलेक्ट्रानिक्स निकेतन, 6, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
www.negd.gov.in

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन – माईगोव
कमरा नंबर 3015, तृतीय तल, ईलेक्ट्रानिक्स निकेतन, 6, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
www.mygov.in

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन – सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)
ब्लॉक 4, द्वितीय तल, सीडॉट कैंपस, छत्तरपुर, महरौली, नई दिल्ली – 110030
www.itra.medialabasia.in

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन – इलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना
कमरा नंबर 2084, द्वितीय तल, ईलेक्ट्रानिक्स निकेतन,
6 सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110003
www.phd.medialabasia.in

प्राक्कथन

वर्ष 2017–18 के लिए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (डीआईसी) की इस 17वीं वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना मेरे लिए गर्व का अनुभव है। कंपनी जमीनी स्तर पर आम और जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), अन्य संबद्ध विषयों और उभरते ज्ञान क्षेत्रों के लाभों को पहुँचाने के लिए समर्पित है। इस प्रयास में, कंपनी भारत के सभी भागों विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में नवाचारों और अनुसंधान के लाभों के पहुँचाने के लिए अन्य सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों के साथ सहयोग करती है। यह लोगों के लिए स्थायी और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त समाधानों को संवारती और कार्यान्वित करती है।

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की डिजिटल इंडिया योजना को लागू करने के लिए कार्यक्रम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, जागरूकता, संचार और क्षमता निर्माण समर्थन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

वर्ष के दौरान NeGD ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आगे बढ़ाने के लिए राज्य ई–शासन मिशन टीमों (SeMT) और प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से क्षमता निर्माण (CB) योजना को जारी रखा। तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के अनुसार, योजना अभीष्ट प्रभाव डालने में सफल रही और डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए इसे जारी रखने की आवश्यकता है।

डिजीलॉकर एक ऐसी सेवा है जो नागरिकों को क्लाउड पर डिजिटल रूप में दस्तावेजों को संग्रहीत करने में सक्षम बनाती है। यह भौतिक दस्तावेजों को साथ रखने की आवश्यकता में कमी करता है, और सरकार की डिजिटल इंडिया पहल का एक हिस्सा है। 31 मार्च 2018 तक, इसमें 50 से अधिक संगठनों के 240 करोड़ से अधिक प्रामाणिक डिजिटल दस्तावेजों का भंडार था। यह एक प्रमुख दस्तावेज सत्यापन मंच के रूप में कार्य कर सकता है और इसमें राष्ट्रीय डेटा विनिमय मंच के रुप में विकसित होने की क्षमता है।

उमंग(यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस) का साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन (GCCS) के दौरान 23 नवंबर 2017 को माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुभारंभ किया गया। इसने फरवरी 2018 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात मे ं आयोजित 6वें विश्व सरकारी शिखर सम्मलेन के दौरान ''बेस्ट एम गवर्नमेटं सर्विस'' का पुरस्कार जीता। 31 मार्च 2018 तक, केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की 207 सेवाएं उमंग पर उपलब्ध थीं। ऐप को 52 लाख से अधिक बार इंस्टॉल किया गया और गूगल प्ले स्टोर पर इसकी औसत रेटिंग 4.45 रही। उमंग मंच पर 2.14 करोड़ से अधिक लेनदेन निष्पादित किए गए।

NeGD ने नई दिल्ली में 23 – 24 नवंबर 2017 को 5वें GCCS का आयोजन किया। GCCS 2017 का थीम 'साइबर 4ऑलः सतत विकास के लिए एक सुरक्षित और समावेशी साइबर स्पेस' था। आयोजन में 132 देशों ने भाग लिया। एक डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की दृढ़ता मजबूती से स्थापित हुई और इतने बड़े सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन के साथ, भारत वैश्विक चौंपियन के रूप में उभरा।

माईगोव भारत के सामाजिक और आर्थिक बदलाव में योगदान देने के महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ विचारों एवं दृष्टिकोणों के स्वस्थ आदान–प्रदान के लिए एक ऑनलाइन मंच का इस्तेमाल करके आम आदमी को सरकार के करीब लाने के लिए एक शासन सहभागी पहल हैं। वर्ष के दौरान, माईगोव ने स्मार्ट सिटी, स्पेक्ट्रम की नीलामी, मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी विनियम, प्रधान मंत्री स्वतंत्रता दिवस भाषण आदि जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की मेजबानी की। माईगोव ने नागरिकों को विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों और नीतियां के लिए प्रतीक / डिजाइन / टैगलाइन के रूप में अपनी रचनात्मकता को साझा करने के लिए मंच भी प्रदान किया। माईगोव ने हैकाथॉन और नवाचार चुनौती में नागरिकों को भी शामिल किया। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 में 20000 से अधिक लोगों की भागीदारी देखी गई। माईगोव ने प्रधान मंत्री के मासिक मन की बात एपिसोड के लिए हजारों सुझावों को भी इकट्ठा किया। माईगोव ने छात्रो को 'परिक्षा पे चर्चा' कार्यक्रम में प्रधान मत्री को सुनने का अवसर प्रदान किया।

वर्ष के दौरान कंपनी के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है कि मेघालय राज्य में लागू की गई मोबाइल आधारित कृषि–सलाह प्रणाली को राज्य सरकार को '1917iteams' के बैनर तले पूरे राज्य में 40,000 किसानों (अंततः लक्ष्य 200,000 किसानों तक पहुंचना है) तक सेवाओं का विस्तार करने के लिए सुपुर्द कर दिया गया है। कंपनी 2 अन्य राज्यों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से स्थानीय भाषाओं में परामर्श की सहूलियत देने के लिए इसी तरह की प्रणाली चला रही है। प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय मोबाइल गवर्नेंस पहल के तहत पुश आधारित '

पाठ और ध्वनि' संदेश सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है। प्रणाली के दो मोबाइल ऐप, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उमंग मंच के अंर्तगत आरंभ भी किए गए हैं।

कंपनी ने प्रौद्योगिकियों के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए अपने दो आईसीटी आधारित संसाधन केंद्रों उत्तर प्रदेश के लल्लापुरा, वाराणसी और बिठूर, कानपुर की सेवाओं को बरकरार रखा है। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सहयोग से बसनी, वाराणसी के लिए एक और केंद्र शुरू किया गया है। बुनकरों के लिए कंप्यूटर एडेड डिजाइन (सीएडी) साधन (डिजीबुनाई™) पर उपयोगकर्ताओं समूहों के साथ दो कार्यशालाएँ आयोजित हुई। कार्यशालाओं में उपयोगकर्ताओं द्वारा दिखाई गई रुचि उत्साहजनक थी और उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के अनुसार उपकरण की वृद्धी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

वर्ष 2017–18 के दौरान, सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA) की मोबाइल (मोबाइल कम्प्यूटिंग, नेटवर्किंग और अनुप्रयोग) और जल (जल संसाधन स्थिरता में आईटी आधारित नवाचार) के क्षेत्र में परियोजनाओं में विकसित और व्यवसायीकरण में सक्षम 16 अवधारणा प्रमाण (PoC) प्रोटोटाइप और प्रौद्योगिकियों के हस्तांतरण (ToT) और सूचना प्रसार के लिए कदम उठाए गए। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना आईटी, आईटी सक्षम सेवा (ITES) और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) में पीएचडी अनुसंधान विद्वानों का समर्थन करती है। वर्ष के दौरान पीएचडी करने वाले इन विद्वानों के शोध कार्यों का मूल्यांकन किया गया।

कंपनी के ये प्रयास डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के दृष्टिकोण और उद्देश्यों को साकार करने के लिए लक्ष्यबध्द है। कंपनी न केवल ग्रामीण और शहरी बस्तियों की सामाजिक, जातीय और आर्थिक जरूरतों के अनुसार आईसीटी आधारित समाधानों को लागू कर रही है, अपितु आबादी का तकनीकी कौशल बढ़ाने पर भी कार्य कर रही है।

जैसा कि मैं वर्ष में डीआईसी की उपलब्धियों पर प्रकाश डालता हूं, मैं, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं अध्यक्ष, निदेशक मंडल; माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री एवं उपाध्यक्ष, निदेशक मंडल;निदेशक और डीआईसी के सदस्य; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय; शिक्षा, उद्योग, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के विभिन्न सहयोगी और हितधारका से मिले उत्कृष्ट सहयोग और मार्गदर्शन के लिए विशेष तौर पर आभार प्रकट करता हूँ। मैं सभी को धन्यवाद करता हूं और प्रौद्योगिकियों के माध्यम से समाज को सशक्त बनाने में नए उत्साह से कार्य करते रहने की प्रतिज्ञा करता हूं।

एम. एस. राव आई.ए.एस

प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी

निदेशक प्रतिवेदन

निदेशक प्रतिवेदन

निदेशक मंडल को 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) के अंकेक्षित लेखा विवरणों के साथ 16वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक हर्ष हो रहा है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष हेतु वित्तीय परिणाम रु. (करोड़ में)

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
आय	**217.89**	**279.31**
अनुसंधान/विकास व्यय	140.44	129.97
अन्य व्यय	77.45	149.34
कुल व्यय	**217.89**	**279.31**

कंपनी का प्रदर्शन

1. पृष्ठभूमि

डिजिटल इंडिया **कॉर्पोरेशन** (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) भारत सरकार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा स्थापित एक 'लाभ–निरपेक्ष' कंपनी है। कंपनी भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाली और ई–हेल्थ / टेली मेडिसिन, ई–कृषि, ई–पेमेंट्स आदि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने में शामिल है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम बढ़ती नकदहीन अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और संबंधित प्रसंगों को बढ़ावा देता है और इसकी व्यापक स्वीकृति में आने वाली चुनोतियों को बताता हैं। यह डिजिटल पहल के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए नवाचार और विकसित मॉडल को बढ़ावा देता है और सोशल मीडिया सहित विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से सरकार में शासन और नागरिक भागीदारी को बढ़ावा देता है।

2017 - 2018 के दौरान उपलब्धियां

2. प्रौद्योगिकी विकास एंव परिनियोजन विभाग

2.1 वाराणसी के लल्लापुरा क्राफ्ट क्लस्टर में महिला सशक्तिकरण के लिए आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम

केंद्र में प्रशिक्षण सत्र

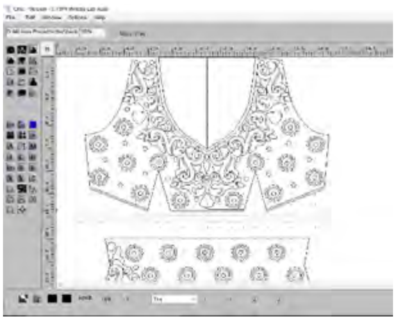

चिकTM से बनाया गया डिजिटल डिजाइन

केंद्र की यात्रा पर जिला परिवीक्षा अधिकारी

कपड़े पर डिजाइन

तैयार उत्पाद केंद्र में दिखाए गए

बेल्जियम से समाजवादी कार्यकर्ता 'अन्ना मारिया डी विट्टे' की केंद्र यात्रा

परियोजना के दूसरे चरण को MeitY (जनता के लिए आईटी योजना के तहत) के समर्थन से क्लस्टर में महिलाओं/लड़कियों के कौशल सुधार, आजीविका बढ़ाने और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के लिए लागू किया जा रहा है। इस परियोजना के अन्तर्गत वाराणसी, उत्तर प्रदेश के लल्लापुरा क्राफ्ट क्लस्टर में कंप्यूटर एडेड डिजाइन (CAD) सॉफ्टवेयर, ई–कॉमर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग, उत्पादों की ब्रांड वैल्यू, खुदरा प्रबंधन और उद्यमिता विकास किया जाना है। अब तक इस परियोजना के तहत प्रदान किए गए प्रशिक्षण से 984 महिलाओं/लड़कियों को लाभ हुआ है।

- Chic ™ CAD (क्राफ्ट के लिए CAD टूल) - 185
- ई.कॉमर्स - 119
- उद्यम विकास कार्यक्रम (ईडीपी) - 100
- स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम - 580

वर्तमान चरण के तहत 3500 लड़कियों/महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य है। इसके अलावा, 23 जागरूकता भवन/संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और 240 खाका तैयार किए गए हैं।

2.2 कानपुर के बिठूर क्लस्टर में महिला सशक्तिकरण के लिए आईसीटी का उपयोग कर ज्ञान परिवर्तन के माध्यम से कौशल संवर्धन और स्वास्थ्य जागृति – बिठूर शक्ति

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (DIC), आधार (एक एनजीओ) के साथ और MeitY के सहयोग से, CAD सॉफ्टवेयर अर्थात् चिक™ CAD, उपकरण का उपयोग करते हुए कानपुर में बिठूर क्लस्टर की परीचित महिला कारीगरों (जरी और जरदोजी काम में कार्यरत) की कौशल, उत्पादकता और आजीविका बढ़ाने के लिए इस परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य बिठूर में और आसपास की किशोर लड़कियों और महिलाओं को स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका और सामाजिक सुरक्षा आदि मुद्दों पर जागरूकता और परामर्श प्रदान कर के सशक्त बनाना है।

डिजिटल डिजाइन बनाने के लिए कारीगर सॉफ्टवेयर सीखते हुए

कारीगरों को प्रशिक्षित करने के लिए एक परिसर किराए पर लिया गया है। केन्द्र में पूंजीगत उपकरणों की खरीद और उन्हें किर्यान्वित किया गया है। केंद्र की गतिविधियों पर निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल और अनुप्रयोग विकसित किया गया है। पोर्टल मे निम्न मॉड्यूल हैं उपयोगकर्ता निर्माण मॉड्यूल, पंजीकरण मॉड्यूल (कारीगरों, हेल्थकेयर और किशोरावस्था), दल निर्माण, छात्र आवंटन, छात्र अनुमोदन, कार्यशाला निर्माण और डैशबोर्ड्स – व्यवस्थापक आदि हैं। केंद्र पर पोर्टल और एप्लिकेशन में गतिविधियों और घटनाओं का विवरण शामिल होगा। इसके अतिरिक्त भाग लेने वाली महिलाओं और कारीगरों का विवरण भी दर्ज किया जाएगा।

महिलाओं के लिए स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम

किशोर लड़कियों के स्वास्थ्य और स्वच्छता के मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम

अब तक, डिजिटल डिजाइन बनाने के लिए Chic™ CAD पर 325 महिलाओं को 6 बैचों में प्रशिक्षित किया गया है। महिला प्रशिक्षुओं द्वारा 1800 से अधिक डिजाइन तैयार किए गए हैं। 670+ महिलाओं के लिए 8 स्वास्थ्य जागरूकता शिविर आयोजित

किए गए। स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जानकारी देने के लिए 8 जागरूकता शिविर आयोजित किए गए जिनमें 580+ किशोर लड़कियों ने भाग लिया।

2.3 डिजिबुनाई™ - "बनारसी साड़ी की बुनाई के लिए एक ओपन सोर्स CAD साधन"

डिजिबुनाई™ एक ओपन सोर्स CAD साधन है, जो डिजाइन तैयार करने, ग्राफ बनाने और जेकक्वार्ड कार्ड को छिद्रित करने के लिए बुनकरों को करघा लदाई से पहले की प्रक्रियाओं में मदद करता है। यह जैक्वार्ड और डॉबी बुनाई के लिए भारत में अपनी तरह का पहला ओपन सोर्स बहु भाषी सॉफ्टवेयर है, इसके माध्यम से प्रयोक्ता बनारसी साड़ी के लिए अनुकूलित डिजाइन के विभिन्न मापदंडों के प्रयोग द्वारा पूरी तरह से कपड़े (साड़ी) को देख सकते हैं। यह सॉफ्टवेयर (स्थानीय भाषा और स्थानीय डिजाइन की लाइब्रेरी में) अनुकूलन योग्य है और इसके द्वारा उपयोगकर्ता की पसंद के तृतीय पक्ष डिजाइन साधनों को भी एकीकृत किया जा सकता है। कार्ड छिद्रण सेवाएं बुनकरों को प्लेटफार्म पर सूचीबद्ध पंच कार्ड विक्रेताओं की सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करती हैं। यह सेवा डब्लूसीएस - दिल्ली (एनसीटीडी सहित), वस्त्र प्रौद्योगिकी विभाग, आईआईटी. दिल्ली और एमिटी स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के मार्गदर्शन में विकसित की गयी है।

साधन का डैशबोर्ड

प्राथमिक परीक्षण

विकास आयुक्त (DC) - हथकरघा (वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार) के कार्यालय से प्राप्त सहायता के साथ, वाराणसी में बुनकर सेवा केंद्र (WSC) और इसके 4 कॉमन फैसिलिटी सेंटर (CFC) में सुविधाओं और सेवाओं का पायलट परीक्षण किया जा रहा है। साधन के परीक्षण के लिए 8 कपड़े नमूने (कट वर्क, कढुआ, बूटीदार, जाल स्वरूप) और 50 डिजिटल डिजाइन तैयार किए गए हैं। नीचे कपड़ा बनाने के विभिन्न चरण दिए गए हैं

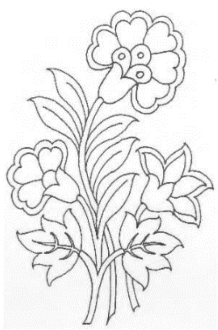

डिजाइन का स्केच

डिजाइन का ग्राफ

असल कपड़ा

वेब पोर्टल (bunai.medialabasia.in)

- डिजाइनरों को हमारे सीपीएस (कार्ड पंचिंग सर्विसेज) सुविधा के माध्यम से विभिन्न विक्रेताओं से कार्ड छिद्रण सेवाओं का लाभ उठाने के लिए
- उपयोगकर्ता द्वारा साझा किए गए डिजाइन और कपड़े (डिजिटल कपड़ा) को बढ़ावा देने के लिए
- विभिन्न सरकारी संसाधनों पर जानकारी प्रदान करने के लिए
- साधन के सबसे हाल के संस्करण को डाउनलोड करने के लिए

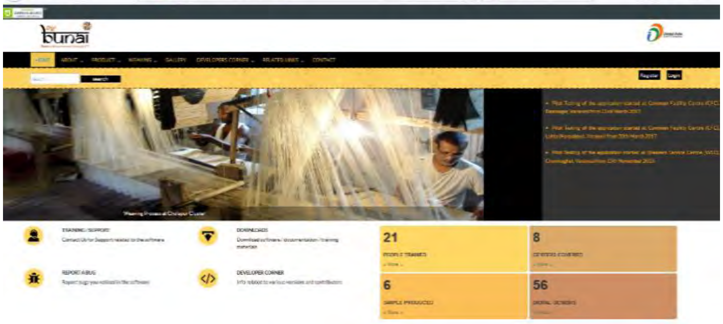

वेब पोर्टल (bunai.medialabasia.in)

i. डिजिबुनाई पर पहली उपयोगकर्ता समूह की कार्यशाला 6–7 नवंबर, 2017 को वाराणसी में आयोजित की गई। 90 से अधिक उपयोगकर्ता (बुनाई सेवा केंद्र डब्लूएससी, CFCs क्लस्टर्स, IIHT, NIFT और कम्युनिटी के विशेषज्ञ, युवा बुनकर/डिजाइनर और निफ्ट और आईआईएचटी के छात्रों) आदि ने कार्यशाला में भाग लिया। परिणाम बहुत उत्साहजनक थे उपयोगकर्ताओं ने इस साधन में अपनी रुचि दिखाई और अपने फीडबैक एवं सुझाव दिए।

ii द्वितीय उपयोगकर्ता कार्यशाला 22 दिसंबर 2017 को वाराणसी में बुनाई सेवा केंद्र, वाराणसी में आयोजित की गई थी, जो उपयोगकर्ताओं के फीडबैक/सुझावों को शामिल करने के बाद पहली उपयोगकर्ता कार्यशाला का अनुवर्ती था। सॉफ्टवेयर की प्रयोज्यता को उपयोगकर्ताओं द्वारा संतोषजनक पाया गया। उन्होंने इस साधन को कई अनूठी विशेषताओं से युक्त पाया, जो कि अन्य वाणिज्यिक उपकरणों में उपलब्ध नहीं हैं जैसे कि:

- स्थानीय भाषा में उपयोगकर्ता इंटरफेस
- स्थानीय रंग कैटलॉग
- विशिष्ठ स्थान की बुनाई और डिजाइन से सम्बंधित लाइब्रेरी
- डिजाइनर के लिए खेल क्षेत्र के रूप में गारमेंट व्यूअर
- डिजाइनों के कस्टम ग्राफ (पृथक रंग, आरोपित किये गए)
- केंद्रीय सर्वर के साथ weave, डिजाइन और कपड़े का सिंक्रनाइजेशन

वाराणसी में पहले उपयोगकर्ता के कार्यशाला में विशेषज्ञ और उपयोगकर्ता

डब्लूएससी, वाराणसी में डिजिबुनाई पर चर्चा

आगामी विकास:

उपयोगकर्ता कार्यशालाओं के दौरान, यह सुझाव दिया गया था कि अन्य जटिल बनारसी डिजाइनों (तंचोई, एकतार–तनचोई, जामावार) आदि के लिए इस साधन की कार्यक्षमता को और खंगाला जाना चाहिए। उपयोगकर्ता आधार बढ़ाने के लिए, उपयोगकर्ताओं ने कुछ उन्नत सुविधाओं को इस साधन में शामिल करने का सुझाव दिया है, जैसे कि डोबी डिजाइनों के लिए अतिरिक्त ताना और कपड़ा, जैक्वार्ड डिजाइन, मल्टी लेयर क्लॉथ, फैब्रिक सिमुलेशन और ड्रैपिंग के लिए अतिरिक्त ताना, मल्टी फॉर्म कारक उपकरण (टैबलेट/मोबाइल) सेवा। इन उन्नत सुविधाओं के अगले चरण में लिए जाने का प्रस्ताव है। एक परियोजना का प्रस्ताव MeitY को समर्थन की मांग के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), भदोई (यू.पी.) के साथ संयुक्त रूप से कालीन डिजाइनिंग के लिए इसी तरह के साधन का विकास किया जाएगा।

"विशिष्टता"

- भारतीय हथकरघा बुनाई क्षेत्र में स्थानीय भाषाओं, बुनाई, डिजाइन, कपड़े और रंग कैटलॉग के अनुसार विकसित किया गया
- कपड़ों के लेआउट के लिए प्ले–एरिया
- 3 स्तरीय डेटा सुरक्षा

2.4 बसनी, वाराणसी में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना

समानता सशक्तीकरण और विकास (SEED) विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार ने DIC को इस परियोजना के अंतर्गत 3 साल के लिए रूपये 49,75,061 प्रदान किए है। इस परियोजना का उद्देश्य बसनी, वाराणसी में निम्नलिखित प्रशिक्षण के माध्यम से महिला सशक्तिकरण करना है:

- वाराणसी शिल्प के लिए कढ़ाई डिजाइन प्रशिक्षण - Chic ™ CAD साधन: 550 महिला कारीगर
- स्वास्थ्य जागरूकता और प्रशिक्षण: 5000 लड़कियां/महिलाएं
- खुदरा प्रबंधन प्रशिक्षण: 375 लड़कियां/महिलाएं
- खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण: 750 लड़कियां/ महिलाएं

2.5 'अंतरक्रियात्मक सूचना प्रसार प्रणाली (IIDS)'

IIDS एक 'पुल और पुश' (खींचो और धकेलो) आधारित प्रणाली है जो वर्तमान में कृषि सलाह प्रदान करने के लिए उपयोग की जा रही है। यह स्मार्ट फोन एप्लिकेशन, इंटरैक्टिव वेब पोर्टल और इंटरएक्टिव आवाज प्रतिक्रिया प्रणाली (IVRS) का एक संयोजन है। सामने के अंत में एक मोबाइल इंटरफेस और बैक एंड पर वेब इंटरफेस है। डेटा को दोनों छोरों से आवाज, लेख, चित्र और वीडियो के माध्यम से (किसानों से विशेषज्ञ एवं विशेषज्ञ से वापिस किसानों को) प्रेषित किया जाता है।

कृषि विश्वविद्यालयों की पहुँच/विस्तार को बढ़ाने में IIDS एक उपयोगी साधन बन गया है। इससे किसान अपनी स्थानीय भाषाओं (वर्तमान में आंध्रप्रदेश और तेलंगाना में तेलुगू और मेघालय में खासी और गारो) में स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों के साथ सीधे बातचीत कर सकते हैं। IIDS का उपयोग करने वाले विशेषज्ञों को ज्ञान और किसान डेटाबेस के विवरण की पहुँच रहती है। यह उन्हें किसानों और उनके खेत की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझने हेतु सक्षम बनाता है - अपने किसान को जानिए (KYF)।

DIC ने IIDS को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय के तहत नेशनल मोबाइल गवर्नेंस इनिशिएटिव के अंतर्गत "धकेलो (push)" आधारित "लेख और आवाज" संदेश सेवाओं के साथ एकीकृत किया है, अब तक 2240 लेख संदेशों और 309 आवाज संदेशों को स्थानीय भाषाओं (तेलगु, खासी और गारो) में पंजीकृत किसानों को विभिन्न जरूरतों के आधार पर भेजा हैं।

AKPS और M4agriNE मोबाइल एप्स का विकास Meity के उमंग प्लेटफार्म के तहत किया गया है।

उमंग AKPS मोबाइल ऐप दिखाते हुए किसान

उमंग AKPS मोबाइल ऐप के माध्यम से कृषि विशेषज्ञों को भेजने के लिए अपनी फसल की तस्वीर लेता हुआ किसान

IIDS का परिनियोजन: वर्ष 2017–18 के दौरान IIDS के प्रतिपादन पर एक संक्षिप्त इस प्रकार है:

A. अन्नपूर्णा कृषि प्रसार सेवा (AKPS):

IIDS आंध्र प्रदेश (एपी) और तेलंगाना के 22 जिलों में आचार्य एन जी रंगा कृषि विश्वविद्यालय (ANGRAU) और प्रो. जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (PJTSAU) के साथ AKPS के रूप में प्रतिपादित है।

निदेशक ATARI, ICAR की अध्यक्षता में AKPS PRSG की समीक्षा बैठक

डॉ एन वेणुगोपालराव, ADR, RARS, अनाकपल्ले प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए

2017-18 के दौरान की गई प्रगति इस प्रकार है:

ANGRAU और PJTSAU, से अनुरोधों पर AKPS सेवाओं के लिए तकनीकी सहायता वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए जारी रही। अभी तक 5,747 नए किसानों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से AKPS की सेवाओं के लिए पंजीकृत किया गया है और पंजीकृत कुल किसानों की संख्या 36,840 तक पहुंच गई है। कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन पर किसानों से प्राप्त 4,530 प्रश्नों को टोल फ्री नंबर के माध्यम से विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों (केवीके)/जिला कृषि सलाहकार और प्रौद्योगिकी केंद्रों (DAATC) वैज्ञानिको/विशेषज्ञों द्वारा हल किया गया। 1712 लेख और 242 आवाज संदेशों को केवीके और डीएएटीसी द्वारा अपने संबंधित किसानों को 121.54 लाख एसएमएस और 3.57 लाख वॉयस कॉल्स का उपभोग करने हेतु भेजा गया। एक्स्टेंशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट (EEI),

राजेंद्रनगर, हैदराबाद में नई मीडिया टेक्नोलॉजिकल टूल के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान देश के विभिन्न हिस्सों से विस्तारित पेशेवरों के विस्तार के लिए सहायक निदेशक, PJTSAU और IIDS टीम ने IIDS मॉडल पेश किया।

B. उत्तर.पूर्व भारत के लिए मोबाइल आधारित कृषि सलाहकार प्रणाली (m4agriNEI)

DIC ने वर्ष 2012 में, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय (सीएयू), इम्फाल के साथ मेघालय में मोबाइल आधारित कृषि सलाहकार प्रणाली (m4agriNEI) परियोजना किसानों को सही समय पर सही जानकारी प्रदान कर सशक्त बनाने के उद्देश्य के साथ शुरू की। m4agriNEI के लिए उपयोग किया जा रहा सॉफ्टवेयर प्लेटफार्म IIDS है। दो मल्टीमीडिया कृषि - सलाहकार प्रयोगशालाएं, सीएयू के स्नातकोत्तर शिक्षा कॉलेज (सीपीजीएस) बारापानी, मेघालय और गृह विज्ञान कॉलेज (सीएचएससी), तुरा, मेघालय में, स्थानीय बोलियों - खासी और गारो में किसानों की पूछताछ को पूरा करने के लिए स्थापित की गईं।

1 जनवरी 2018 से, मेघालय सरकार ने पूरे राज्य में 40,000 किसानों (अंततः लक्ष्य 200 हजार किसानों तक पहुंचना है) तक सेवाओं का विस्तार करने के लिए '1917iteams' के बैनर तले m4agriNEI परियोजना पर कार्यभार संभाला

री.बोई के किसानों को अदरक पपड़ी का वितरण

2017-18 के दौरान, री – भोई, पूर्वी खासी पहाड़ियों, पश्चिम जयंतिया पहाड़ियों, पश्चिम खासी पहाड़ियों और गारो पहाड़ियों जिलों के 1455 नए किसानों को इस परियोजना के तहत पंजीकृत किया गया और इससे कुल पंजीकृत किसानों की संख्या 13126 तक पहुंच गई है। सीपीजीएस बारपानी और सीएचएससी तुरा में m4agriNEI प्रयोगशालाओं द्वारा किसानों के 3,594 प्रश्न हल किए गए।

"एक नजर में IIDS की पहुँच"
प्रभावित गांव : 6692
लाभार्थी : 48,000
भेजे गए संदेश : 19 मिलियन
प्राप्त प्रश्न : 40.000

परियोजना के तहत प्रदान की गयी सलाह के संबंध में 1500+ किसानों को परियोजना दल द्वारा उनके फीडबैक प्राप्त करने के लिए संपर्क किया गया। जरूरत के आधार पर 528 लेख और 67 आवाज संदेशों को अपने संबंधित किसानों को खासी और गारो बोलियों में 11.71 लाख एसएमएस और 1.21 लाख **मौख़िक** संदेश भेजे गए।

लड़कियां के सरकारी स्कूल, कोयनाधुबी, दालु ब्लॉक में 'खरीफ चावल की खेती के रोग और कीट प्रबंधन' पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 105 किसानों (91 महिलाओं सहित) ने भाग लिया। स्तर 1 और स्तर 2 विशेषज्ञों ने फसल क्षेत्रों, पशुपालन खेतों और अन्य लोगों की जांच के लिए 11 क्षेत्रीय दौरे किए।

1917iTEAMS के शुभारंभ पर मेघालय के मुख्यमंत्री के सम्मुख IIIDS

m4agriNEi को मेघालय सरकार के एकीकृत कार्यक्रम अर्थात् "1917iTEAMS - किसानों को बाजार से जोड़ना " के साथ एकीकृत किया गया है। मेघालय सरकार के कृषि विभाग ने DIC के IIDS 2.0.0 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए शिलांग में 45 सीटर्स कृषि रिस्पांस सेंटर (ARC) की स्थापना की है। मुंबई कार्यालय में स्थापित डीआईसी के मौजूदा संचार ढांचे का इस्तेमाल कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए किया जा रहा है। यह कार्यक्रम 29 दिसंबर, 2017 को मेघालय के मुख्यमंत्री द्वारा आरंभ किया गया।

2.6 "पुनर्भव" (www.punarbhava.in) - 'दिव्यांगजन' के लिए वेब पोर्टल

यह वेब पोर्टल विकलांग व्यक्ति (दिव्यांगजन), गैर सरकारी संगठनों, पेशेवरों, नीति निर्माताओं, छात्रों, माता - पिता, सामुदायिक कार्यकर्ता और विकलांगता के क्षेत्र में अन्य हितधारकों के लिए एक स्थान पर विभिन्न विकलांगता मुद्दों से संबंधित सभी सूचनाओं को प्रदान करता है। यह पोर्टल डब्लू3सी दिशा निर्देशों के मुताबिक सुलभ है। इसमें पहुंच के लिए फॉन्ट आकार परिवर्तन और रंग परिवर्तन विकल्प भी हैं। पोर्टल पर जानकारी अलग.अलग वर्गों जैसे विकलांगता रजिस्टर, कानूनी साधन, संसाधन, करियर, सहायक साधन, ब्लॉग, पहुंच सामग्री, नवीनतम समाचार, घटनाक्रम, रोजगार के अवसर, प्रकाशन, उपयोगी संसर्ग, राष्ट्रीय संस्थानों, और प्रतिक्रिया आदि के तहत अलग.अलग रूप से विद्यमान है। पोर्टल को नियमित रूप से अपडेट किया जाता है और साल के दौरान औसत दैनिक हिट लगभग 8000 से 12,000 तक बढ़ गया है।

2.7 "पुनर्जजनी™" (www.punarjjani.in) - मानसिक मंदता (MR) वाले बच्चों के मूल्यांकन में विशेष शिक्षकों की सहायता के लिए वेब आधारित द्विभाषी (हिंदी और अंग्रेजी) साधन

जयपुर में पुनर्जजनी™ पर प्रशिक्षण कार्यशाला

6 - 18 वर्ष आयु वर्ग के एमआर वाले बच्चों के नियमित आकलन के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले तीन मानक विधियों FACP (कार्यात्मक आकलन चेकलिस्ट प्रोग्रामिंगद्ध), BASIC-MR (मानसिक मंदता वाले भारतीय बच्चों के लिए व्यवहार आकलन स्केल), MDPS (मद्रास डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सिस्टम) को डिजिटल और एकीकृत किया गया है। यह साधन विशेष शिक्षकों को संरचित तरीके से बच्चों के आसान और त्वरित मूल्यांकन में मदद करता है और इस तरह उनका समय बचाता है। शिक्षक बच्चों के कौशल विकास में अधिक समय समर्पित कर सकते हैं।

देश भर में 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 150 शहरों/कस्बों से 501 विशेष विद्यालयों और 122 सर्व शिक्षा संस्थान (SSA) ब्लॉक का प्रतिनिधित्व करने वाले 846 विशेष शिक्षकों को साधन पर प्रशिक्षित किया गया है। हिंदी क्षेत्र में सभी राज्य शिक्षा सचिवों और समाज कल्याण सचिवों को अपने संबंधित राज्यों में इस साधन (हिंदी संस्करण) के परिनियोजन पर विचार करने के लिए निवेदन किया गया है। जयपुर, राजस्थान में विकलांगों के कल्याण के लिए निदेशालय, राजस्थान सरकार के समर्थन द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। प्रतिक्रिया के अनुसार उपकरण को और बेहतर बनाया जा रहा है।

2.8 हृदय दर परिवर्तनशीलता (CHRV) विश्लेषण के लिए केंद्रीय प्रणाली

इस परियोजना को ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (एम्स), नई दिल्ली के साथ मिलकर HRVA प्रौद्योगिकी को दूरदराज के स्थानों पर उपलब्ध कराने और HRVA उपकरण को और अधिक उन्नत तरीके से उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है ताकि डॉक्टरों, शोधकर्ताओंए स्वास्थ्य पेशेवरों, लोगों और समुदायों को उनकी विशिष्ट जरूरतों के लिए इस उपकरण तक आसान पहुंच प्रदान की जा सके।

सीएचआरवी पर वर्कशॉप

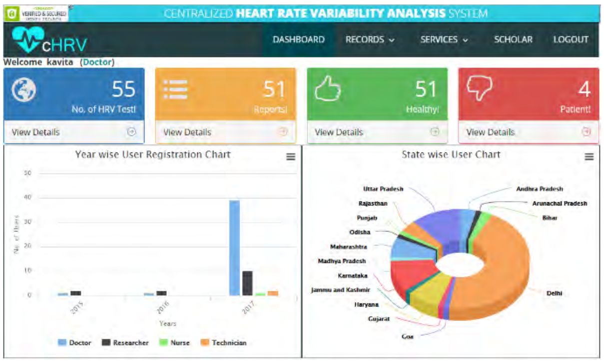

उपयोगकर्ता इंटरफेस और सांख्यिकी

स्वस्थ व्यक्तियों और रोगियों में स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में उतार - चढ़ाव की भूमिका का आकलन करने के लिए HRV एक महत्वपूर्ण मानव शरीर प्रदर्शन सूचक है। यह पारंपरिक जोखिम कारकों द्वारा प्रदान की गई और उससे परे भविष्यवाणी संबंधी जानकारी प्रदान करता है। केंद्रीकृत HRV, OpenCPU और R का उपयोग करके विकसित पुनरुत्पादनीय और सहयोगी अनुसंधान मंच के माध्यम से चिकित्सा समुदाय को सशक्त बनाता है। यह प्रणाली HRV और संबंधित स्वास्थ्य को बेंचमार्किंग, नैदानिक उपयोगिता और नीति बनाने के लिए उस पर डेटाबेस बनाता है।

इस वर्ष के दौरान सिस्टम को अतिरिक्त विशेषताओं जैसे कि उपयोगकर्ता विशिष्ट सांख्यिकीय प्रदर्शन URL आधारित प्रकाशन प्रबंधन, ई - मेल अधिसूचनाएं, HRV विश्लेषण के बेंचमार्किंग, डेटा आयात/निर्यात, एचआरवी विश्लेषण रिपोर्ट और संदर्भीय

प्रबंधन आदि के लिए सुविकसित किया गया है। CHRV सेवा डीआईसी (पूर्व में मीडिया लैब एशिया) मुंबई कार्यालय में सर्वर पर चल रही है। 16 चिकित्सा संगठन पूरे देश में पंजीकृत हैं। इन संगठनों के 65 उपयोगकर्ता HRV विश्लेषण के लिए सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं। दिल्ली में एम्स के साथ मिलकर संयुक्त रूप से एक अवधारणा "औटोनोमिक टोन के लिए एक केन्द्रीयकृत सुविधा की स्थापना और निवारक और कृत्रिम देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय डाटाबेस के परिमाणन" का गठन किया गया है और इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर), भारत सरकार को निवेदित किया है। यह डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन और एम्स, दिल्ली के द्वारा 13 सितंबर 2017 को सचिव, डीएसटी को प्रस्तुत किया गया।

CHRV प्रणाली को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (PGIMER) चंडीगढ़ में 4 से 6 नवंबर 2017 को आयोजित "प्रथम विश्व गैर–संचारी रोग कांग्रेस 2017" में और पुणे में 9 से 11 नवंबर, 2017 को आयोजित 'टेलीमेडिकॉन 2017' में प्रस्तुत किया गया।

2.9 बधिरों (हिअरिंग इम्पेयर्ड) के लिए विजुअल वाणी/भाषा प्रशिक्षण सॉफ्टवेयर (VSTS)

वीएसटीएस एक कंप्यूटर आधारित वाणी / भाषा प्रशिक्षण प्रणाली है जो वाणी उत्पादन में शामिल प्रयासों के द्वारा दृश्य प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए भाषण संकेत विश्लेषण से प्राप्त जानकारी का उपयोग करता है। यह एक ऐसा एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसी भी अतिरिक्त हार्डवेयर की आवश्यकता के बिना साउंड कार्ड के साथ भी कम्प्यूटर (PC) पर चलता है। यह सॉफ्टवेयर वाणी चिकित्सक और वाणी प्रशिक्षण पेशेवरों द्वारा एक विश्लेषण और नैदानिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल के लिए और वाणी में विकलांगता एवं दूसरी भाषा सीखने वाले बच्चों द्वारा सही कृत्रिम प्रयासों के अधिग्रहण में सरलता हेतु एक वाणी प्रशिक्षण सहायता के रूप में विकसित किया गया है। यह सॉफ्टवेयर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) बॉम्बे के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Meity) भारत सरकार से एक अनुसंधान एवं विकास अनुदान द्वारा विकसित किया गया है।

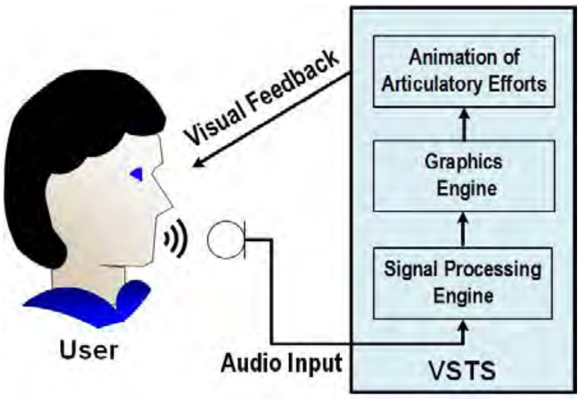

वीएसटीएस के योजनाबद्ध

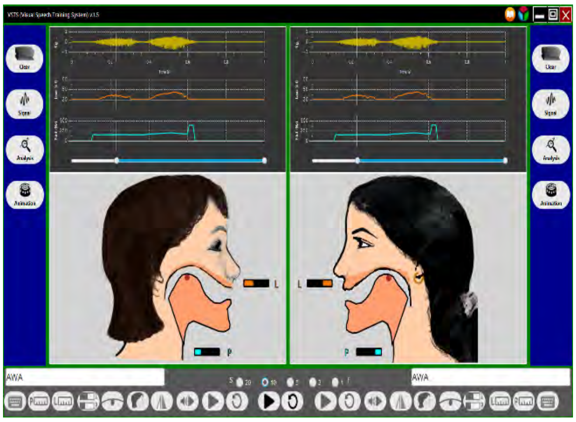

वीएसटीएस का उपयोगकर्ता इंटरफेस

सिस्टम की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i) संकेत/सिग्नल अधिग्रहण: 10 सेकंड तक की ऑडियो क्लिप के रूप में वाणी संकेत की रिकॉर्डिंग और पूर्व - दर्ज ध्वनियों के लोडिंग

ii) सिग्नल विश्लेषण और प्रदर्शन: संकेत तरंग पिच, ऊर्जा, स्पेक्ट्रोग्राम (समय अंतर परिमाण के स्पेक्ट्रम का 2डी खंड), और आरेख (समय - अंतर मुखर मार्ग का 2डी खंड)

एमआर स्कूल फॉर द डेफ, पुणे में परिनियोजना दल का दौरा

वायएमसीए स्कूल फॉर द डेफ, पुणे में इस्तेमाल में वीएसटीएस

iii) कृत्रिम प्रयासों का एनीमेशन : फ्रेम ऊर्जा, पिच, और अभिव्यक्ति के स्थान के लिए वैकल्पिक संकेतकों के साथ समय, अलग मुखर मार्ग आकृति का प्रदर्शन (जैसा कि विश्लेषण से प्राप्त और आरेख में प्रदर्शित किया गया है) समायोज्य एनीमेशन गति के साथ।

मॉडल वाणी वार्तालाप के संदर्भ में सुधारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए सिस्टम में दो साइड - प्रदर्शन पैनल हैं, जिनका उपयोग दो वाणी संकेतों के अधिग्रहण और प्रसंस्करण के लिए किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक सिग्नल शिक्षार्थी से हो सकता है और अन्य संकेत शिक्षक या संदर्भ वक्ता से हो सकता हैं। एक पैनल में विश्लेषण परिणाम एवं दूसरे पैनल में एनीमेशन के साथ दोनों पैनलों में समान संकेत का उपयोग करना संभव है। एनीमेशन पुन: कॉन्फिगर करने के योग्य है। प्रत्येक पैनल में, चेहरे का चयन किसी व्यक्ति, महिला, लड़का या लड़की के रूप में किया जा सकता है, और इसके अभिविन्यास को बाए॑ या दाँये मुखी रूप में चुना जा सकता है। समग्र प्रदर्शन की रंग योजना को बाद के उपयोग के लिए संशोधित और सहेजा जा सकता है। इस प्रणाली का वर्तमान संस्करण स्वर अधिस्वर और संधि.स्वर वाले स्पीच भाग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।

2.10 सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

आईटीआरए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक सक्षम कार्यक्रम है, जो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और इलेक्ट्रॉनिक्स में अनुसंधान एवं विकास तथा आईटी के क्षेत्र में उसकी सेवाओं की गुणवत्ता और मात्रा को आगे बढ़ाने के लिए भारत भर में संबंधित संस्थानों में राष्ट्रीय संसाधन बनाने में सहायता करता है। पांच वर्ष के 'आईटीआरए प्रोजेक्ट' का कार्यान्वयन 148.83 करोड़ रूपये की लागत के साथ डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व मीडिया लैब एशिया) को नवंबर 2010 में Meity द्वारा सौंपा गया था। इसके बाद इट्रा का संचालन दिसंबर 2018 तक बढ़ा दिया गया है। इट्रा, डीआईसी के एक विभाग के रूप में कार्य कर रहा है।

आईटीआरए एक बड़ी संख्या में आईटी शोधकर्ताओं को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है जो नवीनतम आईटी ज्ञान से युक्त हैं, कक्षा के ज्ञान से परिपूर्ण होते हुए संबंधित समाधान विकसित करने में शिक्षित हैं, आईटी समाधानों के लिए समस्याओं को सुलझाने के लिए प्रशिक्षित हैं, आईटी और अन्य डोमेन में सामाजिक समस्याओं की पहचान करने के लिए प्रेरित हैं, और प्रयोगशाला समाधानों को कार्यरत प्रोटोटाइप में परिवर्तित करने के लिए कार्यप्रणाली से पूर्णतया अवगत हैं। आईटीआरए की गतिविधियों का उद्देश्य पीएचडी उत्पादन करने वाली राष्ट्रीय क्षमता में बड़ी वृद्धि करना है जो अकादमिक संस्थानों में संकाय बन सकते हैं और बड़े पैमाने पर उद्योग और समाज की जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। संस्थानों में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आईटीआरए निम्नलिखित कार्य.तंत्र का उपयोग करता है:

क) उभरते हुए क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास टीमों का पोषण करने और आईटीआरए संस्थानों/फैकल्टी के साथ सहयोग करने के लिए प्रख्यात विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है।

ख) अच्छे प्रदर्शन को पहचानने के लिए फैलोशिप, पुरस्कार, प्रोफेसरशिप आदि प्रदान दिया जाता है

ग) शोधकर्ताओं को कला सुविधाओं की स्थिति, सर्वोत्तम प्रथाओं और परामर्श के लिए उजागर किया जाता है

घ) सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देने के माध्यम से रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं

ड़) कार्य.तंत्र को टीमों द्वारा विकसित कंपनियों के लिए योग्य प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने के लिए परिभाषित किया जाता है।

ITRA ने अब तक 4 केन्द्रित क्षेत्रों, जैसे "मोबाइल कम्प्यूटिंग, नेटवर्किंग और एप्लीकेशन **(ITRA** - मोबाइल)", "आईटी आधारित नवाचार में जल संसाधन स्थिरता **(ITRA** – जल)" इसके बाद, "भारतीय कृषि और खाद्य **(ITRA** - कृषि और खाद्य) में आईटी आधारित परिवर्तन" और् "अमाइलोइड संबंधी रोगों के लिए मानव सिम्युलेटर **(ITRA** - ह्यूसिम)" आदि को चुना है।

ITRA मोबाइल:

ITRA, ITRA-मोबाइल अनुसंधान क्षेत्र में हेल्थकेयर, ट्रांसपोर्ट और आपदा प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी की सेवाओं को लक्षित करता है। ITRA-मोबाइल परियोजनाएं 33 संस्थानों में चल रही हैं जिनमें 64 संकाय और 98 पी.एचडी छात्र शामिल हैं।

वर्ष 2017.18 के दौरान, आईटीआरए - मोबाइल अनुसंधान समुदाय ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों के सम्मेलनों और पत्रिकाओं में 46 शोध पत्र प्रकाशित किए, संबंधित संस्थानों में पाठ्यक्रमों की संख्या विकसित/संशोधित और कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इस वित्तीय वर्ष के दौरान परियोजनाओं का दो बार मूल्यांकन किया गया। आईटीआरए की शासन परिषद की सिफारिशों के आधार पर परियोजनाएं दिसंबर 2018 तक बढ़ा दी गई हैं।

ITRA-मोबाइल टीम 11 तरह की अवधारणा (PoC) प्रोटोटाइप और व्यावसायीकरण (स्टार्ट-अप या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) के लिए संभावित प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है। PoC टीमों ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और अन्य संभावित हितधारकों के लिए विभिन्न स्थानों पर अपनी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया है जहां इन तकनीकों की सराहना की गई थी। आईटीआर - मोबाइल प्रोजेक्ट वर्चुअल सहायक के तहत विकसित एक तकनीक 'कफ एंड व्हीज एनालाइजर' ने SALCIT टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक स्टार्टअप कंपनी को भी पंजीकृत किया है।

ITRA-मोबाइल मूल्यांकन बैठक जुलाई 13-14, 2017

वर्ष 2018, परियोजनाओं के अंतिम वर्ष होने के कारण, टीम ने पूरी परियोजना की अवधि के दौरान किये गए काम को समेकित किया। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टीओटी) और सूचना प्रसार पर केंद्रित एक बैठक, 7 जनवरी, 2018 के दौरान बैंगलोर में आयोजित की गयी जहां परियोजना से जुडी हुई टीमों ने निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में 2018 कार्य - योजना प्रस्तुत की :

i) फील्ड प्रोटोटाइप में विभिन्न तकनीकों/समाधानों के प्रयोगशाला प्रोटोटाइप का रूपांतरण।
ii) उत्पादित वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार।

ITRA - जल:

ITRA, ITRA-जल अनुसंधान क्षेत्र में सभी क्षेत्रों के लिए पानी की पहुंच के लिए बहुमुखी चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। आईटीआर - जल परियोजनाएं 23 संस्थानों में चल रही हैं, जिसमें 33 संकाय और 38 पी.एचडी छात्र शामिल हैं।

वित्त वर्ष 2017 - 18 के दौरान, आईटीआर - जल शोध समुदाय ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति के सम्मेलनों/पत्रिकाओं में 10 शोध पत्र प्रकाशित किए, संबंधित संस्थानों में कई पाठ्यक्रम विकसित/संशोधित किए गए और कई कार्यशालाएं आयोजित की गईं। जुलाई 2017 में भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc.) बैंगलोर में एक 'मानसून स्कूल' सफलतापूर्वक आयोजित किया गया जहां भारत और विदेशों के प्रमुख विषेशज्ञों और सार्क देशों के अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया। आईटीआर की गवर्निंग काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर परियोजनाएं दिसंबरए 2018 तक बढ़ा दी गई हैं।

ITRA-जल, 5 तरह की अवधारणा (PoC) प्रोटोटाइप और व्यावसायीकरण (स्टार्ट - अप या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) के लिए संभावित प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है। PoC टीमों ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और अन्य संभावित हितधारकों के लिए विभिन्न स्थानों पर अपनी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया है जहां इन तकनीकों की अत्यंत सराहना की गई। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर द्वारा विकसित एक मौसम/वर्षा पूर्वानुमान प्रौद्योगिकी को ITRA -जल परियोजना 'मैजमेंट टू मैनेजमेंट' के तहत भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारत सरकार द्वारा सफलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है।

ITRA-Water Evaluation Meeting conducted at IIT Kharagpur during 16-18th Jan, 2017

ITRA-जल मूल्यांकन बैठक

वर्ष 2018, परियोजनाओं के अंतिम वर्ष होने के कारण, टीम ने पूरी परियोजना की अवधि के दौरान किये गए काम को समेकित किया। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (ToT) और सूचना प्रसार पर केंद्रित एक बैठक 11-13 जनवरी, 2018 के दौरान नई दिल्ली में आयोजित की गयी जहां परियोजना से जुडी हुई टीमों ने निम्नलिखित मुख्य क्षेत्रों में 2018 कार्य-योजना प्रस्तुत की:

i) फील्ड प्रोटोटाइप में विभिन्न तकनीकों/समाधानों के प्रयोगशाला प्रोटोटाइप का रूपांतरण।

ii) उत्पादित वैज्ञानिक जानकारी का प्रसार।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर द्वारा आयोजित आईटीआर - जल मूल्यांकन बैठक - जनवरी 16 – 18, 2017

ITRA - कृषि और खाद्य:

ITRA, ITRA-कृषि और खाद्य के अपने तीसरे शोध क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से भारत में कृषि और खाद्य राज्य को उत्पादकता की नई दिशा में अग्रसर करने के लिए सहयोगी, बहु.संस्थागत, अंतर - अनुशासनात्मक दल बनाने के लिए योजनाबद्ध है। उत्तर - पूर्व भारत में सूअर और बकरियों के विभिन्न पहलुओं पर 45 शोधकर्ताओं से युक्त 14 संस्थानों में दो अनुसंधान एवं विकास टीम प्रोजेक्ट शुरू किए गए।

इन दो परियोजनाओं की वार्षिक समीक्षा जनवरी – फरवरी, 2018 में होनी बाकी है। आईटीआर फरवरी 2018 में इन परियोजनाओं के लिए एक मूल्यांकन कार्यशाला आयोजित करने की योजना बना रही है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अब एक छत्र परियोजना "संसाधनों द्वारा उन्नत कृषि के लिए सेंसर एवं सूचना प्रौद्योगिकी (ASITREA)" को वित्त पोषण सहायतार्थ आईटीआर के साथ हाथ मिला चुकी है जिसमें 22 संस्थान और 92 शोधकर्ता शामिल हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित ASITREA परियोजना की लागत को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् . भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (ICAR -IARI), पुसा कैंपस में एक लागत समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डॉ पी. के. अग्रवाल, ADG और निदेशक (NASF), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, श्री देवेंद्र कुमार, निदेशक (वित्त), (NASF), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, परियोजना - अन्वेषक, ASITREA प्रोजेक्ट के सह-परियोजना अन्वेषक और आईटीआरए टीम ने भाग लिया। परियोजना के परियोजना - अन्वेषक और सह - परियोजना अन्वेषकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधिकारियों के समक्ष तर्कसंगत विवेचना के साथ पूंजीगत उपकरण और जनशक्ति के खर्च सहित परियोजना की अनुमानित लागत प्रस्तुत की। 20 दिसंबरए 2017 को लागत समिति की बैठक में सहमत बजट संबंधी प्रावधानों के अनुसार डीआईसी ने NASF के लिए छत्र परियोजना को निवेदित किया।

सशक्त समिति की बैठक 27 दिसंबर 2017 को बोर्ड रूम, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान निधि (NASC) परिसर, पुसा कैंपस, नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस बैठक में छत्र परियोजना के सभी घटकों ने अपने तकनीकी विवरण और परिणामों को प्रस्तुत किया। ASITREA परियोजनाओं के प्रक्षेपण के लिए सशक्त समिति की मंजूरी प्रतीक्षारत है।

सचिव, Meity के अनुमोदन से, ITRA इस क्षेत्र में 4 और परियोजनाएं शुरू कर रहा है।

नया फोकस क्षेत्र:

सचिव Meity द्वारा संस्तुति के आधार पर, ITRA खाद्य सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आईओटी आदि से संबंधित नए फोकस क्षेत्रों की शुरुआत कर रहा है। जहां सहयोगी, बहु.संस्थागत, अंतर - अनुशासनात्मक समूह, इस फोकस क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से निपटेंगे। बैठकों के कई राउंड वर्तमान में उसी के लिए आयोजित किए जा रहे हैं।

2.11 इलेक्ट्रॉनिक्स और IT के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना

इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) और सूचना प्रौद्योगिकी / सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा (ITES) क्षेत्र में पीएचडी की संख्या बढ़ाने के लिए Meity ने डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन(DIC) (पूर्व में मीडिया लैब एशिया) को विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना के कार्यान्वयन के साथ सौंप दिया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) और आईटी / आईटीईएस में 3000 अतिरिक्त पीएचडी छात्रों (1000 पूर्णकालिक + 2000 अंशकालिक) का समर्थन करना है और 200 युवा संकाय को अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास में उनके कार्य को प्रोत्साहित करने और पहचानने के लिए सहायता करना है।

योजना की कवरेज दिखाते हुए एक नक्शा

यह योजना भारत में अभी 27 राज्यों और 3 केंद्रशासित प्रदेशों में 99 संस्थानों में 1086 पूर्णकालिक और 666 अंशकालिक पीएचडी फेलोशिप के कुल आवंटन के साथ कार्यान्वित की जा रही है। 966 पूर्णकालिक और 190 अंशकालिक उम्मीदवारों का नामांकन किया गया है। 'यंग फैकल्टी रिसर्च फैलोशिप (YFRF)' के 129 पुरस्कार विजेताओं ने 200 YFRF के लक्ष्य में से अब तक पहचान बनाई।

भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc.) बेंगलुरु में 28 जुलाई 2017 को युवा संकाय अनुसंधान फेलो (YFRF के पुरस्कार विजेताओं) के लिए प्रथम कार्यशाला आयोजित की गई। 45 YFR सहचरों ने कार्यशाला में भाग लिया और अपना काम प्रस्तुत किया। कार्यशाला में Meity अधिकारियों के साथ शैक्षणिक समिति की उप - समिति भी शामिल थी।

YFRF के लिए प्रथम तकनीकी कार्यशाला के सूचीबद्ध उम्मीदवारों को उनके मार्गदर्शक के साथ आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापटनम में 17 से 18 नवम्बर, 2017 को आयोजित "अनुसंधान, मूल्यांकन कार्य के लिए तृतीय कार्यशाला" के दौरान अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। । कार्यशाला में 200 पी-एचडी उम्मीदवारों के साथ उनके मार्गदर्शक और पी. एचडी योजना के नोडल अधिकारी शामिल थे।

ऑनलाइन पोर्टल : सूचना प्रसार प्राप्त प्रस्तावों की प्रसंस्करण योजना आदि की निगरानी के लिए एक वेब पोर्टल तैयार किया गया है, इस योजना के बारे में जानकारी http://phd.medialabasia.in पर उपलब्ध है। नए मॉड्यूल भी विकसित किए गए हैं जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- इंटर रिसर्च ग्रुप चर्चा मंच
- YFRF मॉड्यूल
- कार्यशाला संग्रह मॉड्यूल
- YFRF डोमेन विशेषज्ञों के साथ कार्यशालाओं के लिए अनुसंधान मॉड्यूल

3. राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)

I. **भूमिका– डिजिटल इंडिया (कार्यक्रम प्रबंधन)**

डिजिटल इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसमें भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने का एक दृष्टिकोण है।डिजिटल इंडिया कार्यक्रम विभिन्न सरकारी योजनाओं को एक साथ जोड़ता है, जिनमें से कई केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में कटौती करते हैं। कार्यक्रम केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों द्वारा लागू तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा समन्वित किया जाना है।

NeGD इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को समर्थन देने के लिए न केवल काम के जनादेश के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बल्कि केंद्रीय/राज्य स्तर पर मंत्रालयों / विभागों द्वारा किए गए ई–गवर्नेंस परियोजनाओं / पहलों के मूल्य भी जोड़ा है। NeGD को डिजिटल प्रबंधन के लिए कार्यक्रम प्रबंधन, प्रौद्योगिकी प्रबंधन, परियोजना मूल्यांकन, जागरूकता और संचार और क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। NeGD को डिजिटल इंडिया के तहत कुछ नवीन अद्वितीय परियोजनाओं के कार्यान्वयन को भी सौंपा गया था। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की निगरानी कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति द्वारा की जाती है।

- **परामर्श और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सहायता :**

  NeGD देश भर में मिशन मोड परियोजनाओं के तहत पहल और एनईजीपी के तहत समर्थन घटकों के के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक और एकीकृतकर्ता के रूप में कार्य करता है। जबकि NeGP के तहत चल रही पहल परिपक्वता के एक निश्चित चरण तक पहुंच गई हैं, आगे कई नई पहल परिवर्तन लाने के लिए तत्पर हैं। इनमें NeGP पोर्टफोलियो, एकीकृत सेवाओं, अनिवार्य सरकारी प्रक्रियाओं का पुनर्निर्माण, व्यापक प्रक्रिया सुधार, मानकीकरण, एकीकरण, स्वचालन और स्व–सेवा, आधारभूत संरचना, मांग पर प्लेटफॉर्म और सेवा (IaaS, PaaS, SaaS), क्लाउड और मोबाइल का लाभ, ई–गवर्नेंस अकादमी की स्थापना, ई–गवर्नेंस के लिए संरचना और एचआर नीति, क्षमता निर्माण, जागरूकता निर्माण, और प्रभाव आकलन सूचकांक का पुनर्वितरण और पुनर्गठन शामिल हैं।

- **एमएमपी / ई–गोव परियोजनाओं की निगरानी और समन्वय :**
  - **कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली (PMIS) :**

View Summary

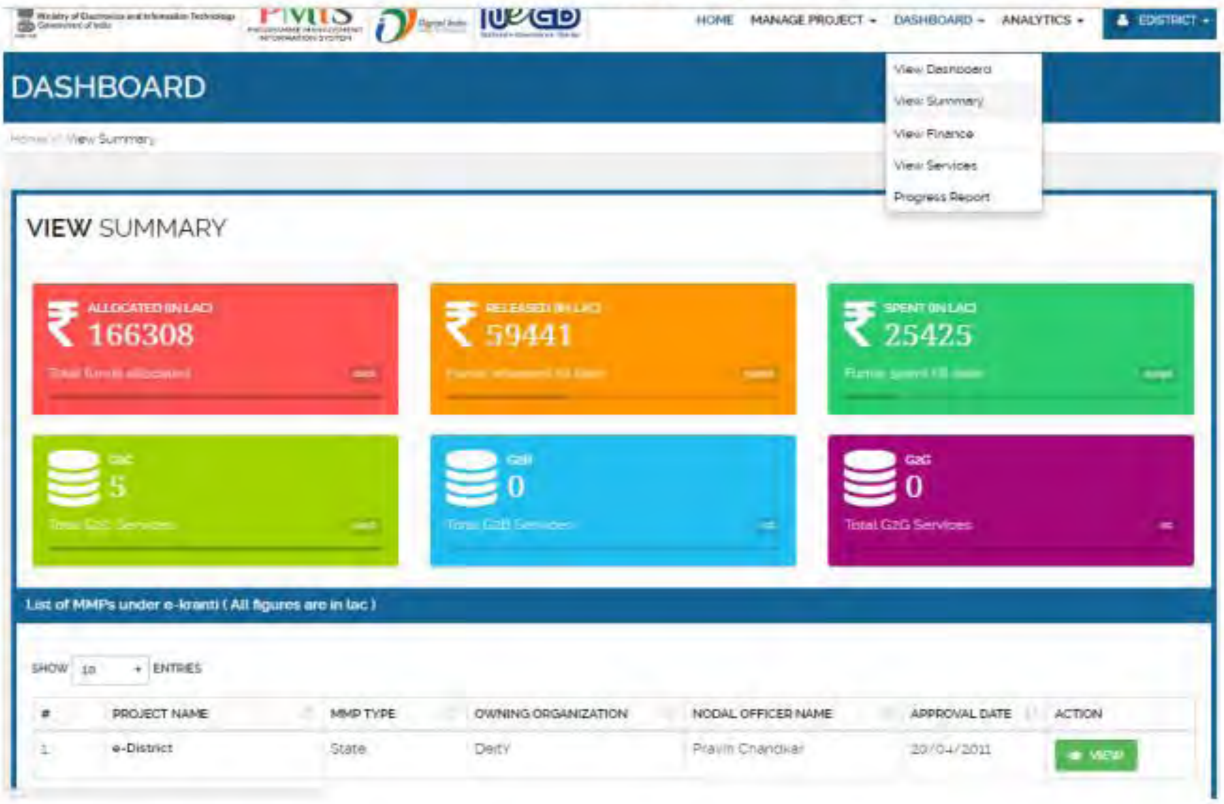

PMIS डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और अन्य ऐसी ई–गवर्नेंस परियोजनाओं के ई–क्रांति ढांचे के तहत मिशन मोड परियोजनाओं के भौतिक, वित्तीय और परिणाम मानकों की निगरानी और मूल्यांकन के लिए एक वेब–आधारित, केंद्रीकृत टूल है।

उद्देश्य:

- भौतिक और वित्तीय प्रगति के लिए केंद्रीकृत निगरानी और विश्लेषण प्रदान **करना**
    - केंद्र और राज्यवार परियोजना की प्रगति को ट्रैक और निगरानी करने के लिए केंद्र/राज्य के विभागों की सहायता करना
    - स्रोत पर विकेन्द्रीकृत डेटा संग्रह का समर्थन करना
    - परियोजना विशिष्ट, राज्य/जिला/राष्ट्रीय स्तर एमआईएस और डैशबोर्ड रिपोर्ट जेनरेट करना
    - MMPs/NeGD परियोजनाओं पर जानकारी, निर्णयों को त्वरित रूप से, प्रभावी रूप से और समय–समय पर संवाद करने के लिए हितधारकों को सक्षम करना
    - आवधिक प्रगति रिपोर्ट बनाने में बदलाव के समय को कम करना।

भूमिका :

- पूर्व–कार्यान्वयन (अवधारणा, कोर स्कोपिंग, डेवलपमेंट डिजाईन)
- कार्यान्वयन और संचालन
- पोस्ट कार्यान्वयन (परिणामों का संचालन, रखरखाव और निगरानी और मूल्यांकन)।

- **शीर्ष समिति का सचिवालय और डिजिटल इंडिया कार्यान्वयन का समन्वय**

डिजिटल इंडिया पर शीर्ष समिति को NeGD द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है। NeGD कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में बैठकों के संगठन में पूर्ण संपर्क, प्रबंधन और सचिवीय समर्थन प्रदान करता है। NeGD ने बैठकों के दौरान किए गए निर्णय बिंदुओं के संबंध में किए गए कार्यों पर भी नजर रखी है।

- **डिजिटल इंडिया से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन / कार्यशालाएँ :**
  - **GCCS 2017:**

GCCS-2017 जीसीसीएस के पिछले 4 संस्करणों की तुलना में आकार और पहुँच में काफी बड़ा था। कार्यक्रम पूर्व–भूमिका और मुख्य कार्यक्रम के 4 दिनों के दौरान 3862 प्रतिभागी थे जो हेग में GCCS की तुलना में दोगुने से अधिक है। एक समय में 2800 वीसी / वेबिनार स्थानों तक आभासी पहुँच थी। मुख्य कार्यक्रम में 3 पूर्ण और 16 समांतर सत्र थे। मुख्य कार्यक्रम के दौरान सत्रों की जबरदस्त मांग के कारण, GCCS के इतिहास में पहली बार 16 पूर्व–भूमिका कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। 31 रन अप कार्यक्रम थे जो कि अभूतपूर्व हैं।

नई दिल्ली में पिछले संस्करण के 98 देशों की तुलना में 132 देशों ने भाग लिया। GCCS-2017 काफी समय तक भारत में नंबर एक ट्रेंडिंग हैशटैग था और उमंग गूगल प्ले स्टोर के शीर्ष चार्ट में नंबर एक था। जी –20 देशों के 265 व्यक्तियों सहित विकसित देशों से बड़ी भागीदारी हुई है।

GCCS के ठोस परिणाम निम्नानुसार है :

- आईसीटी आधारित बदलाव की सफल कहानियों पर भारत पुस्तक।
- साइबर स्पेस में ग्लोबल इनोवेशन पर पुस्तक
- राष्ट्र के लिए उमंग का समर्पण
- डिजिटल ज्ञान साझाकरण प्लेटफार्म का संस्थागतकरण
- साइबर खतरे का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ मुक्त और खुला इंटरनेट पर विचारों में वैश्विक अभिसरण
- GCCS अध्यक्ष के बयान में कई बिंदु शामिल थे जिन पर राष्ट्रों के बीच राय का सामान्य अभिसरण उभरा। विशेष रूप से, अध्यक्ष ने डिजिटल ज्ञान साझाकरण प्लेटफार्म की स्थापना की घोषणा की
- भारत में पहली बार विश्व स्तर पर ब्लॉकचौन, आईओटी, बिग डेटा, अक्षम के लिए प्रौद्योगिकी जैसे नए क्षेत्रों पर प्रबुद्ध चर्चा हुई

- साइबर विशेषज्ञता पर वैश्विक मंच द्वारा दिल्ली के शासकीय परिपत्र में ई–गवर्नेंस और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम कार्यों को साझा करने पर जोर दिया।
- पिछले 4 जीसीसीएस कार्यक्रमों की तुलना में GCCS-2017 आकार और पहुँच में बहुत बड़ा था।
- GCCS 2017 के लिए रचनात्मक और आयोजन प्रबंधन एजेंसी की ऑन–बोर्डिंग
- GCCS की रचनात्माओं का विकास – आउटडोर, सोशल मीडिया, इवेंट इत्यादि।
- GCCS 2017 के लिए जनसंपर्क (पीआर) गतिविधियां
- फिल्म निर्माण – GCCS, UMANG, GCCS लोगो अनावरण
- GCCS वक्ताओं की प्रोफाइल, फोटो और अन्य विवरणों का वेबसाइट की ई–सामग्री के रूप में प्रबंधन और सोशल मीडिया पर आयोजन पूर्व प्रचार
- अभिरुचि कि अभिव्यक्ती की तैयारी, 50 प्रायोजकों तक पहुंच; ऑन–बोर्डिंग और सौदों का समापन
- 31 रन अप कार्यक्रम का आयोजन / वेबसाइट पर अपलोड
- 3862 प्रतिभागियों, 132 देशों ने भाग लिया
- वीडियो कांफ्रेंस / वेबिनार के माध्यम से एक साथ कई स्थानों पर 2800 आभासी पहुँच
- जी–20 देशों के 265 व्यक्ति
- भारत और श्रीलंका के माननीय प्रधान मंत्री ने इस कार्यक्रम की सराहना की
- GCCS वेबसाइट और ऐप ने इस कार्यक्रम के लिए कागज रहित समाधान प्रदान किया
- मुख्य कार्यक्रम में 3 पूर्ण और 16 समांतर सत्र आयोजित किए गए
- GCCS के इतिहास में पहली बार 16 पूर्व–भूमिका कार्यक्रम और 31 रन अप कार्यक्रम भी हुए

डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की शक्ति दृढ़ता से स्थापित की गई और इस तरह के बड़े पैमाने पर सम्मेलन के सफलतापूर्वक आयोजन के साथ भारत वैश्विक चौंपियन के रूप में उभरा।

- **क्षमता निर्माणः**

  सरकार के भीतर आंतरिक क्षमता का निर्माणः क्षमता निर्माण योजना को वर्ष 2008 में सरकार द्वारा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय ई–शासन योजना (NEGP) लेने के लिए अनुमोदित किया गया था। इस योजना में निम्नलिखित की कल्पना की गईः

  (i) राज्य स्तर के सामरिक निर्णय लेने के लिए एक संस्थागत ढांचे की स्थापना जिसमें राज्य ई–गवर्नेंस मिशन टीम (SeMT) की स्थापना शामिल है जिसमें तकनीकी विशेषज्ञता और पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए प्रासंगिक विशेषज्ञता और अनुभव हो।

  (ii) विशेष प्रशिक्षण देना , निर्णयकर्ताओं (राज्य विधायिका और वरिष्ठ नौकरशाहों) और SeMTs के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ज्ञान साझाकरण और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम कार्यों को अपनाना।

  (iii) राज्यों में सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाना।

उपर्युक्त घटक के तहत सीबी पहलों पर संक्षिप्त स्थिति नीचे दी गई हैः

सं.क्र.	सीबी II परियोजना	स्थिति
1	**नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम (KMS)**	पहले चरण का शुभारंभ हुआ। अभी तक 463 पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं।
2	**लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (LMS)**	डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) और नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम (केएमएस) ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति के अंतर्गत विभिन्न हितधारकों के साथ LMS/KMS पोर्टल की स्थापना की। जीएसटी, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग, आईटी और ई–गवर्नेंस पर 58 वेबिनार आयोजित किए गए। किसी भी पूंजीगत लागत के बिना ई–सामग्री बनाने के लिए इग्नू के साथ एमओयू किया गया। ई–गवर्नेंस से संबंधित ई–कोर्स के विकास के लिए हार्वर्ड प्रबंधित मेन्टर कोर्स और सिंपलीलेर्न से प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम बिना किसी पूँजीगत लागत के उपलब्ध कराया गया। LMS को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA), भारतीय रेलवे के लिए अनुकूलित किया गया। साइबर

		फोरेंसिक और साइबर अपराध राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय बैंगलोर और दिल्ली के लिए उपलब्धता प्रगति पर है।
3	**ATIs-CTI और अन्य Trg संस्थानों के साथ सहयोग**	**A. आवश्यकता आधारित ई–गॉव प्रशिक्षण कार्यक्रम और एम्बेडेड प्रशिक्षण लेने के लिए** 8 ATIs & CTIs और 3 अन्य संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। i. Yashada, पुणे ii. IIPA, नई दिल्ली iii. CIPS, हैदराबाद iv. APHRDI, विशाखपट्नम v. NIFM, फरीदाबाद vi. MCRHRDI, हैदराबाद vii. ATI, पश्चिम बंगाल viii. RIPA, राजस्थान ix. NIELIT, दिल्ली x. NISG, दिल्ली xi. IIM, अहमदाबाद xii. MGSIPA, पंजाब xiii. IGFNA, देहरादून **B.** जबकि अन्य केंद्रीय और राज्य प्रशिक्षण/शैक्षणिक संस्थानों के साथ चर्चा चल रही है, सामग्री और संकाय का समर्थन राष्ट्रीय डाक अकादमी–गाजियाबाद, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी–हैदराबाद, ATI केरल, iCISA नोएडा और ए ATI गोवा में किया जा रहा है।
4	**सामग्री विकास / अनुकूलन**	✓ हिंदी में मौजूदा STeP सामग्री का लिप्यंतरण ✓ प्रशिक्षण के लिए नया शिक्षण प्रकरण अध्ययन का विकास (समीक्षा के तहत 2 मामले) ✓ CISO डिजाइन और सामग्री के विकास का समन्वय
5	**गतिशील प्रशिक्षण आवश्यकताओं को मिलाने के लिए उच्च मूल्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सामग्री का पुनरुत्पादन**	✓ डीपीआर में 86 बजटों में से 79 Trg कार्यक्रम आयोजित किए गए। ✓ NeGD वित्त पोषित कार्यक्रमों में 5090 अधिकारियों को और ATI-CTI को फैकल्टी और सामग्री समर्थन के अभिनव दृष्टिकोण के माध्यम से 2234 के आसपास को प्रशिक्षित किया। ✓ मुख्य सूचना अधिकारी (CIOs) प्रशिक्षण कार्यक्रम लगभग एक दशक से प्रस्ताव पर है। इन पाठ्यक्रमों के लिए अवधि, संरचना और सामग्री को समय–समय पर एक हद तक संवर्धित किया गया और वर्तमान संरचना लगभग 4 वर्षों से चलन में है। CIO कार्यक्रमों की अंतिम समीक्षा के बाद से देश में ई–गवर्नेंस परिदृश्य के कई पहलू बदल गए हैं। कई साझा सेवाएं और सामान्य सेवा अवसंरचना अब उपलब्ध हैं। अकादमिक और प्रशिक्षण, उद्योग, सरकार और NISG के सदस्यों के साथ एक कार्य समूह कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बनाया गया। समूह ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं और तदनुसार CIO कार्यक्रमों के मौजूदा 3 संस्करण 2 स्तरों पर फिर से वर्गीकृत किए गए हैं; 4 और 12 दिनों की अवधि के लिए नेतृत्व और चौंपियन स्तर, ज्ञान आधारित आदानों के लिए LMS का लाभ उठाने और कौशल आधारित आदानों को अनुभवात्मक सीखने के लिए पुनः डिजाइन किया गया।
6	**आभासी कैडर की स्थापना**	✓ आभासी संवर्ग की NeGD के अंतर्गत व्यवस्था की गई है ✓ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में आभासी संवर्ग व्यवस्था का अनुसरण

7	**CB II के लिए प्रभाव आकलन**	✓ जैसा कि इस योजना में परिकल्पित किया गया था, मध्य अवधि के आसपास CB प्रयासों के तीसरे पक्ष के प्रभाव का आकलन किया गया। रिपोर्ट के अनुसार, क्षमता निर्माण के प्रयास अभीष्ट प्रभाव पैदा करने में सफल रहे हैं और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की दूरदर्शिता को प्राप्त करने के लिए देश भर में लगातार क्षमता निर्माण करने की आवश्यकता है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम का एक नया चरण शुरू करना महत्वपूर्ण हो जाता है।
8	**वैश्विक सहयोग और उत्कृष्टता केंद्र**	✓ वैश्विक शिक्षण और अनुभवों के आदान–प्रदान में वैश्विक सहयोग का पता किया जाता है ✓ लघु अवधि के फेलोशिप को आला क्षेत्रों में अनुसंधान और गहन अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है ✓ उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के साथ भागीदारी
9	**राज्य ई–गवर्नेंस मिशन टीम (SeMT)**	✓ राज्यों को तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्य ई–गवर्नेंस मिशन टीम (SeMTs) की स्थापना की गई है। NeGD, SeMTs की सुविधा प्रदान करता है, रोजगार की प्रारंभिक अवधि के दौरान अभिविन्यास, अन्य SeMTs और संबंधित SMEs के साथ क्रॉस लर्निंग प्रदान करता है। ✓ इस समय 161 सदस्य है
10	**साइबर सुरक्षित भारत (CSB) : CISOs(पैन इंडिया) के लिए गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम**	✓ 17 जनवरी 18 को आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम, केंद्र / राज्य / सरकारी उपक्रमों के 250 अधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया। ✓ एक वर्ष के समय में 1200 मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISOs/CTOs) का गहन प्रशिक्षण। ✓ अब तक, दिल्ली, मुंबई और कोलकता में 4 क्षेत्रों – उत्तर, पूर्व और पश्चिम के लिए क्षेत्रीय आधार पर 4 दिनों के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 5 बैच आयोजित किए गए हैं।

- **जागरूकता और संचार रिपोर्ट :**

  जागरूकता और संचार (A&C) डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का एक अभिन्न अंग है। A&C देश भर में विभिन्न हितधारकों के बीच डिजिटल इंडिया, संबंधित सेवाओं और सेवा वितरण माध्यमों के बारे में जागरूकता के स्तर को उत्पन्न करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। A&C गतिविधियों के मुख्य उद्देश्य हैं:

  (i) ब्रांड पहचान बनाना और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

  (ii) डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत दी जा रही विभिन्न सेवाओं में भाग लेने और लाभ उठाने के लिए हितधारकों के साथ–साथ लाभार्थियों को भी प्रेरित करना।

  (iii) डिजिटल इंडिया को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बहु हितधारक की भागीदारी को सुगम बनाना और वृद्धि करना – युवा, शिक्षा जगत, उद्योग, सरकार आदि।

  (iv) डिजिटल इंडिया सेवाओं के लिए विभिन्न ई–सेवाओं को अपनाने के लिए नागरिकों के बीच मांग निर्माण को सुगम बनाना

  a. ऐप आधारित सेवाओं के डाउनलोड में वृद्धि

  b. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पसंद में वृद्धि

II. उपलब्धियां (2017-18)

➢ मीडिया और संचार रणनीति तैयार करने और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए जनसंपर्क अभियान की गतिविधियों को लागू करने के लिए, एक पीआर एजेंसी देन्त्सु की सेवाएं को दिसंबर 2016 – नवंबर 2017 से 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया। इस उद्देश्य के लिए, कार्यक्षेत्र दस्तावेज को तैयार किया गया और NeGD की 12 अनुभवी एजेंसियों के साथ साझा किया गया।

- NeGD की अनुभवी एजेंसी के माध्यम से नए युग के शासन के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप (उमंग) के लिए लोगो डिजाइन और टैगलाइन का निर्माण; उमंग का शुभारंभ माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 23 नवंबर, 2017 को किया गया

- मार्च 2018 तक A&C परियोजना के विस्तार के लिए पीआरएसजी की बैठक जून 2017 में आयोजित हुई और दूसरी बैठक जून 2018 में आयोजित हुई और परियोजना को दिसंबर 2018 तक बढ़ा दिया गया।

- भारत में 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का आयोजन और प्रबंधन– 16 जून, 2017 को उद्योग नायकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक परामर्शी बैठक आयोजित की गई और इसकी अध्यक्षता माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून और न्याय मंत्री ने की।

- निम्नलिखित विषयों पर 2017 में EXOTICA मैगजीन (पायनियर ग्रुप ऑफ न्यूजपेपर की कल्याण, यात्रा और जीवनशैली) में डिजिटल इंडिया पर 3 विशेष विशेषताएँ प्रकाशित करना–

    - डिजिटल इंडिया (सितंबर 2017 अंक)
    - उमंग (अक्टूबर 2017 अंक)
    - डिजीलॉकर, NCOG और GIS (नवंबर 2017 अंक)

- नवंबर 2017 में भारत में आयोजित साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन (GCCS) की योजना बनाने के लिए माननीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी और कानून और न्याय की अध्यक्षता में 21 जुलाई, 2017 को GCCS 2017 के लिए सरकार और उद्योग में विभिन्न हितधारकों से राय लेने के लिए उच्च स्तरीय आयोजन समिति (HLOC) की बैठक का आयोजन।

- GCCS 2017 के लिए कार्यक्षेत्र को परिभाषित करने वाले प्रस्ताव का अनुरोध – इवेंट एजेंसी और जर्मन हैंगर को क्रमशः 14 जून और 31 अगस्त 2017 को तैयार और प्रकाशित किया गया। GCCS 2017 के लिए होटल के चयन और उद्योग प्रायोजकों के लिए रूचि की अभिव्यक्ति के दस्तावेजों को भी तैयार और प्रकाशित किया गया।

- मेगा इवेंट का आयोजन और इवेंट मैनेजमेंट – 23–24 नवंबर, 2017 को एरोसिटी, नई दिल्ली में साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन (GCCS 2017) । GCCS एक प्रतिष्ठित वैश्विक कार्यक्रम था जहां राजनीतिक नेताओं, नीति निर्माताओं, बुद्धिजीवयों, शिक्षा और उद्योग विशेषज्ञों ने राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साइबर स्पेस का उपयोग करने की क्षमता और चुनौतियों पर विचार–विमर्श किया। GCCS के मुख्य कार्यक्रम 20–21 नवंबर, 2017 को कर्टन रेजर इवेंट्स से पहले एरोसिटी, नई दिल्ली में आयोजित किया गया और 25 नवंबर 2017 को एक पोस्ट कॉन्फ्रेंस इवेंट भी आयोजित किया गया।

- निम्नलिखित कार्यों के लिए A&C टीम द्वारा इवेंट एजेंसी की सहायता की गई :–

    - समयानुसार कार्यक्रम की योजना और तैयारी
    - खाका, डिजाइन, सजावट और स्थल का निर्माण
    - प्रोटोकॉल, सुरक्षा (SPG), निगरानी, वीआईपी का प्रवेश–निकासी, प्रतिभागी
    - विभिन्न सहायक कार्यों के लिए बाहरी एजेंसियों के साथ संपर्क करना– GMR, BSES, NIC
    - रसद और स्थल प्रबंधन – प्रदर्शनी क्षेत्र, ब्रांडिंग / कला स्थापना, स्टेज–सेट–अप, रन–अप इवेंट
    - पीआर प्रबंधन (बैठक, पार्किंग, होटल में मीडिया सेंटर, ओबी वैन)
    - साइट पर निरीक्षण, रिपोर्ट तैयार करना, बिल प्रसंस्करण और विक्रेता भुगतान

- सभी के लिए ई–गवर्नेंस और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और ब्रॉडबैंड के तहत उपक्रमों से संबंधित कार्य वस्तुओं पर चर्चा करने के लिए, माननीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की अध्यक्षता में सभी राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के आईटी मंत्रियों और आईटी सचिवों की सभा, 12 और 13 फरवरी, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रदर्शित किए गए कार्यों में एनडीएमसी क्षेत्र में आयोजन की ब्रांडिंग (लेकिन यह सीमित नहीं है), बैठक व्यवस्था, स्थल व्यवस्था, रसद आदि शामिल है।

- तेलंगाना में 26–27 फरवरी, 2018 को आयोजित ई–गवर्नेंस पर 21वें राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना और 17–20 अप्रैल 2017 को ग्रेटर नोएडा में आयोजित सेवा पर वैश्विक प्रदर्शनीय; डिजिटल इंडिया उत्पादों का प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनी स्टॉल लगाए गए।

- डिजिटल इंडिया के 4 वर्ष :

  - अपनी स्थापना के बाद से डिजिटल इंडिया की 4 वर्षों की उपलब्धियों का प्रदर्शन करने के लिए, कार्यक्रम के तहत **डिजिटल इंडिया, सीएससी, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पर फिल्मों** का प्रदर्शन उपलब्धियों और सफलता की कहानियों के प्रदर्शन के लिए किया गया।

  - दूरदर्शन पर एक टेलीविजन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें माननीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने सीएससी, बीपीओ, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण लाभार्थियों के साथ लाइव बातचीत की।

  - डिजिटल इंडिया के 4 साल का आकाशवाणी और दूरदर्शन पर रेडियो और टीवी अभियानों का निष्पादन।

- देश भर में किए गए बाह्य अभियानः

  - जीसीसीएस 2017
  - डिजी धन अभियान के संबंध में दिल्ली/एनसीआर, बिहार और राजस्थान में बिल बोर्ड
  - 7 शहरों (दिल्ली, पटना, मुंबई, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद और रांची) में डिजिटल इंडिया अभियान
  - लुटियन दिल्ली में OOH अभियान, 5 शहरों में ली गई अतिरिक्त साइटें (एक महीने के लिए BHIM अभियान)

- प्रमुख प्रकाशनों में प्रकाशित विज्ञापन

  - डिजिटल भुगतान पर लघु और मध्यम के लिए क्षेत्रीय कार्यशाला, जयपुर
  - साइबर स्पेस 2017 पर वैश्विक सम्मेलन की गतिविधियों और घटनाओं के प्रायोजन के लिए रूचि की अभिव्यक्ति
  - डिजीधन मेला का समापन और भीम आधार का शुभारंभ
  - स्वतंत्रता दिवस 2017
  - जीसीसीएस 2017 के लिए जर्मन हैंगर की स्थापना के लिए निविदा विज्ञापन
  - गणतंत्र दिवस 2018 के लिए झांकी के संबंध में एक एजेंसी का चयन करने के लिए निविदा विज्ञापन
  - जीसीसीएस 2017 के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए एक एजेंसी का चयन करने के लिए निविदा विज्ञापन
  - जीसीसीएस 2017 के लिए उमंग लॉन्च फिल्म के उत्पादन के लिए निविदा विज्ञापन
  - जीसीसीएस 2017 के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम के उत्पादन के लिए निविदा
  - जीसीसीएस 2017 के दौरान डिजिटल इंडिया का विज्ञापन
  - जीसीसीएस 2017 का विज्ञापन
  - उमंग ऐप का विज्ञापन

- अप्रैल–जून 2018 में मंथन पत्रिका के विशेषांक कश्मीर विशाशांक पर प्रकाशन, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कुछ प्रमुख परियोजनाओं जैसे कि उमंग, अस्पतालों में ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, डिजिटल साक्षरता, डिजिटल लॉकर, जीवन प्रमाण, ई–नाम, सीएससी, डिजिटल भुगतान भीम–यूपीआई, मोबाइल फोन विनिर्माण और भारत बीपीओ संवर्धन योजना पर एक पूर्ण पृष्ठ का विज्ञापन।

- 11 अगस्त, 2018 को माननीय मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी एवं कानून और न्याय, की अध्यक्षता में डिजिटल नॉर्थ ईस्ट 2022, गुवाहाटी में आयोजित किया गया। दिये गये कार्य में विजन दस्तावेज – डिजिटल नॉर्थ ईस्ट 2022 लॉन्च करने के लिए फिल्म का उत्पादन शामिल था; उक्त आयोजन के लिए विजन दस्तावेज पर एक पुस्तक प्रकाशित की गई जिसमें सामग्री का विकास और डिजाइन NeGD में आन्तरिक स्तर पर किया गया।

- **कार्यशालाओं/संगोष्ठी/सम्मेलन/प्रदर्शनी के लिए लोगो और वित्तीय सहायताः** विश्वविद्यालय, कॉलेज, निजी संगठनों जैसे कि ASSOCHAM, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज (DIAS), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII), मेल टुडे

न्यूजपेपर्स प्राइवेट लिमिटेड, मैनेजमेंट एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (MERI), भारती विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी, अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (AIMA), महामाया गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, सूचना के लिए निर्माता संघ, महोना, यूपी, वाणिज्य विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, वीरमाताजीजाभाई प्रौद्योगिकी संस्थान (VJTI), इंडिया बिजनेस चैंबर (IBCHAM), इकोनॉमिक्स टाइम्स, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, वारंगल, तेलंगाना, एबीपी प्राइवेट लिमिटेड, साइबर पीस फाउंडेशन, भारतीय उद्योग परिसंघ, वाणिज्य मंत्रालय, आद्या आईटी कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड आदि से प्रस्तावों पर लोगो और वित्तीय सहायता के लिए विचार किया गया।

- व्यापारिक वस्तुओं की नियमित छपाई – प्लास्टिक नाम वाले बैज, डोरी, निमंत्रण कार्ड, ब्रोशर, कॉफी टेबल बुक, द इंडिया बुक, बैग, पेन, पेन स्टैंड, पेन ड्राइव, लेखन नोटबुक, पीतल के बुकमार्क, सम्मेलनों/प्रदर्शनियों/आयोजनों के तहत प्रतिनिधियों के लिए उपहार।

- पुस्तकों/रिपोर्टों/दस्तावेजों/ब्रोशर का मुद्रण
    - <u>पुस्तकें</u>
        - कॉफी टेबल बुक– साइबरस्पेस में वैश्विक नवाचार
        - द इंडिया बुक
        - डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन 2022
    - <u>पुस्तिकाएं</u>
        - सतत विकास लक्ष्यों के लिए डिजिटल इंडिया
        - एक ट्रिलियन डॉलर डिजिटल अर्थव्यवस्था
        - 4 साल की उपलब्धि बुकलेट
        - भारत का रूपांतरण (अंग्रेजी और हिंदी)
        - न्यू इंडिया डिजिटल इंडिया (अंग्रेजी और हिंदी)
    - <u>ब्रोशर</u>
        - उमंग
        - डिजिटल लॉकर
        - त्वरित आकलन प्रणाली
        - राष्ट्रीय भू–सूचना विज्ञान केंद्र

III. सोशल मीडिया गतिविधियाँ:

अप्रैल 2017 – सितंबर 2018

- डिजिटल इंडिया के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन खातों पर भारी प्रचार गतिविधियां
- दिसंबर 2017 में उमंग के फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम खातों का शुभारंभ
- MeitY और NeGD द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों का लाइव ट्वीट
    - साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन (GCCS 2017)
    - आईटी मंत्रियों का सम्मेलन
    - डिजिटल इंडिया के लाभार्थियों के साथ प्रधानमंत्री का वीडियो सम्मेलन (#DigitalIndiaKiBaatPMKeSaath ट्रेंडिंग हैशटैग)
    - आईटी मंत्री का दूरदर्शन कार्यक्रम – डिजिटल इंडियाः साफ नियात, साही विकस
    - डिजिटल नॉर्थ ईस्ट 2022, CIO प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि का NeGD द्वारा आयोजन
- वित्त मंत्री के लाइव बयानों के व्यापक कवरेज के संदर्भ में फेसबुक और ट्विटर पर केंद्रीय बजट 2018 का संगठित कवरेज
- साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन के लिए आधिकारिक ट्विटर हैंडल का निर्माण (जीसीसीएस 2017)
- जीसीसीएस वेबसाइट और सोशल मीडिया संगठित पोस्ट के लिए ई–कंटेंट उपलब्ध कराना
- जीसीसीएस के संबंध में विभिन्न समाचार / अपडेट / स्पीकर कॉर्नर आदि का प्रसार
- जीसीसीएस 2017 के दौरान शुरू की गई सेवाओं का प्रचार (लाइव ट्वीट और वीडियो सहित)

- डिजिटल इंडिया के आधिकारिक यूट्यूब चौनल के माध्यम से MeitY, CSC – NeGD द्वारा निर्मित वीडियो का प्रचार
- www.negd.gov.in पर विभिन्न वेब पेजों जैसे साइबर सुरक्षा भारत और डिजिटल इंडिया ई न्यूजलैटर का विकास
- दैनिक आधार पर सोशल मीडिया चौनलों पर विशेष सामग्री का प्रसार जैसे कि डिड यू नो, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स एंड एसेंशियल, डिजिटल इंडिया वीडियो, डिजिटल इंडिया न्यूज, उमंग अपडेट, थर्ड पार्टी न्यूज अपडेट, सर्विस अपडेट आदि।
- सेवाओं का संवर्धन – विभिन्न CSCs, SPTI केंद्र, NIELIT केंद्र आदि द्वारा आयोजित स्थानीय/राज्य स्तर की गतिविधियाँ
- फेसबुक और ट्विटर के साथ–साथ उपयोगकर्ता की व्यस्तता के लिए डिजिटल इंडिया पोर्टल पर पर प्रश्नोत्तरी, वर्ग पहेली इत्यादि प्रतियोगिता
- NeGD या डिजिटल इंडिया से संबंधित MyGov से विभिन्न चर्चाओं और कार्यों को बढ़ावा देना
- डिजिटल मीडिया कार्यक्रम का नियमित प्रचार पखवाड़ा आधिकारिक डिजिटल इंडिया वेबसाइट के माध्यम से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रश्नोत्तरी

अगस्त – सितंबर 2018

- फिल्मों, टीवी विज्ञापनों, रेडियो विज्ञापनों आदि के उत्पादन के लिए 14 ऑडियो विजुअल एजेंसियों का पैनल।
- उमंग के ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम हैंडल का सत्यापन
- 2–6 महीने की अवधि के लिए सोशल मीडिया का प्रबंधन करने के लिए डिजिटल मीडिया एजेंसी की सेवाओं को किराए पर लेने के लिए कार्य का विस्तार (भुगतान विपणन)
- थीम के आधार पर गणतंत्र दिवस झांकी 2019 के उत्पादन के लिए रचनात्मक एजेंसी की सेवाओं को किराए पर लेने के कार्य का विस्तार – औसत नागरिकों के जीवन पर और एक पूरे देश के रूप में परिवर्तनकारी प्रभाव को उजागर करता हुआ **डिजिटल इंडिया – उपस्थिति–रहित, नकदी रहित और कागज रहित सेवाओं के माध्यम से न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन**

IV. अभिनव सामान्य सेवा अवसंरचना पहल :

➢ डिजिलॉकरः

डिजिलॉकर अब 60 से अधिक संगठनों से 294 करोड़ से अधिक प्रामाणिक प्रमाणपत्रों तक पहुंच प्रदान करता है।
केंद्रीय और राज्य शिक्षा और कौशल विकास एजेंसियां डिजिलॉकर के लिए प्राथमिक केंद्र–बिंदु रही हैं। शैक्षणिक और कौशल प्रमाण पत्रों को स्टोर करने के लिए केंद्रीय भंडार की कमी कई शिक्षा एजेंसियों के साथ एक आम समस्या थी। डिजिलॉकर अब इन एजेंसियों को बिना किसी कीमत पर एक साझा भंडार सेवा प्रदान करता है। लगभग 15 शिक्षा बोर्ड, कौशल विकास एजेंसियां और तकनीकी शिक्षा परिषद डिजिलॉकर के माध्यम से डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान कर रहे हैं। सीबीएसई ने केरला के छात्रों को डिजिटल प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए विशेष अभियान भी चलाया है, जिन्होंने अपने स्कूल प्रमाण पत्र खो दिए हैं।

केरला में हालिया बाढ़ के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज खो गए या क्षतिग्रस्त हो गए। केरला सरकार ने केरल के निवासियों को खोए/क्षतिग्रस्त प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए 'प्रमाणपत्र अदालत (शिविर)' शुरू किया है। सरकार अब इन शिविरों के दौरान निवासियों के डिजीलॉकर खाते में डिजिटल प्रारूप में दस्तावेज उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। डिजीलॉकर को केरला में खो चुके प्रमाणपत्र की बहाली के लिए इसके बहु आवश्यक समर्थन प्रदान करने पर गर्व है।

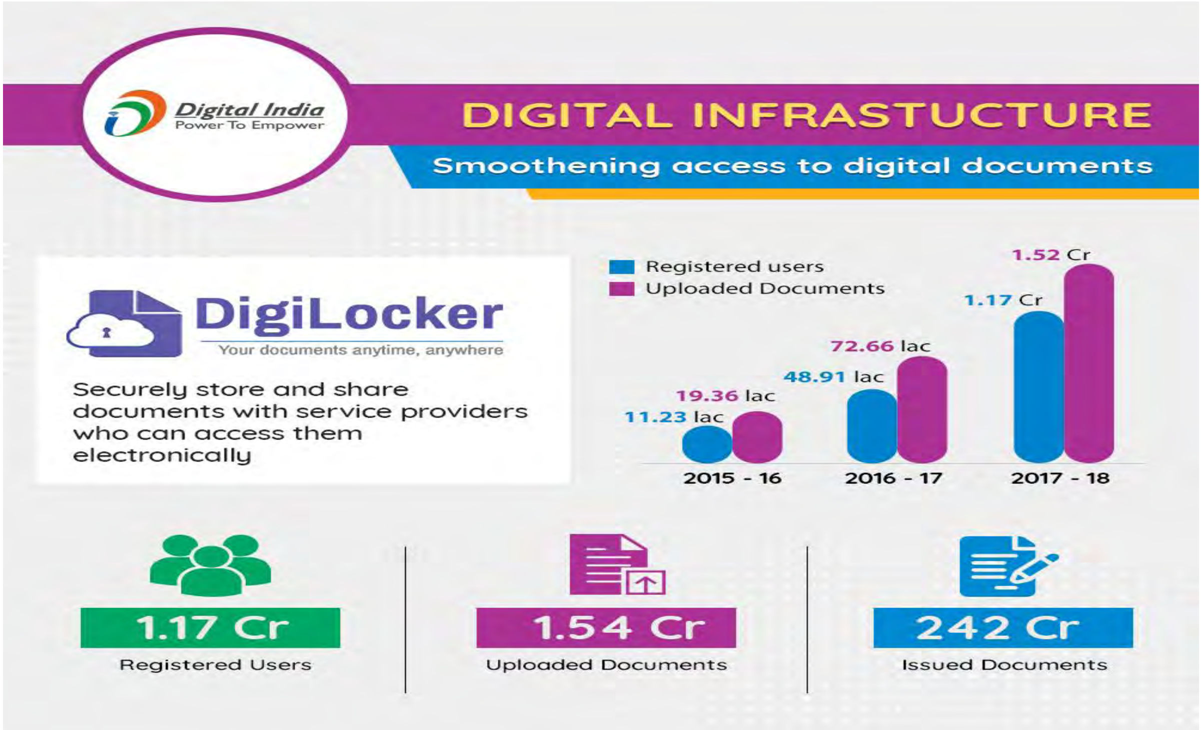

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य परिवहन विभागों को यह स्पष्ट करने के लिए एक परामर्श जारी किया है कि डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और डिजीलॉकर के माध्यम से प्रदान किए गए बीमा प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेज भौतिक दस्तावेजों के बराबर हैं। इसके अलावा, यह भी स्पष्ट किया गया है कि भौतिक दस्तावेज को अपनाना अब आवश्यक नहीं होगा क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण की स्थिति ई–चालान एप्लिकेशन का उपयोग करके ऑनलाइन अपडेट की जा सकती है। यह परामर्श भारत में एक कागज रहित ड्राइविंग अनुभव के करीब एक कदम है।

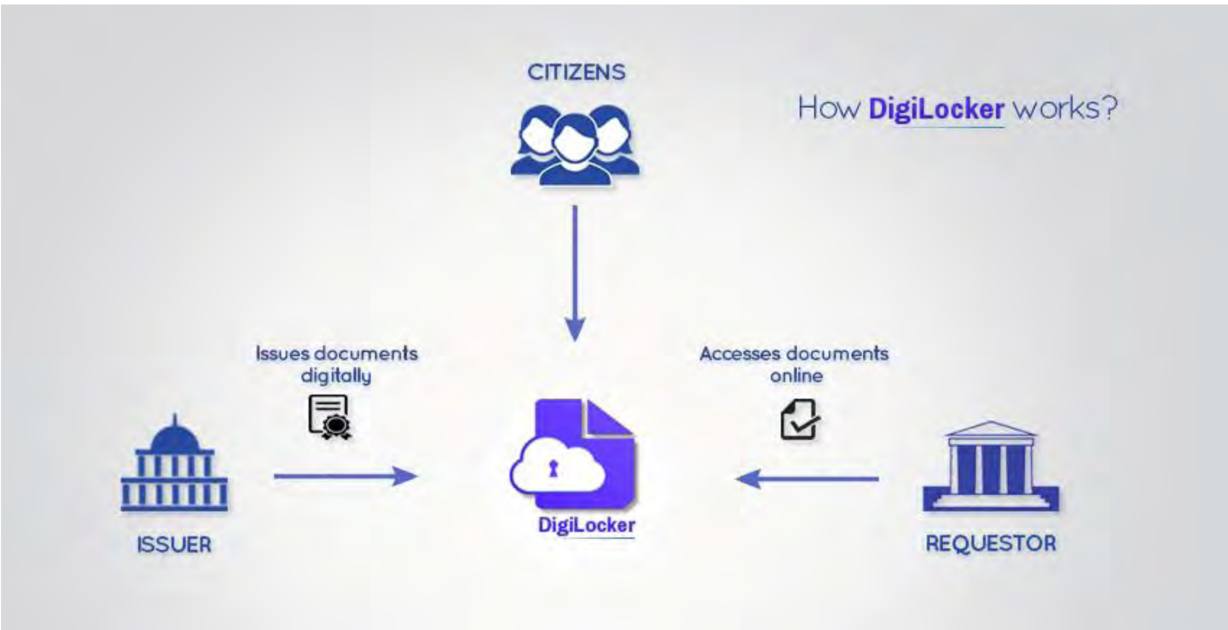

भारतीय रेलवे पर यात्रा करते समय डिजीलॉकर के माध्यम से प्रस्तुत ड्राइविंग लाइसेंस और आधार जैसे फोटो पहचान दस्तावेज को पहचान के वैध प्रमाण के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा। रेल मंत्रालय ने इस संबंध में जून 2018 में एक अधिसूचना जारी की। ओडिशा डिजीलॉकर के माध्यम से अधिकारों के रिकॉर्ड और बैनामा जैसे भूमि रिकॉर्ड दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया। इस सुविधा का उद्घाटन जुलाई 2018 में हुआ था। डिजीलॉकर के माध्यम से बीमा प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रमुख बीमा प्रदाताओं के साथ भी डिजीलॉकर काम कर रहा है। न्यू इंडिया एश्योरेंस और बजाज एलियांज अब डिजीलॉकर के माध्यम से डिजिटल बीमा प्रमाणपत्र प्रदान कर रहे हैं।

एक प्लेटफार्म पर लगभग 300 करोड़ दस्तावेजों तक पहुंच के साथ, डिजीलॉकर उन विभागों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज सत्यापन प्लेटफार्म बन सकता है, जिन्हें शैक्षिक प्रमाणपत्र, जन्म प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र आदि जैसे दस्तावेजों को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। डिजीलॉकर ने अब इस सुविधा को विभागों को उनकी इलेक्ट्रॉनिक सेवा वितरण में तेजी लाने में मदद करने के लिए पेश करना शुरू कर दिया है। यह सत्यापन प्लेटफार्म जल्द ही एक राष्ट्रीय डेटा एक्सचेंज प्लेटफार्म में विकसित होगा।

- **उमंग :**

उमंग को साइबर स्पेस पर वैश्विक सम्मेलन (GCCS) के दौरान माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 23 नवंबर 2017 के लिए देश को समर्पित किया गया। उमंग ने "बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस" पुरस्कार जीता, जिसे फरवरी 2018 में दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित 6वें विश्व सरकारी शिखर सम्मेलन के दौरान दिया गया। अभी तक, केंद्र सरकार/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की 208 सेवाएं 31 मार्च 2018 तक उमंग पर उपलब्ध थीं। उमंग ऐप 49 लाख उपयोगकर्ताओं द्वारा इन्सटाल्ड किया गया और गूगल प्ले स्टोर पर 4.4 की औसत रेटिंग हैं।

उमंग प्लेटफार्म पर 2.13 करोड़ से अधिक लेनदेन निष्पादित किए गए।

GCCS 2017, 23 नवंबर, 2017 को उमंग का शुभारंभ

- **राष्ट्रीय भूगर्भ विज्ञान केंद्र (NCoG):**

भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली (DSS) मंच राष्ट्रीय भूगर्भ विज्ञान केंद्र (NCoG) के तहत स्थापित किया गया है, जिसे 98.28 करोड के कुल परिव्यय के लिए 31.12.2015 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया।

प्लेटफार्म देश भर में साझाकरण, सहयोग, स्थान–आधारित विश्लेषण और निर्णय समर्थन प्रणाली, केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों के खानपान प्रबन्ध के लिए एक एकल स्रोत GIS प्लेटफार्म है। GIS प्लेटफार्म में मंत्रालयों/विभागों के एमआईएस डेटा के साथ एकीकृत होने का प्रावधान है।

निम्नलिखित GIS अनुप्रयोग का विकास किया गया / कार्यान्वयनाधीन है:

i. औद्योगिक सूचना प्रणाली (DIPP): औद्योगिक क्षेत्रों, क्षेत्रों, पार्को आदि के लिए GIS आधारित मास्टर प्लान।
ii. कोयला खनन निगरानी प्रणाली (कोयला मंत्रालय) – कोयला क्षेत्र में हो रही किसी भी अवैध कोयला खनन गतिविधि की निगरानी और नियंत्रण के लिए प्रणाली।
iii. पूर्वोत्तर राज्यों के लिए GIS (पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय): उत्तर पूर्व क्षेत्र की संपत्ति का मापन।
iv. सड़क सूचना प्रणाली (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय): भू–मानचित्रण मार्ग की वर्तमान स्थिति, राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों आदि की बाधाएं।
v. दिल्ली पुलिस GIS प्रणाली और डार्क स्पॉट क्षेत्र (गृह मंत्रालय) के लिए मोबाइल ऐप: दिल्ली में बिजली के खंभे और अंधेरे क्षेत्रों की परिचालन स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए वेब/मोबाइल आधारित अनुप्रयोग।
vi. त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और मरम्मत, जल निकायों का नवीनीकरण और जीर्णोद्धार के तहत जल संसाधनों का मापन (जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय)।
vii. NHAI के लिए जीआईएस प्रणाली (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) : बुनियादी विवरणों, निर्माण प्रगति मैट्रिक्स, भूमि की स्थिति, निकासी की स्थिति, वाणिज्यिक संचालन, फोकस परियोजनाओं के लिए उन्नत विश्लेषण के साथ–साथ राष्ट्रीय राजमार्ग का मापन।
viii. मृदा सूचना प्रणाली – GIS प्लेटफॉर्म पर फसल सिफारिशों सहित मृदा सूचना का प्रतिनिधित्व करने के लिए NBSS&LUP मिट्टी सर्वेक्षण डेटा (कृषि मंत्रालय) के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड का एकीकरण।

ix. कंपनियों की गिरवी रखी गई भूमि परिसंपत्तियों का मानचित्रण (कॉर्पोरेट मंत्रालय) – प्रतिनिधित्व करने के लिए GIS आधारित अनुप्रयोग।

x. रसद सूचना प्रणाली (वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय)

xi. इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण इकाइयो का मानचित्रण – MeitY

xii. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) के अनुप्रयोग

xiii. तेलंगाना, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और त्रिपुरा जैसे राज्यों के लिए GIS आधारित अनुप्रयोग।

xiv. 115 आकांक्षात्मक जिलों के तहत प्रगति की निगरानी के लिए जीआईएस आधारित प्रणाली (नीती आयोग) : इस परियोजना के तहत, 65 जिलों के लिए GIS पोर्टल्स से संबंधित पोर्टल को परिचालन योग्य बनाया गया है (अनुलग्नक देखें)।

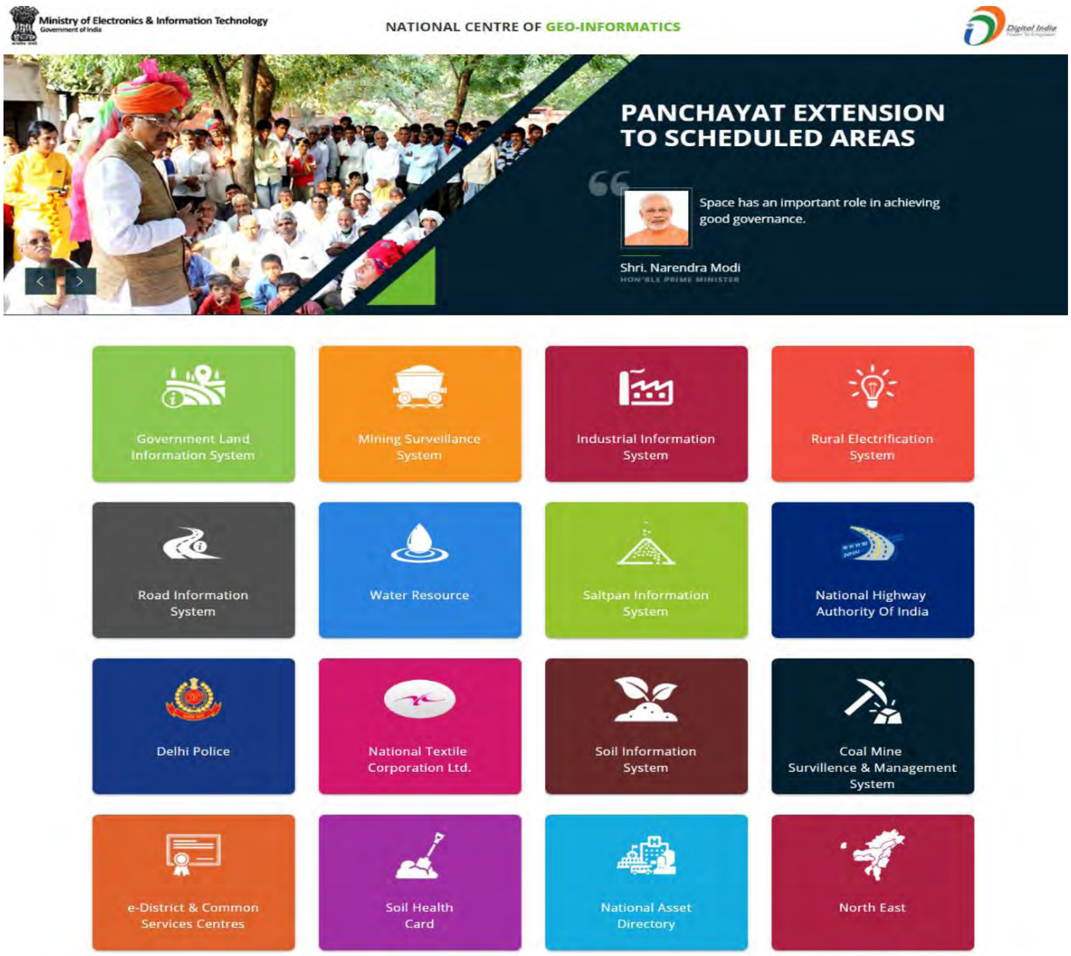

NCoG निम्नलिखित नई परियोजनाओं पर भी कार्य कर रहा है :

i. भौगोलिक संकेतक वेब पोर्टल – औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के तहत भौगोलिक संकेत के GIS मापन को बढ़ावा देने और शुरू करने के लिए एक वेब पोर्टल।

ii. अनुसंधान और विकास गतिविधियों को अधिकृत करने के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार सहायता केंद्र का प्रबंधन करने के लिए एक डैशबोर्ड भी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के लिए बनाया जा रहा है।

iii. दिल्ली पुलिस –'दिल्ली पुलिस वन टच अवे' का डिजाइन, विकास, समामेलन और रख–रखाव – एक नागरिक केंद्रित ऐप जिसमें पिछले ऐप या वेब एप्लिकेशन के माध्यम से दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदान की गई 26 से अधिक सेवाएँ हैं।

iv. आयुष्मान भारत (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय): स्वास्थ्य सुविधाओं (प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक देखभाल सहित) के बुनियादी ढांचे और रोग स्तर का मापन और नए स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के लिए योजना बनाने के लिए अंतराल की पहचान करना।

v. सांस्कृतिक मानचित्रण पर राष्ट्रीय मिशन का कार्यान्वयन (संस्कृति मंत्रालय)।

➢ **त्वरित आकलन प्रणाली (RAS)**

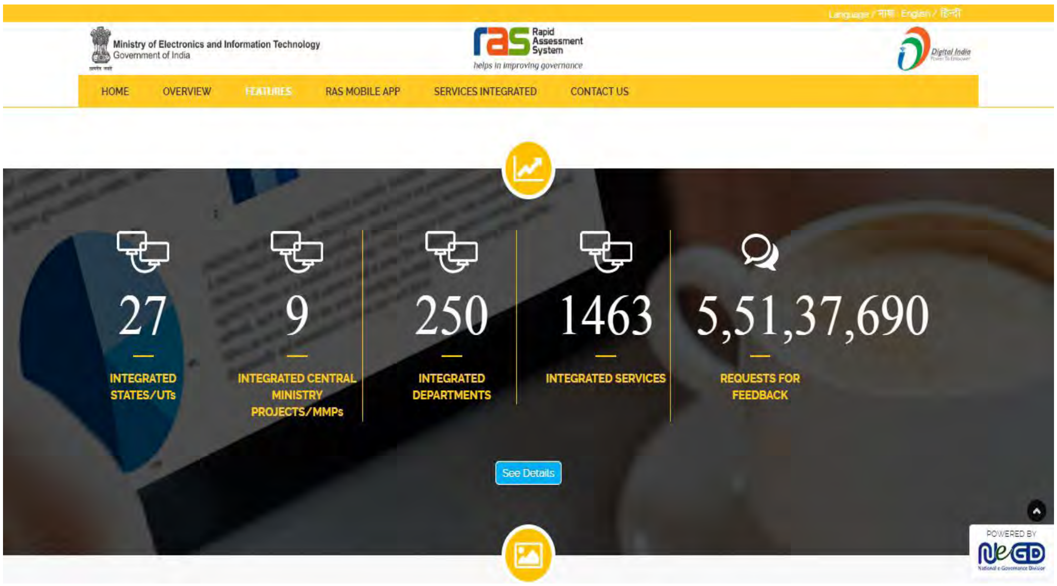

त्वरित आकलन प्रणाली (RAS) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा ई–सेवाओं के लिए ऑनलाइन प्रतिक्रिया के लिए है।यह नागरिकों को इन सेवाओं का लाभ उठाने, इन सेवाओं के लिए तत्काल प्रतिक्रिया देने के लिए अवसर प्रदान करता है। यह उनकी प्रतिक्रियाएं एकत्रित करता है और संबंधित राज्य के लिए कुछ रिपोर्ट और डैशबोर्ड तैयार करता है। RAS की विश्लेषणात्मक विशेषताएं निरंतर प्रणाली सुधार और सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए एकीकृत विभागों की सहायता करती हैं। अभी तक इसे 28 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के 245 विभागों और 8 केंद्रीय परियोजनाओं की 1398 सेवाओं के साथ एकीकृत किया गया है। प्रतिक्रिया के लिए 5 करोड़ से अधिक अनुरोध अब तक किए गए हैं।

➢ **सरकारी ई–मार्केटप्लेस (GeM)**

भ्रष्टाचार को हटाने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए इस शासन की प्रतिबद्धता का यह एक और उदाहरण है। GeM पर किए गए खरीद में करीब 10 फीसदी की बचत देखी गई है। विश्व बैंक सार्वजनिक खरीद में भारत के नवाचार का अध्ययन कर रहा है।

भारत सरकार ने विभिन्न सरकारी संगठनों द्वारा आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की ऑन–लाइन खरीद की सुविधा के लिए एक सरकारी ई–मार्केटप्लेस का निर्माण किया है। पोर्टल को भारतीय ई–गवर्नेंस डिवीजन (NeGD), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय (DGS&D) द्वारा विकसित किया गया है। पोर्टल 9 अगस्त 2016 को श्रीमती निर्मला सीतारामन, माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) वाणिज्य एवं उद्योग, भारत सरकार द्वारा लॉन्च

किया गया। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंर्तगत लागू की गई सरकारी ई–मार्केट प्लेस एक और पहल है जो ''व्यवसाय करने में सरलता'' और ''मेक इन इंडिया'' को और मजबूत करेगी।

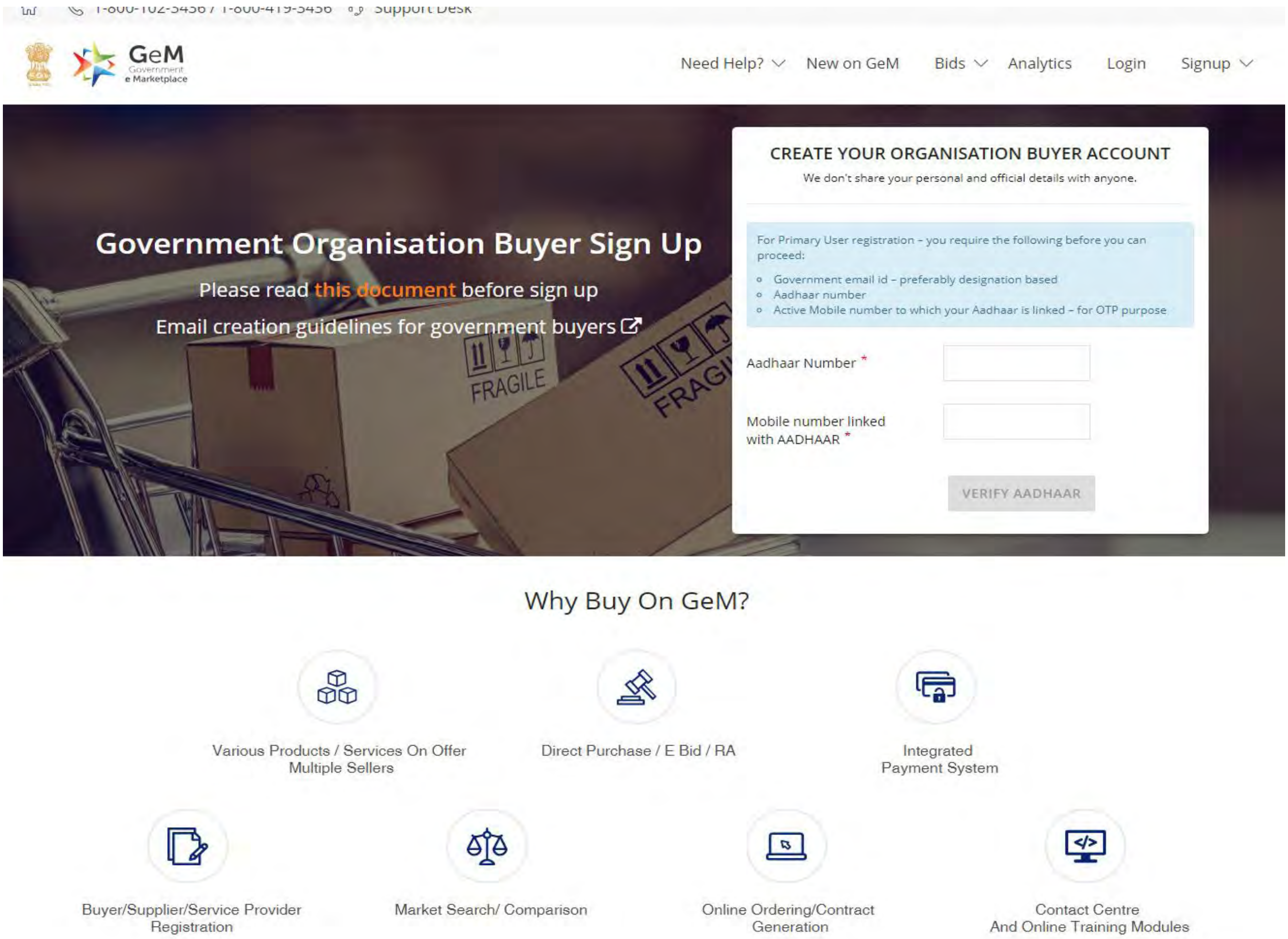

GeM प्लेटफार्म प्रतिस्पर्धी मूल्य पर खरीद में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता की सुविधा प्रदान करता है। प्लेटफार्म आधार, पैन, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, पीएफएमएस, भुगतान गेटवे इत्यादि के साथ एकीकृत है और

इसमें सरकारी खरीदारों और विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं के लिए आसान पंजीकरण प्रक्रिया की सुविधा है। सरकारी खरीदार सीधे वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकते हैं या बोली–प्रक्रिया और उल्टी नीलामी के माध्यम से खरीद सकते हैं। पोर्टल विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को अपने उत्पादों को बेचने या प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी विभागों तक सरलता से पहुंच प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। यह सरकारी विभागों को उत्पादों या सेवाओं की खरीद के लिए अपने विक्रेताओं / सेवा प्रदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान करने में सक्षम बनाता है।
देश भर में 28,954 से अधिक विक्रेता एयर कंडीशनर, प्रिंटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, पानी की बोतलें आदि सहित 140,407 से अधिक उत्पाद 10,183 खरीदार संगठनों को उपलब्ध करा रहे हैं। परिवहन सेवाओं, स्कैनिंग और डिजिटलीकरण सेवाओं, आईटी पेशेवर सेवाओं आदि सहित 17 विभिन्न प्रकार की सेवाओं की पेशकश की जा रही है और अधिक से अधिक वस्तुऐं और सेवाएं तेजी से पेश की जा रही हैं।

4. माईगोव

माईगोव एक अनूठी अग्रणी पहल है, जिसे 26 जुलाई 2014 को भारत के माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किया गया था। यह अपनी किस्म की पहली और अनूठी शासन **सहभागी** पहल है जिसमें आम जनता बड़ी संख्या में शामिल है। माईगोव का विचार भारत के सामाजिक और आर्थिक बदलाव में योगदान देने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए आम नागरिकों और विशेषज्ञों को शामिल करके विचारों एवं दृष्टिकोणों के आदान–प्रदान के लिए एक इंटरफेस का सृजन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके सरकार को आम आदमी के करीब लाता है।
पिछले एक वर्ष में माईगोव न केवल नागरिक और सरकार के बीच अंतर को पाटने में सफल रहा है, बल्कि विभिन्न सरकारी पहलों में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को भी सक्षम करने में भी सफल रहा है। इस अवधि में 2017 अप्रैल में लगभग 43 लाख से मार्च 2018 तक 53 लाख तक उपयोगकर्ता में वृद्धि देखी गई।

इस वार्षिक अवधि के दौरान माईगोव विभिन्न चर्चाओं जैसे स्मार्ट सिटी पर चर्चा, TRAI द्वारा 700/800/900/1800/2100/2300/2500/3300-400/3400-3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम की नीलामी पर परामर्श पत्र पर चर्चा, ड्राफ्ट टेलीकम्यूनिकेशन मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी रेगुलेशन, 2017 पर चर्चा, प्रधान मंत्री के स्वतंत्रता दिवस भाषण 2017 के लिए आमंत्रित सुझावों पर चर्चा, आदि की मेजबानी करने में सक्षम रहा। माईगोव ने पिछले एक वर्ष में विभिन्न राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम और नीतियों के लिए नागरिकों को लोगो/डिजाइन/टैगलाइन के रूप में अपनी रचनात्मकता को साझा करने के लिए मंच प्रदान किया। इस तरह की कुछ पहलों में IRSDC के लिए लोगो और पंचलाइन, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के लिए लोगो, राष्ट्रीय पोषण मिशन का लोगो और टैगलाइन प्रतियोगिता, खेलो इंडिया के लिए लोगो डिजाइन आदि शामिल हैं।

माईगोव ने मंत्रालयों के साथ मिलकर हैकाथॉन और नवाचार चुनौती को शुरू करने के लिए नागरिकों को जमीनी पहलों में विभिन्न तरीकों से शामिल किया। 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 में 20000 से अधिक लोगों की भागीदारी देखी गई।

माईगोव ने पहली बार पद्म पुरस्कारों के इर्द–गिर्द एक अभिनव प्रतियोगिता शुरू करके आम नागरिकों को राष्ट्रपति भवन की भव्यता का गवाह बनाया। 2018 में लगभग 60 माईगोव उपयोगकर्ताओं को राष्ट्रपति भवन में नागरिक अलंकरण देखने का अवसर मिला।

इस अवधि में माईगोव ने प्रधानमंत्री के मासिक मन की बात उपाख्यान के लिए हजारों सुझावों को भी एकत्रित किया।

माईगोव ने छात्रों को फरवरी 2018 को MHRD द्वारा आयोजित परिक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधान मंत्री को सुनने का अवसर प्रदान किया।

5. धारा 186 के तहत ऋणों, गारंटी या निवेशों के विवरण :

कंपनी ने वर्ष के दौरान ऐसा कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं किया है और न की कोई निवेश किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत आता हों।

6. संबंधित पक्षों के साथ संविदा या समझौतों का विवरण (धारा 188) :

कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 134 (3) (h) के अनुसरण में संबंधित पक्षों के साथ सौदों से संबंधित सूचनाः **शून्य**

7. कर्मचारियों के विवरण

कंपनी (प्रबंधक वर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 की के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम की धारा 2013 के नियम 197 के उपबंधों के अनुसार, वर्ष के दौरान प्रतिमाह 5,00,000 रु. या अधिक राशि या प्रतिवर्ष 60,00,000 रु. या अधिक राशि प्राप्त करने वाले कर्मचारियों के विवरणः **शून्य**

8. वार्षिक विवरणी का सार

कंपनी अधिनियम की धारा 92(3) के अनुसार, वार्षिक विवरणी का सार विनिर्धारित फार्म एमजीटी 9 में अनुलग्नक I के रूप में संलग्न है, जो इस रिपोर्ट का भाग है।

9. निदेशक मंडल

पिछली वार्षिक महासभा के बाद, निम्नलिखित निदेशक डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में नहीं रह गए हैः

- श्री अल्फांस कन्ननधनम, माननीय राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार, 15 मई, 2018 से
- सुश्री नीता वर्मा, सीईओ, माईगोव, 6 फरवरी, 2018 से
- श्री संजीव गुप्ता, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, 27 फरवरी, 2018 से
- श्री संजय कुमार राकेश, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डिजिटल इंडिया **कॉर्पोरेशन** 12 सितंबर, 2018 से
- सुश्री अनुराधा मित्रा, अतिरिक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, 20 सितंबर 2018 से
-

कंपनी के निदेशकगण उपरोक्त निदेशकों द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान किए गए बहुमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त करते हैं।

निम्नलिखित निदेशकों को डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के निदेशक मंडल में शामिल/नियुक्त किया गया :

- श्री अरविंद गुप्ता, सीईओ, माईगोव, क्पहपजंस डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, 12 फरवरी, 2018 से
- श्री संजय कुमार राकेश, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, 6 मार्च 2018 से
- श्री एस.एस. अहलूवालिया, माननीय राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, भारत सरकार (पदेन निदेशक 16 मई, 2018 से)
- श्री एम. एस. राव, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डिजिटल इंडिया **कॉर्पोरेशन** 19 सितंबर, 2018 से

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152 (6) के प्रावधान के अनुसार, **श्री किरण कार्णिक** नियमित आवर्तन नीति के तहत आगामी वार्षिक आम बैठक से सेवामुक्त होंगे और निदेशकों के रूप में पुनः नियुक्ति के लिए योग्य होंगे।

10. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और संबंधित नियमों में परिभाषित 'कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व' के दायरे से कंपनी बाहर है। फिर भी, कंपनी अपने व्यापार, अपने कर्मचारियों और समाज की जिम्मेदारी को स्वीकार करती है, और हममें सामाजिक जिम्मेदारी की एक मजबूत भावना है।

11. निदेशकों का उत्तरदायित्व वक्तव्य

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के अनुपालन में]

कंपनी का निदेशक मंडल अपनी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और योग्यता के आधार पर अभिपुष्टि करता है कि :

i) वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का अनुपालन किया गया है;
ii) चुनी गई लेखांकन नीतियां निरंतर लागू की गई और निदेशकों ने ऐसे निर्णय लिए हैं और अनुमान लगाए हैं, जो तर्कसंगत और विवेकसम्मत हैं ताकि 31 मार्च, 2018 को समाप्त कंपनी की स्थिति और उक्त अवधि के लिए कंपनी के लाभ व हानि का सही और उचित विवरण दिया जा सके;
iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने और धोखाधड़ी तथा अन्य अनियमितताओं से बचने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्डों के रखरखाव हेतु उचित और पर्याप्त ध्यान दिया है;
iv) वार्षिक लेखे प्रचलित कार्य आधार पर तैयार किए हैं; और
v) सभी लागू कानूनों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की गई और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थी और प्रभावी तरीके से काम कर रही थी।

12. सहायता अनुदान

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2017–18 के दौरान, राष्ट्रीय ई–शासन विभाग को 67.07 करोड़ रु., माईगोव को 58.25 करोड़ रु., सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी को 11.96 करोड़ रु., इलेक्ट्रानिकी व आईटी हेतु **विश्वेश्वरय्या** पीएचडी योजना के लिए 53.30 करोड़ रु. और डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (टीडीडीडी) को 6.87 करोड़ का सहायता अनुदान प्रदान किया है जो कुल 197.45 करोड़ रुपये है।

13. सार्वजनिक जमाराशियां

कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अंतर्गत न तो कोई जमाराशि आमंत्रित की और न ही स्वीकार की।

14. सहायक कंपनी/संयुक्त उपक्रम/सहयोगी कंपनियों का विवरण :

कोई सहायक कंपनी, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनी नहीं हैं।

15. व्यावसाय की प्रकृति में परिवर्तन

कंपनी के कार्यकलापों की प्रकृति में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ।

कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नाम परिवर्तन के तहत निगमन के प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी का नाम 'मीडिया लैब एशिया' से बदलकर 'डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन' को 8 सितंबर, 2017 से प्रभावी कर दिया गया है। **मेमोरंडम और लेख के लेख परिवर्तनों को प्रतिबिंबित करने के लिए एसोसिएशन में संशोधन किया गया है। कंपनी का उद्देश्य आम आदमी के लिए सबसे उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ देना है। इसके अलावा, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल करने के लिए उद्देश्यों को संशोधित किया गया, और यह ई–हेल्थ / टेलीमेडिसिन, ई–कृषि, ई–पेमेंट्स आदि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने में शामिल है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बढ़ती नकदी रहित अर्थव्यवस्था की सलामती और सुरक्षा को बढ़ावा देता है और व्यापक स्वीकृति का सामना करने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। यह नवाचार को भी बढ़ावा देता है और डिजिटल पहलों के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए मॉडल विकसित करता है और सोशल मीडिया समेत विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से शासन सहभागिता को और प्रशासन में नागरिकों के जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है।**

वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण बदलाव और वचनबद्धताएं

कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाला ऐसा कोई महत्वपूर्ण बदलाव या वचनबद्धता नहीं दी गई जो वित्त वर्ष के अंत, जिससे तुलन पत्र संबंधित है और रिपोर्ट की तारीख के बीच में हुए हों।

16. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए निगरानी प्रणाली स्थापित करने का ब्यौरा :
निगरानी प्रणाली **लागू नहीं** है क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 177(9) के अंतर्गत नहीं आती है।

17. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणः
कंपनी के पास वित्तीय विवरणों, इसके प्रचालनों के आकार, विस्तार और जटिलता के अनुरूप पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण मौजूद हैं। वर्ष के दौरान, ऐसे नियंत्रणों का परीक्षण किया गया था और डिजाइन और प्रचालन में कोई महत्वपूर्ण खामी नहीं पाई गई सिवाय वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा किए गए अवलोकन की सीमा के और इसे बाद के अनुच्छेदों में बोर्ड द्वारा अलग से समझाया गया है। हालांकि, समीक्षा के तहत वर्ष के लिए खातों के संबंध में कोई वित्तीय अनियमितता या धोखाधड़ी नहीं है।

18. ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समाहन और विदेशी मुद्रा आय एवं निर्गम के विवरण

18.1 ऊर्जा संरक्षण
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन एक ऊर्जा सघन इकाई नहीं है। बहरहाल, सभी स्तरों पर ऊर्जा संरक्षण के सभी पूर्वोपाय किए गए हैं।

18.2 प्रौद्योगिकी
कंपनी अपने प्रमुख कार्य क्षेत्रों में नवीनतम प्रौद्योगिकियों के क्रियान्वयन के प्रति सजग है और अपने कार्य करने में नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग किया है।

19. विदेशी मुद्रा आय एवं निर्गम

विवरण	रुपये
विदेशी मुद्रा आय	शून्य
विदेशी मुद्रा निर्गम	1,589,900

20. जोखिम और आंतरिक पर्याप्तता
कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली इसकी गतिविधियों की प्रकृति और इसके संचालन के आकार और जटिलता के अनुरूप है। इनका नियमित परीक्षण किया जाता है। लेखा परीक्षा समिति को महत्वपूर्ण लेखा–जोखा और अनुवर्ती कार्रवाई की सूचना दी जाती है। लेखा समिति कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वातावरण की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की समीक्षा करती है और कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों और प्रणालियों को मजबूत करने से संबंधित ऑडिट सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी करती है।

21. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन
कंपनी ने सदैव कंपनी में कार्य करने वाले प्रत्येक कर्मचारी के लिए सुरक्षित और उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल मुहैया कराने में विश्वास किया है। कंपनी ने हमेशा ऐसा वातावरण तैयार करने और मुहैया कराने का प्रयास किया है जो यौन उत्पीड़न सहित सभी प्रकार के उत्पीड़न और भेदभाव से मुक्त हों।
यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुरूप डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति ("PSC") का गठन किया है। 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान, समिति को यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

22. लेखा परीक्षक
कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में, मैसर्स ए.पी. संजगिरि एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कार्यकाल कंपनी की आगामी वार्षिक महासभा के समापन के साथ समाप्त हो जाएगा। मैसर्स ए.पी. संजगिरि एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वर्ष 2014–15 से कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक है।
भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ने दिनांक 17 अगस्त, 2018 के अपने पत्रांक /CA-V/COY/CENTRALGOVERNMENT,media (2)/728 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए मैसर्स यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी, चार्टर्ड एकाउंटेंट, 2, समाधन, प्रथम ताल, अगरकर चौक, अंधेरी (ई), मुंबई – 400069 को कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में और मैसर्स मदन डोगरा और एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, बी 46, द्वितीय तल, कालकाजी, नई दिल्ली को वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए कंपनी के शाखा ऑडिटर के रूप में NeGD और माईगोव, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के डिवीजनल अकाउंट्स का ऑडिट करने के लिए नियुक्त किया है।
मैसर्स यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी, ने पुष्टि की है कि उनकी नियुक्ति, यदि की जाए, तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141 (3)(g) के तहत निर्धारित सीमाओं के अंदर होगी और कि वह नियुक्ति हेतु अयोग्य नहीं हैं। तदनुसार, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(2) के उपबंधों में अनुसार, निदेशक मंडल ने इस वार्षिक महासभा के समापन से 18वीं वार्षिक महासभा के

समापन तक कंपनी के वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में कार्यग्रहण करने हेतु मैसर्स यार्डी प्रभु एंड एसोसिएट्स एलएलपी की नियुक्ति की अनुशंसा की है।

कंपनी के निदेशक मंडल ने ए.पी. संजगिरि एंड कंपनी - चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों को सेवानिवृत्त करने के लिए प्रदान की गई सेवाओं के लिए उनकी सराहना की।

23.लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

कंपनी के सांविधिक लेखा परीक्षक ए.पी. संजगिरि एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की रिपोर्ट, इसके साथ संलग्न है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के ऑडिट किए गए वित्तीय विवरणों पर ऑडिटर्स रिपोर्ट में एक योग्य राय है। लेखा परीक्षकों की टिप्पणियों के लिए बोर्ड की प्रतिक्रिया नीचे दी गई है:

	परीक्षक की रिपोर्ट	प्रबंधन टिप्पणियां / जबाव
	योग्य राय के लिए आधार	
	जैसा कि नोट 29 में बताया गया है, कंपनी ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए एसएमएस गेटवे और आउटबाउंड डायलिंग सेवाओं से संबंधित प्रचार खर्चों का हिसाब नहीं दिया है जो कि कुल 11,73,41,785 / – है, हालांकि कंपनी द्वारा सेवाओं का उपयोग किया गया है। यह अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित प्रावधान और आकस्मिकताओं पर लेखांकन मानक 29 के अनुसार नहीं है। यदि उक्त खर्चों का लेखा–जोखा किया गया होता, तो अन्य चालू देनदारियों की राशि (व्यय के लिए) (नोट 6), सहायता अनुदान (नोट 15) और प्रशासन और अन्य व्यय के तहत विज्ञापन और सम्मेलन व्यय (नोट 19) में उतनी राशि की वृद्धि होती जबकि अन्य चालू देनदारियों (नोट 6) के तहत सहायता अनुदान में उतनी राशि कम हो जाती। हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट ऑडिटिंग (SAs) के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की ऑडिट अनुभाग के ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। । हम कंपनी के अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरा किया। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा प्राप्त ऑडिट सबूत हमारे योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।	माईगोव, डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने इस तथ्य का खुलासा विभाग के वित्तीय विवरणों के हिस्से वाली लेखा टिप्पणियों में किया है। लेखा टिप्पणियों में कहा गया है कि "वर्ष के दौरान माईगोव विभाग ने NICSI से एसएमएस गेटवे और आउट बाउंड डायलिंग (OBD) की सेवाओं का उपयोग किया है, जो प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए एक पंजीकृत विक्रेता है। धन की अपर्याप्तता के कारण, माईगोव डिवीजन ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए NICSI को कार्य आदेश जारी नहीं किया और उसने पिछले बिलिंग और NICSI द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर परिगणित 11,73,41,785 / – रुपये के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।" माईगोव ने स्पष्ट किया है कि PRSG ने माईगोव को लगभग 12 करोड़ रुपये की निधि की सिफारिश की है और विभाग चालू वित्तीय वर्ष में कार्य–आदेश और व्यय लेखा जारी करने की स्थिति में होगा।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के संबंध में सांविधिक लेखा परीक्षकों का अवलोकन और इस अवलोकन पर कंपनी की टिप्पणियां निम्नानुसार हैं :

अवलोकन क्र.	परीक्षक का अवलोकन	प्रबंधन टिप्पणियां / जबाव
a)	कंपनी के प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग के पास परियोजना कार्यान्वयन संस्थानों द्वारा खरीदी गई अचल परिसंपत्तियों के स्वतंत्र भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया नहीं है।	प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन प्रभाग (TDDD) ने स्पष्ट किया कि वे 150 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन संस्थानों के साथ कार्य कर रहे हैं और इन संस्थानों के साथ जुड़ी संपत्तियों का भौतिक रूप से सत्यापित करना मुश्किल है। इसलिए, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन प्रभाग परियोजना

		कार्यान्वियन करने वाली संस्थाओं द्वारा प्रदान किए गए लेखापरीक्षित (चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित) या प्रमाणित (संस्था प्रमुख द्वारा प्रमाणित) अचल परिसंपत्ति रजिस्टर पर निर्भर करता है। परियोजनाओं के तहत इन संस्थानों द्वारा खरीदी गई संपत्तियों पर नजर रखने के लिए, इन परियोजना कार्यान्वयन संस्थानों से एक संचयी अचल संपत्ति रजिस्टर प्राप्त किया जाएगा।
b)	कंपनी के राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस डिवीजन के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में निम्नलिखित भौतिक कमजोरियां हैं : 1. आउटसोर्स भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं और अन्य राज्यों, संस्थानों और संगठनों की विभिन्न परियोजनाएं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान (NISG) को दिए गए धन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट या संस्थानों/विभागों के प्रमुख द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्रों को प्राप्त करने के लिए कोई नियंत्रण नहीं। 2. NISG द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं के लिए आउटसोर्स की गई एजेंसी का मानव संसाधन लेखा परीक्षण नहीं किया गया। 3. खर्चों के प्रावधान को स्वीकार करते समय, जब एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है, जिसके लिए दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होती है, जो संभवतः खर्चों के गलत अनुमान में पड़ सकता है। 4. मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य से संपत्ति का उपयोग करने की तारीख सहित मूर्त और अमूर्त संपत्ति की गैर पहचान और पूंजीकरण।	NeGD ने उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करने, खर्चों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने, मानव संसाधन लेखा परीक्षा और परिसंपत्तियों की पहचान और पूंजीकरण करने के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा, यह बताया गया कि वित्त वर्ष 2018–19 से आंतरिक लेखा परीक्षक की नियुक्ति की जा रही है, जिससे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की भी उम्मीद है।
c)	कंपनी के माईगोव के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में निम्नलिखित भौतिक कमजोरियां हैं : 1. खर्चों के प्रावधान को स्वीकार करते समय, जब एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है, जिसके लिए दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होती है, जो संभवतः खर्चों के गलत अनुमान में पड़ सकता है। 2. मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य से संपत्ति का उपयोग करने की तारीख सहित मूर्त और अमूर्त संपत्ति की गैर पहचान और पूंजीकरण।	माईगोव ने खर्चों के लिए पर्याप्त प्रावधान करने और परिसंपत्तियों की पहचान और पूंजीकरण के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं।

24. आभार

निदेशक मंडल इलेक्ट्रॉनिक्स औरं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, राज्य सरकार और संबंधित सरकारी विभागों/एजेंसियों, कार्यान्वयन एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों और बैंकों से मिले बहुमूल्य सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के संचालन में सभी कर्मचारियों और अधिकारियों का भी उनके योगदान के लिए आत्मीय आभार व्यक्त करते हैं।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

स्थानः नई दिल्ली	**एम. एस. राव**	**अरविंद गुप्ता**
दिनांकः 28 जनवरी 2019	प्रबंध निदेशक और सीईओ	निदेशक
	[DIN - 08073419]	[DIN - 00090360]

अनुलग्नक – 1
फार्म संख्या एमजीटी – 9
वार्षिक विवरणी का सार
31 मार्च 2018 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) और कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में।]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण :

i.	CIN	:	U72900MH2001NPL133410
ii.	पंजीकरण दिनांक	:	20 सितंबर, 2001
iii.	कंपनी का नाम	:	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
iv.	कंपनी की श्रेणी / उप–श्रेणी	:	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत निगमित। सरकारी कंपनी, जिसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है।
v.	कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	:	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन चतुर्थ तल, समृद्धि वेन्चर पार्क, सेंट्रल एमआईडीसी रोड, अंधेरी (ईस्ट), मुंबई, महाराष्ट्र, पिन – 400093 टेलीफोन : (022) 28312931 / 28327505 फैक्स : (022) 8379158
vi.	कंपनी सूचीबद्ध है (हां / नहीं)	:	नहीं
vii.	रजिस्ट्रार व हस्तांतरण एजेंट (आरटीए) का नाम और पता, अगर कोई हों	:	लागू नहीं

II. कंपनी की कारोबार संबंधी प्रमुख गतिविधियां :

कंपनी के टर्नओवर में 10 प्रतिशत या अधिक का योगदान देने वाली करोबार संबंधी प्रमुख गतिविधियां नीचे दी गई हैं :–

क्र.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद / सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर से प्रतिशत
1	आम आदमी के लाभ के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिकी में अनुसंधान, विकास और परिनियोजन	लागू नहीं	शून्य

III. होल्डिंग, सहायक कंपनी और एसोसिएट कंपनियों के विवरणः शून्य

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी के अलग–अलग विवरण) :

कंपनी के पास कोई शेयर पूंजी नहीं है।

i.	श्रेणी–वार शेयर धारिता	:	लागू नहीं
ii.	श्रेणी–वार शेयर धारिता	:	लागू नहीं
iii.	प्रवर्तकों की शेयर धारिता में परिवर्तन	:	लागू नहीं

iv.	शीर्ष दस शेयरधारकों (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर धारकों के अलावा) की शेयर धारिता का स्वरूप	:	लागू नहीं
v.	निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयर धारिता	:	लागू नहीं

V. ऋणभार

देय ब्याज/उपार्जित सहित कंपनी का ऋणभार मगर भुगतान के लिए देय नहीं

विवरण	जमाओं को छोड़कर प्रतिभूत ऋण	अप्रतिभूत ऋण	जमा राशियां	कुल ऋणभार
वित्त वर्ष के प्रारंभ में कुल ऋणभार				
i) मूलधन राशि ii) देय ब्याज मगर अदा नहीं किया गया iii) उपार्जित ब्याज मगर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्त वर्ष के दौरान ऋणभार में परिवर्तन				
• जोड़ा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
• घटाया	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध परिवर्तन	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**
वित्त वर्ष के प्रारंभ में कुल ऋणभार				
i) मूलधन राशि ii) देय ब्याज मगर अदा नहीं किया गया iii) उपार्जित ब्याज मगर देय नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i+ii+iii)	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**	**शून्य**

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधकों का पारिश्रमिकः लागू नहीं
ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिकः लागू नहीं
ग. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिकः लागू नहीं

VI. निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

A. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधकों का पारिश्रमिक : लागू नहीं
B. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक : लागू नहीं
C. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशकों के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक : लागू नहीं

VII. अर्थदंड / दंड / अपराध का समाधान :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	अर्थदंड / दंड / लगाया गया कुल शुल्क का ब्यौरा	प्राधिकरण / (आरडी / एनसीएलटी / न्यायालय)	दायर की याचिका, अगर कोई हों (ब्यौरा दें)
A. कंपनी					
अर्थदंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सजा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समाधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
B. निदेशक					
अर्थदंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सजा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समाधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
C. अन्य डिफॉल्ट अधिकारी					
अर्थदंड	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सजा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
समाधान	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

एम, एस, राव
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[DIN – 08073419]

अरविंद गुप्ता
निदेशक
[DIN – 00090360]

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1 हमने **डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) ("कंपनी")** के सहवर्ती वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है जिनमें 31 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार तुलन–पत्र, और तत्कालीन समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय का विवरण, रोकड़ प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना का संक्षेप सम्मिलित है।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधक–वर्ग का उत्तरदायित्व

2. कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 **("अधिनियम")** की धारा 134(5) के अंतर्गत, कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 की धारा 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार, कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और रोकड़ प्रवाह की सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करने वाले इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में जालसाजी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और इनका पता लगाने और कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने के लिए अधिनियम के उपबंध के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्ड रखना; उचित लेखांकन नीतियों का चयन करना और प्रयोग करना निर्णय लेना और अनुमान लगाना, जो उपयुक्त और वास्तविक हैं और आंतरिक नियंत्रण को तैयार, कार्यान्वित और रखरखाव करना, जो लेखांकन रिकार्ड की सटीकता और संपूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कारगर ढंग से काम कर रहे थे और जो वित्तीय विवरण तैयार करने और प्रस्तुत करने के लिए प्रासंगिक थे और जो वास्तविक और निष्पक्ष तस्वीर प्रस्तुत करते हैं और वस्तुपरक मिथ्यकथन, चाहे जालसाजी के कारण हों या गलती से हों, से मुक्त हों, शामिल हैं।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, एक लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के रूप में जारी रखने की कंपनी की क्षमता का आकलन, प्रकटीकरण, लागू होने, संस्थान से संबंधित मामले और लेखांकन के आधार का उपयोग करने के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, पर जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने या संचालन बंद करने का इरादा नहीं रखता है, या ऐसा करने के लिए कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं हों।

कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख करने के लिए निदेशक मंडल भी जिम्मेदार हैं।

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

3. हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपने विचार व्यक्त करें। हमने अधिनियमों के उपबंधों, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और मामलों को शामिल किया है जो अधिनियम के उपबंधों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल करने जरूरी हैं।

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि पूरी तरह से वित्तीय विवरण भौतिक गलतफहमी से मुक्त हैं, भले ही धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट जारी करने के लिए हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन, उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि विनिर्दिष्ट ऑडिटिंग (SAs) के अनुसार आयोजित लेखापरीक्षण हमेशा मौजूद भौतिक गलती का पता लगाएगा। गलतफहमी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इन्हें गलती माना जा सकता है यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर ये वित्तीय विवरणों के आधार पर उठाए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करते हो

लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में उल्लेखित रकमों एवं प्रकटनों के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निश्चित पद्धतियों को संपन्न करना अंतर्निहित होता है। ये चयनित पद्धतियाँ लेखापरीक्षक के विवेक पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणों की वस्तुपरक गलतबयानी के, भले वह जालसाजी या त्रुटि के कारण हो, जोखिमों का मूल्यांकन सम्मिलित होता है।ये जोखिम मूल्यांकन करने में, लेखापरीक्षक कंपनी द्वारा वित्तीय विवरण की तैयारी एवं निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करते हैं ताकि उन परिस्थितियों में उपयुक्त लेखापरीक्षा पद्धतियों की रूपरेखा बनाई जा सके लेकिन यह कंपनी के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावोत्पादकता के बारे में राय व्यक्त करने के प्रयोजनार्थ नहीं होती है। लेखापरीक्षा में प्रयुक्त लेखांकन नीतियों और प्रबंधक–वर्ग द्वारा लेखांकन प्राक्कलनों के औचित्य का मूल्यांकन करना भी, और वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करना सम्मिलित है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी लेखापरीक्षा राय हेतु एक आधार उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं।

योग्य राय

4. हमारी राय में, और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित विधि से देते हैं और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2018 को कंपनी के मामलों और उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसकी आय/व्यय और इसके रोकड़ प्रवाह की एक सत्य एवं निष्पक्ष तस्वीर दिखाते हैं।

योग्य राय के लिए आधार

5. जैसा कि नोट 29 में बताया गया है, कंपनी जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए एसएमएस गेटवे और आउटबाउंड डायलिंग सेवाओं से संबंधित कुल 11,73,41,785/– के प्रचार खर्च के लिए जिम्मेदार नहीं है, हालांकि सेवाओं का उपयोग कंपनी द्वारा किया गया है। यह अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित प्रावधानों और आकस्मिकताओं पर लेखा मानक 29 के अनुसार नहीं है। अगर उपर्युक्त खर्च किया गया हैं, तो अन्य मौजूदा देनदारियों (व्यय के लिए) (नोट 6), सहायता आय में अनुदान (नोट 15) और प्रशासन और अन्य व्यय (नोट 19) के तहत विज्ञापन और सम्मेलन व्यय में उतनी ही राशि की वृद्धि होगी जबकि अन्य मौजूदा देनदारियों (नोट 6) के तहत सहायता में अनुदान से उतनी ही राशि कम हो गयी होगी।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट ऑडिटिंग (SAs) के मानक के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा का पालन किया है, उन मानक के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय वक्तव्यों के लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा जारी किए गए नैतिकता संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार हमारी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है । हमारा मानना है कि हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख विषयवस्तु

6. हम वित्तीय विवरणों के लिए टिप्पणियों में निम्नलिखित मामलों के प्रति ध्यान आकर्षित करते हैं:

(क) हम 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान अर्जित पूंजी व्यय और ब्याज समेत व्यय के लिए खातों के विवरणों के रूप में क्रमशः 22,50,21,120/– रुपये और 14,11,038/– रुपये के लेखा विवरणों पर निर्भर रहे हैं और ये सही पाए गए, जो कि 104 संस्थानों / विभागों से प्राप्त किए गए हैं,, और जो अन्य चार्टड एकाउंटेंट्स से प्रमाणन के आधार पर कंपनी की लेखा बहियों में शामिल किए गए हैं (टिप्पणी 28 देखें)।

(ख) हम 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान अर्जित पूंजी व्यय और ब्याज समेत व्यय के लिए खातों के विवरणों के रूप में क्रमशः 99,30,78,668/– रुपये और 23,14,230/– रुपये के लेखा विवरणों पर निर्भर रहे हैं जो कि 104 संस्थानों / विभागों से प्राप्त किए गए हैं,, और जो संबंधित संस्थानों/विभागों के प्रमुखों से प्रमाणन के आधार पर कंपनी की लेखा बहियों में शामिल किए गए हैं। ये लेखें संबंधित संस्थानों/विभागों के चार्टर्ड एकाउंटेंट की लेखा परीक्षा के अध्यधीन हैं (टिप्पणी 28 देखें)।

(ग) 31 मार्च, 2018 को संस्थाओं/विभागों को दी गई निश्चित और बकाया कुल अग्रिम राशि रु 42,87,25,534/–, में से 102 संस्थानों/विभागों को दी गई अग्रिम राशि, 11,68,92,726/– एक वर्ष से अधिक की अवधि से बकाया हैं, और 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के दौरान खातों का विवरण और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ हैं (नोट 28 देखें)।

परिणामी समायोजनों की सीमा, यदि कोई हो, जो उपर्युक्त विभाग/संस्थान से व्यय, अर्जित ब्याज और अचल परिसंपत्तियों के अंकेक्षित विवरण प्राप्त होने पर प्रोद्भूत होगी, इस समय निधार्य नहीं है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं है।

अन्य विधायी एवं विनियामक अपेक्षाओं के संबंध में रिपोर्ट

7. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के अनुसार हमने अनुलग्नक I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर वक्तव्य दिया है।

8. इस रिपोर्ट में, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुपालन में भारत की केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए कंपनी (लेखापरीक्षक प्रतिवेदन) आदेश, 2016 ("आदेश") में विनिर्दिष्ट मामलों के संबंध में वक्तव्य सम्मिलित नहीं है क्योंकि हमारी राय और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त आदेश कंपनी पर लागू नहीं है।

9. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वह सभी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षण के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ख) हमारी राय में, कंपनी के कानून द्वारा यथा अपेक्षित लेखा खाते रखे गए हैं, जहां कि इन खातों की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग) इस रिपोर्ट में सम्मिलित तुलन–पत्र, आय एवं व्यय विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं।

घ) हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानदंडों का अनुपालन करते हैं।

ङ) 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार निदेशकों से प्राप्त लिखित, और निदेशक मंडल द्वारा अभिलेख में लिए गए अभ्यावेदनों के आधार पर, कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संबंध में 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु अनर्हक नहीं था।

च) कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग और इस तरह के नियंत्रणों की संचालन क्षमता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संबंध में, इस रिपोर्ट के लिए "अनुलग्नक II" में हमारी अलग रिपोर्ट देखें।

छ) लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसारः

i. कंपनी का कोई लंबित मुकदमा नहीं है जो इसकी वित्तीय स्थित पर प्रभाव डाल सकता हो।
ii. कंपनी के पास व्युत्पादित संविदाओं सहित कोई दीर्घकालिक संविदा नहीं है, जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण निकट हानियां थी।
iii. ऐसी कोई धनराशियां नहीं थी जो कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में अंतरित करने के लिए अपेक्षित थी।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) के वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक I

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों पर टिप्पणियाँ

1. **रिपोर्ट करें कि क्या कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड के लिए स्पष्ट शीर्षक / पट्टे दस्तावेज है? यदि नहीं, तो फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड की जमीन का क्षेत्र बताएं, जिसके लिए शीर्षक / पट्टे के दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं?**
   प्रबंधन द्वारा हमें प्रदान सूचना, दस्तावेज और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई फ्रीहोल्ड प्रॉपर्टी नहीं है। लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी द्वारा पट्टेदार संपत्तियों के लिए स्पष्ट पट्टा दस्तावेज है
2. **इस बात की सूचना दें कि क्या ऋण/उधारी/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है, अगर हां तत्संबंधी कारण और इसमें शामिल राशि के बारे में बताएं।**
   लेखा परीक्षा के दौरान और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऋण/उधारी/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला/घटना नहीं थी।
3. **क्या तीसरे पक्षों के पास रखी वस्तुसूचियों और सरकार एवं अन्य प्राधिकरणों से उपहार स्वरूप प्राप्त परिसंपत्तियों के उचित रिकार्ड रखे गए?**
   कंपनी किसी भी तरह के विनिर्माण और ट्रेडिंग बिजनस में संलिप्त नहीं है इसलिए वस्तुसूचियों के रिकार्ड रखने वाली बात कंपनी पर लागू नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान सरकार से उपहार स्वरूप कोई परिसंपत्ति प्राप्त नहीं की गई है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) के वित्तीय विवरणों की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की समसंख्यक तारीख की रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक II

कंपनी अधिनियम, 2013 (''अधिनियम'') की धारा 143 के उपखंड 3 के खंड (i) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2018 तक डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों की हमारी लेखा–परीक्षा के साथ उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखापरीक्षण किया है ।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी (''आईसीएआई'') वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट में उल्लिखित (''मार्गदर्शन नोट'') आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक को मानते हुए कंपनी का प्रबंधन, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण मापदंड के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो प्रभावी ढंग से संचालन में अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल आचरण को सुनिश्चित करने सहित, कंपनी की नीतियों के अनुपालन, अपनी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने और लेखा अधिनियम की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत जरूरी विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयार करना है।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखापरीक्षण के आधार पर राय व्यक्त करना है। हमने लेखापरीक्षा के मानक के अनुसार, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी (''आईसीएआई'') वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन नोट (''मार्गदर्शन नोट'') के अनुसार ऑडिट किया। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं और अनुपालन और लेखा परीक्षा का पालन करें ताकि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो सके और बनाए रखा जा सके और यदि इस तरह के नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में कारगर ढंग से संचालित हों तो इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करें।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखा–परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना, जो कि एक सामग्री कमजोरी मौजूद है, और आकलन जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, ऑडिटर के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण वित्तीय विवरणों के भौतिक गलतफहमी के जोखिम के आकलन शामिल हैं।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए हमारे द्वारा प्राप्त लेखा परीक्षा के प्रमाण पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वित्तीय प्रक्रिया की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने और आम तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण उन नीतियों और प्रक्रियाओं को शामिल करता है जो:

क) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित है, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सही और उचित रूप से प्रतिबिंबित करता है;
ख) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन उसी हिसाब से जैसा कि जरुरत है दर्ज किये जाएँ जो सामान्य स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय वक्तव्य तैयार करने में सहायक हो, और प्राप्तियां और कंपनी के व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन के प्राधिकरण के अनुसार किए जाएँ; तथा
ग) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनाधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या स्वभाव की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिससे वित्तीय विवरणों पर भौतिक प्रभाव हो सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाऐं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, संगठित या अनुचित प्रबंधन नियंत्रणों की अध्यारोहण की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलती हो सकती है और पता नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थिति में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकता है।

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर, 31 मार्च 2018 तक निम्नलिखित भौतिक कमजोरियों की पहचान की गई है:

क) कंपनी के प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग में परियोजना कार्यान्वयन संस्थानों द्वारा प्राप्त निश्चित संपत्तियों के स्वतंत्र भौतिक सत्यापन को करने की प्रक्रिया नहीं है।

ख) कंपनी के राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस विभाग के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में निम्न भौतिक कमजोरियां हैं :
1. आउटसोर्स भर्ती और मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं और अन्य राज्यों, संस्थानों और संगठनों में विभिन्न परियोजनाएं के कार्यान्वयन के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (NISG) को दिए गए धन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट या संस्थानों के प्रमुख / विभागों के प्रमुख द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र के उपयोग पर कोई नियंत्रण नहीं।
2. एनआईएसजी द्वारा मानव संसाधन प्रबंधन सेवाओं के लिए आउटसोर्स की एजेंसी के मानव संसाधन लेखापरीक्षण का आयोजन नहीं किया गया।
3. खर्चों के प्रावधान को स्वीकार करते समय, जब एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है, जिसके लिए दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होती है, संभवतः खर्चों का अनुमान गलत हो सकता हैं।
4. मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की गैर पहचान और पूंजीकरण, उस तारीख सहित जब संपत्ति को मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है।

ग) कंपनी के माईगोव विभाग के के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों में निम्न भौतिक कमजोरियां हैं :
1. खर्चों के प्रावधान को स्वीकार करते समय, जब एक पिछली घटना के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व है, जिसके लिए दायित्व का निपटान करने के लिए संसाधनों के संभावित बहिर्वाह की आवश्यकता होती है, संभवतः खर्चों का अनुमान गलत हो सकता हैं।
2. मूर्त और अमूर्त संपत्तियों की गैर पहचान और पूंजीकरण, उस तारीख सहित जब संपत्ति को मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य के लिए उपयोग किया गया है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में एक ''भौतिक कमजोरी'' एक कमी या कमियों का संयोजन है, इस तरह की उचित संभावना है कि समय के आधार पर कंपनी की वार्षिक या अंतरिम वित्तीय वक्तव्यों के भौतिक गलतफहमी को रोका नहीं जा सकता या पता नहीं किया जा सकता।

राय

हमारी राय में, नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित भौतिक कमजोरियों से उत्पन्न होने वाले संभावित प्रभावों को छोड़कर, कंपनी ने आईसीएआई द्वारा जारी दिशानिर्देश में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटक पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाए रखा है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से 31 मार्च, 2018 तक संचालित रही।

हमने कंपनी की वित्तीय वक्तव्यों के हमारे लेखापरीक्षा में लागू किए गए ऑडिट परीक्षणों की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करने वाली भौतिक कमजोरियों को पहचाना है जिसका विवरण ऊपर दिया गया हैं, और यह भौतिक कमजोरी कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृत ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

संयुक्त वित्तीय विवरण
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
CIN : U72900MH2001NPL133410

मार्च 31, 2018 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	साम्य और देयताएं			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	254,245,782	210,565,940
	(c) आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि	4	93,498,775	75,478,008
2	गैर–चालू देयताएं			
	(a) दीर्घकालिक प्रावधान	5	11,154,683	9,344,588
3	चालू देयताएं			
	(a) अन्य चालू देयताएं	6	1,284,515,639	1,693,692,773
	(b) अल्पकालिक प्रावधान	7	2,656,940	320,494
	कुल		**1,646,071,819**	**1,989,401,803**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	8		
	(i) मूर्त संपत्तियां		132,636,255	196,754,712
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		121,609,527	13,811,228
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		154,884,961	88,431,681
			409,130,743	298,997,621
	(b) गैर चालू निवेश	9	2,400	2,400
	(c) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	10	15,719,324	15,479,428
	(d) अन्य गैर चालू संपत्तियां	11	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(a) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	12	786,987,829	907,788,103
	(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	13	431,218,488	758,242,436
	(c) अन्य चालू संपत्तियां	14	3,013,035	8,891,815
	कुल		**1,646,071,819**	**1,989,401,803**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2
ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां बैलेंस शीट विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

यहां तक की तारीख के हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार है।
कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एम. एस. राव
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 08073419]

अरविंद गुप्ता
निदेशक
[डीआईएन - 00090360]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)

CIN : U72900MH2001NPL133410

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान (टिप्पणी 2 (g) और 24 देखें)	15	2,178,516,476	2,792,901,446
II.	अन्य आय	16	348,655	198,379
III.	**कुल**		**2,178,865,131**	**2,793,099,825**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय (टिप्पणी 2 (l) देखें)	17	1,404,371,014	1,299,660,245
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	18	345,171,940	167,253,698
	प्रशासन और अन्य व्यय	19	429,322,177	1,326,185,882
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		232,392,571	78,322,580
	– अन्य संपत्तियों पर		2,546,615	2,666,084
			234,939,186	80,988,664
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		234,939,186	80,988,664
IV.	**कुल**		**2,178,865,131**	**2,793,099,825**
V.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
VI.	विशिष्ट मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(VII- VIII)**		-	-
X.	कर संबंधी व्ययः		-	-
XI.	वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां आय एवं व्यय विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

यहां तक की तारीख के हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार है।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एम. एस. राव
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 08073419]

अरविंद गुप्ता
निदेशक
[डीआईएन - 00090360]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
CIN : U72900MH2001NPL133410

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नकदी प्रवाह विवरण

	विवरण	राशि रु. में 2017-18	राशि रु. में 2016-17
A	प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		
	अनुदान सहायता से आय एवं व्यय खाते में अंतरण	(2,178,516,476)	(2,792,901,446)
	मूल्यह्रास के लिए आरक्षित राशियों एवं अधिशेष से अंतरण	(234,939,186)	(80,988,664)
	आय एवं व्यय खाते से कुल अंतरण	**(2,413,455,662)**	**(2,873,890,110)**
	निवल रोकड़ से निवल आय (व्यय) का मिलान करने के लिए समायोजन		
	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–2 के कार्यान्वयन के कारण मूल्यह्रास सहित मूल्यह्रास	234,939,186	80,988,664
	समायोजित / हटाई गई / बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियां	1,719,750	132
	भारत सरकार को वापस किया गया अनुदान	(70,333,796)	(22,325,532)
	वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	1,977,000,877	1,270,351,246
	सावधि जमाओं पर ब्याज	43,999,512	94,129,090
	कार्यशील पूंजी में परिवर्तन से पहले प्रचालन रोकड़ अंतर्प्रवाह (बहिर्प्रवाह)	**(226,130,133)**	**(1,450,746,510)**
	निम्नलिखित के लिए समायोजनः		
	परिसंत्तियों में कमी / (वृद्धि)	**332,662,832**	**(194,026,715)**
	दीर्घकालिक ऋणों और अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)	(239,896)	(5,327,060)
	अल्पकालिक ऋणों और अग्रिमों में कमी / (वृद्धि)	327,023,948	(218,607,350)
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में कमी / (वृद्धि)	5,878,780	29,907,695
	देयताओं में कमी / (वृद्धि)	**119,276,602**	**580,502,774**
	अन्य चालू देयताओं में कमी / (वृद्धि)	115,130,061	578,054,775
	दीर्घकालिक प्रावधानों में कमी / (वृद्धि)	1,810,095	3,164,158
	अल्पकालिक प्रावधानों में कमी / (वृद्धि)	2,336,446	(716,159)
	प्रचालन कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह (बहिर्प्रवाह)	**225,809,301**	**(1,064,270,451)**
B	निवेश कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		
	चालू कार्य सहित अचल परिसंपत्तियों में अभिवृद्धि	(346,609,575)	(88,850,937)
	अप्रयुक्त मदों के निपटान से अभिलाभ	-	-
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल रोकड़	**(346,609,575)**	**(88,850,937)**
C	वित्तीय कार्यकलापों से रोकड़ प्रवाह		
	वित्तीय कार्यकलापों में प्रयुक्त निवल रोकड़	**-**	**-**
	रोकड़ व रोकड़ समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी)(A+B+C)	**(120,800,274)**	**(1,153,121,388)**
	प्रारंभिक रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	907,788,103	2,060,909,491
	अंतिम रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	**786,987,829**	**907,788,103**

यहां तक की तारीख के हमारे संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार है।
कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एम. एस. राव
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन - 08073419]

अरविंद गुप्ता
निदेशक
[डीआईएन - 00090360]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

CIN : U72900MH2001NPL133410

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

1 **पृष्ठभूमि :**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व मे मीडिया लैब एशिया) कंपनी अधिनियम 1956, धारा 25 (वर्तमान मे कंपनी अधिनियम 2013, धारा 8) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार द्वारा गठित एक लाभ–निरपेक्ष संगठन है। कंपनी भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का नेतृत्व कर रही है, और ई–हेल्थ / टेलीमेडिसिन, ई–कृषि, ई–भुगतान आदि के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने में शामिल है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम बढ़ती नकदी रहित अर्थव्यवस्था की सलामती और सुरक्षा को बढ़ावा देता है और व्यापक स्वीकृति का सामना करने वाली चुनौतियों को दर्शाता है। यह नवाचार को भी बढ़ावा देता है और डिजिटल पहलों के माध्यम से नागरिकों के सशक्तिकरण के लिए मॉडल विकसित करता है और सोशल मीडिया समेत विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से शासन सहभागिता को और प्रशासन में नागरिकों के जुड़ाव को प्रोत्साहित करता है। कंपनी का उद्देश्य आम आदमी को सबसे उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के लाभ देना है।

कंपनी की स्थापना 20 सितंबर, 2001 को कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8) के तहत **प्रत्याभूत कंपनी लिमिटेड** के रूप में की गई एवं इसकी कोई शेयर पूंजी नहीं है ।

कंपनियों के रजिस्ट्रार द्वारा जारी किए गए नाम परिवर्तन के तहत निगमन के प्रमाणपत्र के अनुसार, कंपनी का नाम 'मीडिया लैब एशिया' से बदलकर 'डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन' को 8 सितंबर, 2017 से प्रभावी कर दिया गया है।

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD) डिजिटल इंडिया **कॉर्पोरेशन** में एक स्वतंत्र व्यावसाय विभाग है। NeGD को रणनीति नियोजन एवं क्षमता संवर्धन; मानकों, नीतियों और दिशानिर्देशों का विकास; जागरूकता एवं संचार; मूल्यांकन एवं आकलन; और भौतिक एवं डिजिटल / सोशल प्लेटफार्मों के जरिये नागरिक भागीदारी सहित डिजिटल इंडिया और ईक्रांति पहलकदमियों के विभिन्न कार्यक्रम पहलुओं में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की सहायता करने का अधिदेश दिया गया है। NeGD को राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर, राष्ट्रीय भू–सूचना विज्ञान केंद्र और डिजिटल इंडिया के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। NeGD को पूर्ण वित्तीय और एचआर स्वायत्तता है। NeGD के लेखे वित्त और मानव संसाधन स्वत विभाग द्वारा नियंत्रित, प्रबंधित और अनुरक्षित होते हैं और विभाग की अध्यक्षता एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

माईगोव डिजिटल इंडिया **कॉर्पोरेशन** में एक स्वतंत्र व्यावसाय विभाग है। माईगव प्लेटफार्म अपनी किस्म की पहली और अनूठी शासन की भागीदारी वाली पहल है जिसमें आम जनता बड़ी संख्या में शामिल है। माईगव का आइडिया भारत के सामाजिक और आर्थिक बदलाव में योगदान देने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए आम नागरिकों और विशेषज्ञों को शामिल करके विचारों एवं दृष्टिकोणों के आदान–प्रदान के लिए एक इंटरफेस का सृजन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके सरकार को आम आदमी के करीब लाता है। माईगव परियोजना का उद्देश्य विचार, फीडबैक और नीति निर्माण एवं निष्पादन में भाग लेने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देने के लिए आम आदमी को समर्थ बनाने के लिए एक इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म मुहैया करना है। माईगव के लेखें, वित्त और मानव संसाधन स्वत विभाग द्वारा नियंत्रित, प्रबंधित और अनुरक्षित होते हैं और विभाग की अध्यक्षता एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा की जाती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आई.टी.आर.ए.) एक साध्य राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूरे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित संस्थानों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इनके अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता

एवं मात्रा को उन्नत बनाने हेतु एक राष्ट्रीय संसाधन का निर्माण करने में सहायता करने के लिए शुरू किया गया है। आई.टी.आर.ए. डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यान्वित होता हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (MeitY), संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने ईलेक्ट्रानिक प्रणाली डिज़ाइन एवं विनिर्माण (ESDM) और IT/IT साध्य सेवाओं (ITES) के क्षेत्र में पी.एच.डी. की संख्या बढ़ाने के लिए शुरू की है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार को सचिवीय सहायता और संस्थागत प्रणाली के निर्माण में सहायता करेगा।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार :

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखें उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोग :

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्ताविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य :

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

(d) मूर्त और अर्मूत अचल परिसंपत्तियां :

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अधिगृहीत संपत्तियों का पूंजीकरण संबंधित संस्थाओं से आवधिक अंतराल पर प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों, जिन्हें स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा अंकेक्षित और संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा सत्यापित किया गया है, के आधार पर किया गया है।
अमूर्त परिसंपतियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता है।

(e) मूल्यह्रास / परिशोधन :

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।
सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेश :

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

(h) कर्मचारी लाभः

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

(ii) **परिभाषित अंशदान योजना :**

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है। योजनाओं के तहत प्रदत्त/पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) **परिभाषित लाभ योजना :**

उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी उपदान योजना को चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

(iv) **दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :**

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं।

संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान और अन्य संगठनों पर किए गए व्यय :

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान और अन्य संगठनों की अग्रिम राशि या तो आय और व्यय के वक्तव्य में वर्णित है या लेखा के वक्तव्य के आधार पर अचल संपत्ति के रूप में पूंजीकृत है, जिन्हें स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा आवधिक अंतराल पर सत्यापित किया गया हैं।

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेनः

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

(k) पट्टाकृत संपत्तियां::

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(l) अनुसंधान और/या विकास व्यय :

अनुसंधान और/या विकास व्यय में कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अनुसंधान एवं विकास, परिनियोजन एवं कार्यान्वयन कार्यकलाप करने के लिए किए गए सभी व्यय शामिल हैं।

(m) संपत्तियों की हानि :

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(n) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां :

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 6 देखे)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	210,565,940		138,463,365	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	280,156,295		153,091,371	
घटा :				
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य	1,537,267		132	
		489,184,968		291,554,604
घटा :				
आय एवं व्यय खाते में अंतरितः				
-वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 8 देखें)		234,939,186		80,988,664
कुल		**254,245,782**		**210,565,940**

टिप्पणी 4 – आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि
(टिप्पणी 27 देखें)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि		-		-
क) आदि शेष	75,478,008		67,011,855	
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन				
i) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	4,389,040		4,727,428	
ii) अन्य परिवर्धन				
- पीएचडी परियोजना उपरि व्यय	2,311,000		1,437,000	
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सूचना प्रणाली उपरि व्यय			-	
- प्रायोजित परियोजनाएं उपरि व्यय	448,000		474,000	
- आई.टी.आर.ए. परियोजना उपरि व्यय	10,872,727		1,827,725	
जोड़ (क+ख)		93,498,775		75,478,008
घटा :				
ग) निधियों का उपयोग/व्यय				
i) राजस्व संबंधी व्यय	-		-	
ii) पूंजीगत व्यय	-		-	
जोड़ (ग)		-		-
वर्ष के अंत में इतिशेष (क+ख-ग)		93,498,775		75,478,008
कुल		**93,498,775**		**75,478,008**

टिप्पणी 5 – दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 1 (h) और 32 देखें)	11,154,683	9,344,588
कुल	**11,154,683**	**9,344,588**

टिप्पणी 6 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g) देखें)		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	957,988,386	2,570,292,420
जमा :		
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित	1,719,750	132
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान (टिप्पणी 24 देखें)	1,977,000,877	1,270,351,246
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज (टिप्पणी 25 देखें)	39,610,472	89,401,662
पुरानी मदों के निपटान से प्राप्त लाभ	-	-
घटाः		
भारत सरकार को वापस की गई राशि (टिप्पणी 25 देखें)	70,333,796	22,325,532
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)	280,156,295	153,091,371
परियोजना उपरि व्यय का आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण (टिप्पणी 27 देखें)	13,631,727	3,738,725
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 15 देखें)	2,178,516,476	2,792,901,446
	433,681,191	957,988,386
(b) निक्षेप		
बयाना राशि	-	-
प्रतिभूति	16,380,594	43,000
(c) अन्य चालू देयताएं (अचल संपत्तियों के लिए)	177,459,324	1,000,063
(d) अन्य चालू देयताएं (व्ययों के लिए)	626,167,039	646,965,029
(e) अन्य देय		
स्रोत पर कर की कटौती	8,078,809	27,844,755
सेवा कर / माल और सेवा कर	10,546	157,091
वेतन और प्रतिपूर्तियां	2,142,933	1,772,137
भविष्य निधि और अन्य कर्मचारी कटौतियां	445,791	378,683
अग्रिम में प्राप्त आय	50,000	-
अन्य	20,099,412	57,543,629
कुल	**1,284,515,639**	**1,693,692,773**

टिप्पणी 7 – अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 32 देखें)	834,820	320,494
उपदान (ग्रेच्युटी)	1,822,120	-
कुल	**2,656,940**	**320,494**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
(पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया)
CIN : U72900MH2001NPL133410

टिप्पणी 8 - अचल संपत्तियाँ
(टिप्पणी 2(d), (e), (g) and 26 देखें)

राशि रु. में

संपत्तियों का ब्यौरा	कुल संपत्तियाँ – लागत पर				मूल्यह्रास						शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के लिए	अनुसूची II के कार्यान्वयन के कारण	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2017 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ												
कंप्यूटर उपस्कर #	325,063,402	92,813,186	1,279,176	416,597,412	201,454,659	-	144,179,068	-	491,943	345,141,784	71,455,628	123,608,743
अनुसंधान उपस्कर	75,543,879	4,276,013	819,531	79,000,361	61,588,160	-	15,572,851	-	136,494	77,024,517	1,975,844	13,955,719
कार्यालय उपकरण *	26,394,939	4,116,236	110,410	30,400,765	23,845,581	-	2,972,066	-	43,413	26,774,234	3,626,531	2,549,358
फर्नीचर और जुड़नार	26,590,450	815,725	-	27,406,175	22,333,309	-	1,957,710	-	-	24,291,019	3,115,156	4,257,141
पट्टाकृत परिसर @	55,946,000	-	-	55,946,000	3,614,102	-	588,905	-	-	4,203,007	51,742,993	52,331,898
वाहन	3,273,756	977,574	-	4,251,330	3,221,903	-	309,324	-	-	3,531,227	720,103	51,853
योग	**512,812,426**	**102,998,734**	**2,209,117**	**613,602,043**	**316,057,714**	**-**	**165,579,924**	**-**	**671,850**	**480,965,788**	**132,636,255**	**196,754,712**
पिछले वर्ष	367,122,228	145,696,012	5,814	512,812,426	242,595,568	-	73,467,828	-	5,682	316,057,714	196,754,712	124,526,660
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ												
सॉफ्टवेयर	38,585,704	177,157,561	-	215,743,265	24,774,476	-	69,359,262		-	94,133,738	121,609,527	13,811,228
योग	**38,585,704**	**177,157,561**	**-**	**215,743,265**	**24,774,476**	**-**	**69,359,262**	**-**	**-**	**94,133,738**	**121,609,527**	**13,811,228**
पिछले वर्ष	31,190,345	7,395,359		38,585,704	17,253,640	-	7,520,836	-	-	24,774,476	13,811,228	13,936,705
सकल योग	**551,398,130**	**280,156,295**	**2,209,117**	**829,345,308**	**340,832,190**	**-**	**234,939,186**	**-**	**671,850**	**575,099,526**	**254,245,782**	**210,565,940**
पिछले वर्ष	398,312,573	153,091,371	5,814	551,398,130	259,849,208	-	80,988,664	-	5,682	340,832,190	210,565,940	138,463,365
(iii) पूंजीगत चालू कार्य											**154,884,961**	**88,431,681**
											409,130,743	**298,997,621**

1) @ पट्टाकृत परिसर 10.02.2011 से 95 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किए गए हैं।
2) चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन की आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ें पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किए गए हैं।

टिप्पणी **9** – गैर चालू निवेश

विवरण	अंकित मूल्य	शेयरों की संख्या	**31 मार्च, 2018**	**31 मार्च, 2017**
	रु.		राशि रु. में	राशि रु. में
व्यापार निवेश (लागत पर) (टिप्पणी 32 देखें) एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के शेयरों में निवेश	1	2,400	2,400	2,400
कुल			**2,400**	**2,400**
टिप्पणी: गैर उद्धृत– लागत पर			2,400	2,400
b) निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है			-	-

टिप्पणी **10** – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	**31 मार्च, 2018**	**31 मार्च, 2017**
	राशि रु. में	राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
1) प्रतिभूति जमा	10,631,665	11,424,399
2) पूंजी अग्रिम	-	-
3) अग्रिम आय कर (tds)	5,087,659	4,055,029
कुल	**15,719,324**	**15,479,428**

टिप्पणी 11 – अन्य गैर चालू संपत्तियां

विवरण	**31 मार्च, 2018**	**31 मार्च, 2017**
	राशि रु. में	राशि रु. में
अन्य बैंक शेष:		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
Total	**-**	**-**

टिप्पणी 12 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
<u>रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 2 **(c)** देखें)</u>		
हस्तगत रोकड़	163,239	136,626
बैंकों में शेष	81,382,326	5,420,986
<u>अन्य बैंकों में शेष</u>		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	705,442,264	902,230,491
कुल	**786,987,829**	**907,788,103**

टिप्पणी 13 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
<u>रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम</u>		
<u>अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया</u>		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2 (i) देखें)	428,725,534	755,285,276
(A)	428,725,534	755,285,276
<u>अन्य ऋण और अग्रिम</u>		
पूर्वदत्त व्यय	2,410,598	2,539,324
कर्मचारियों को अग्रिम	82,356	356,928
अन्य		60,908
(B)	2,492,954	2,957,160
कुल **(A + B)**	**431,218,488**	**758,242,436**

टिप्पणी 14 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	2,971,368	2,797,784
सहायता अनुदान प्राप्तियाँ	-	5,694,500
उपदान मूल्यांकन अधिशेष	-	399,531
संस्थानों / विभागों से प्राप्त राशि	41,667	-
कुल	**3,013,035**	**8,891,815**

टिप्पणी 15 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 6 and 24 देखें)	2,178,516,476	2,792,901,446
कुल	**2,178,516,476**	**2,792,901,446**

टिप्पणी 16 – अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
(a) वेबसाइट की होस्टिंग और रखरखाव		93,750
(b) ब्याज आय		
- प्रतिभूति जमाओं पर	22,320	24,823
(c) विविध ऋण शेष राशि (शुद्ध)		-
(d) विविध आय	326,335	79,806
कुल	**348,655**	**198,379**

टिप्पणी 17 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
व्यय – भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2(i) देखें)	354,235,053	482,118,802
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	488,251,687	496,235,884
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	10,066,244	4,725,969
यात्रा और संप्रेषण	4,801,617	6,813,831
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	510,539,454	277,173,975
व्यवसायिक शुल्क	3,821,166	2,371,165
संचार	2,700,878	2,776,949
किराया	21,385,316	20,930,809
रखरखाव	8,405,527	6,486,611
ट्रेडमार्क पंजीकरण	164,072	26,250
कुल	**1,404,371,014**	**1,299,660,245**

टप्पणी 18 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	340,220,088	165,327,573
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	3,659,385	(69,841)
कर्मचारी कल्याण	1,292,467	1,995,966
कुल	**345,171,940**	**167,253,698**

टिप्पणी 19 – प्रशासन एवं अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
विद्युत	1,744,539	1,611,819
दरें और कर	227,540	260,552
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन		
- अन्य	8,448,669	6,931,175
बीमा	141,192	152,461
कार्यालय व्यय	44,143,990	31,392,483
यात्रा और संप्रेषण	20,890,775	15,774,121
विधि और व्यवसयिक शुल्क	112,518,913	85,446,816
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक *	575,250	410,335
विज्ञापन और सम्मेलन	234,497,227	1,164,948,330
वेबसाइट रखरखाव खर्च	138,402	153,496
भर्ती व्यय	446,829	3,860,131
संचार व्यय	4,277,738	7,014,868
बैठक व्यय	652,424	58,417
विविध व्यय	618,689	2,290,438
क्लाउड सर्विस और डेटा संग्रहण		5,880,440
कुल	**429,322,177**	**1,326,185,882**

* अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
अंकेक्षकों को भुगतान (सेवा कर / जी एस टी सहित)		
a) अंकेक्षक	324,500	295,000
b) अन्य सेवाओं के लिए	191,750	80,275
c) व्ययों की प्रतिपूर्ति	59,000	35,060
कुल	**575,250**	**410,335**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

20 वित्तीय विवरणों में में निम्नलिखित के लेखें शामिल हैं (i) राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (एनईजीडी), (ii) माइगोव (iii) डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन – प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग एवं निम्नलिखित के परियोजना लेखें (iv) सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (आईटीआरए) और (v) इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना।

21 वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं शून्य रु है; (पिछले वर्ष रु 53,239,522 थी)।

22 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य थी)।

23 कंपनी को वर्ष 2005–2006 से निकासी तक के लिए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, मुख्य आयकर आयुक्त, मुंबई द्वारा 31.10.2007 को जारी आदेश संख्या CCIT/MUM/10(23)(C) (iv)/66/2007-08 97 के तहत आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23)(C)(iv) के अधीन धर्मार्थ प्रयोजन के लिए एक संस्थान के रूप में घोषित किया गया है और इसलिए यह निर्धारित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन कर में छूट प्राप्त करने का दावा करने की हकदार है।

कंपनी ने दिनांक 7 अक्टूबर, 2002 के पत्रांक DIT(E)/12A/36786/2002-2003 के तहत आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के अधीन अपना पंजीकरण करा लिया है और इसलिए यह इस अधिनियम की धारा 11 के तहत आय से छूट प्राप्त करने का दावा करने की हकदार है।

24 कंपनी को 2017-18 के दौरान 1,977,000,877 रु. (पिछले वर्ष 1,270,351,246 रु.) की सहायता अनुदान प्रदान मिला है। अगर अनुमोदित उद्देश्यों के लिए अनुदान सहायता के किसी भाग की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसे शासन को वापस कर दिया जाएगा।

अनुदान का ब्यौरा	वित्त वर्ष 2017–18 (रु)	वित्त वर्ष 2016–17 (रु)
राष्ट्रीय ई–शासन विभाग :		
NeGP के तहत राज्यों / केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए परियोजना क्षमता संवर्धन योजना चरण 2	-	507,600,000
NeGP 2014-17 के लिए जागरूकता और संवाद दृष्टिकोण एवं योजना	439,682,630	255,000,000
NeGD की कार्यप्रणाली 2.0	231,000,000	33,200,000
परियोजना GeM के लिए DGS&D से प्राप्त निधि		55,348,900
उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू–ऐज गवर्नेंस)		100,000,000
योग (a)	**670,682,630**	**951,148,900**
माईगवः		
शासन में नागरिकों की भागीदारी के लिए प्लेटफार्म		100,000,000
ई–ग्रीटिंग पोर्टल और संपर्क	88,360,846	88,360,846
संवर्धन अभियान के लिए MeitY से अनुदान	8,711,000	
डिजी धन संवर्धन के लिए NILERD से अनुदान	90,118,319	
योग (b)	**582,450,476**	**188,360,846**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए **विश्वेश्वरय्या** पीएचडी योजना(c)	**532,967,950**	**69,187,000**
सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (d)	**119,600,000**	**14,400,000**
डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (DIC), प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग (TDDD)		
डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन (प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन)	62,167,760	40,000,000
वाराणसी आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (VIIDP)	-	-
वाराणसी आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (VIIDP) - चरण 2	2,928,000	560,000
बिथूर में महिला सशक्तिकरण के लिए आईसीटी – 'बिथूर शक्ति'	3,594,000	1,000,000
बधिरों के लिए विजुअल स्पीच ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर (VSTS)	-	1,960,500
बनारसी साड़ी की बुनाई के लिए ओपन सोर्स कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग (कैड) टूल	-	3,734,000
योग (e)	**68,689,760**	**47,254,500**
MeitY से सकल प्राप्त अनुदान (a+b+c+d+e)	**1,270,351,246**	**1,270,351,246**
डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन, TDDD :		
पुनर्भव : जागरूकता जनरेशन और प्रचार योजना के तहत विकलांगता क्षेत्र से संबंधित सूचना के प्रचार के लिए एक वेब पोर्टल	225,000	-
डीएसटी, भारत सरकार द्वारा बसनी, वाराणसी में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना	2,385,061	-
सकल योग	**1,977,000,877**	**1,270,351,246**
सारांश		
MeitY से प्राप्त अनुदान	1,884,272,497	
अन्य	92,728,380	
सकल योग	**1,977,000,877**	**1,270,351,246**

25 वर्ष के दौरान सहायता जमा में अनुदान पर प्राप्त ब्याज 39,610,472 रु (पिछले वर्ष 89,401,662 रु) सहायता खाते में जमा करा दिया गया है। वर्ष में कंपनी द्वारा सहायता खाते में अर्जित/अर्जित ब्याज को जमा करा दिया गया है जिसमें वह अर्जित/उपार्जित किया गया है, जिस पर प्रोद्भवन के आधार पर अर्जित किया गया है। वर्ष 2017-18 के दौरान कंपनी ने 70,333,796 रु (पिछले वर्ष 22,325,532 रु) की अनुदान सहायता MeitY को 18,351,463 रु (पिछले वर्ष 7,134,955 रु) ब्याज सहित वापस की है।

26 अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार, अनुदान सहायता से खरीदी गई संपत्ति का निपटान नहीं किया जा सकता, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना बंधा हुआ है। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल उन लोगों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा

सकता है जिनके लिए अनुदान मंजूर किया गया है। इसके अलावा, कंपनी को अस्तित्व समाप्त होना चाहिए, ऐसी संपत्ति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वापस कर दी जाएगी, जो कि संपत्ति बेचने या अन्यथा निपटाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27 DIC- TDDD द्वारा एक रिजर्व फंड को आय के मुकाबले बनाया गया है, जिसमें प्रायोजित परियोजनाओं से मिलने वाली धनराशि शामिल है, जो कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली भविष्य के साथ–साथ भविष्य की रख–रखाव की लागत या कंपनी के हितों के अनुकूल किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए हो सकती है। चालू वर्ष के दौरान परियोजना को ओवरहेड्स से प्राप्त 13,631,727 रुपये की राशि को रिजर्व फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। चूंकि फिक्स्ड डिपॉजिट विशेष रूप से निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसलिए रु 4,389,040 तरल सावधि जमाओं पर अर्जित रिजर्व फंड में जमा किए गए हैं।

28 डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने 3 संस्थानों से 3,608,964 रु का कुल व्यय और 11,382 रु का ब्याज प्राप्त किया है। 2 संस्थानों से प्राप्त 430,764 रु के व्यय का ब्यौरा इन संस्थानों के अधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन हैं। बकाया 1,978,985 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 5 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए है और एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं ।

आईटी रिसर्च अकादमी ने i) 40 परियोजना टीम सदस्यों से 25,209,375 रु के कुल व्यय, 607,462 रू के प्राप्त ब्याज और 4,499,930 रु की अचल संपत्तियों के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त किया है। ii) 19 परियोजना टीम के सदस्यों से रु 13,459,370 के कुल व्यय, 163,429 रू के प्राप्त ब्याज और 5,434,197 रु की अचल संपत्तियों के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण को प्राधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। बकाया 22,109,136 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 13 परियोजना टीम सदस्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए हैं और एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं।

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी येाजना ने i) 58 संस्थानों से 186,465,928 रु के कुल व्यय और 775,372 रू के प्राप्त ब्याज के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त किया है। ii) 32 संस्थानों से रु 125,095,432 के कुल व्यय और 478,520 रू के प्राप्त ब्याज के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण को प्राधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। बकाया 27,884,530 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 33 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए हैं और जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं।

NeGD ने राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान(NISG) और अन्य संस्थानों, राज्यों और विश्वविद्यालयों से भर्ती के लिए उपयोग किए गए निधियों और मानव संसाधन प्रबंधन गतिविधियों आदि के लिए दिए गए अग्रिमों में से 853,895,828 रु के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये है। जिसमें से NeGD को कुल मिलाकर 5,236,923 रु के खर्चों का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त हुआ है और 848,658,905 रु इन संस्थानों के अधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित और संबंधित संस्थानों या संगठनों के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। खाते में उपयोग की जाने वाली आय और व्यय की मात्रा को अनुसंधान और/या विकास व्यय के तहत दिखाया गया है। नोट 9 में शामिल राशि को 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया गया है।

बकाया पुष्टिकरण/उपयोगीयता प्रमाण पत्र निम्नलिखित संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसमें से 64,920,075 रु की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं :

a) खर्च और इन्फ्रा घटकों के लिए क्षमता निर्माण द्वितीय चरण के अंर्तगत राज्य – 41,858,965 रु
b) YASADA – 6,25,753 रु
c) भारतीय प्रबंधन संस्थान (AHM) – 30,59,050 रु
d) सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र – 4,964,000 रु
e) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम – 1,500,000 रु
f) प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, पश्चिम बंगाल – 1,212,950 रु
g) नागालैंड ई–स्टेट सोसायटी – 2,000,000 रु
h) निदेशक सदस्य सचिव SCITeG – 1,000,000 रु
i) प्रबंध निदेशक, तेलंगाना राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान – 1,350,000 रु
j) निदेशक, ITDA, उत्तराखंड – 50,00,000 रु
k) मेघालय सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी – 7,50,000 रु
l) A&C के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों को – 15,99,357 रु

वित्तीय विवरण व्ययों के ऐसे विवरण और अचल परिसंपत्तियों के विवरण के आधार पर तैयार किए गए हैं।

29 वर्ष के दौरान माईगोव डिवीजन ने प्रधान मंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए NICSI पंजीकृत विक्रेता से एसएमएस गेटवे और आउट बाउंड डायलिंग (OBD) की सेवाओं का उपयोग किया है। धन की अपर्याप्तता के कारण, माईगोव डिवीजन ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए NICSI को कार्य आदेश जारी नहीं किया और उसने पिछले बिलिंग और NICSI द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर परिगणित 11,73,41,785 रुपये के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

30 **विदेशी मुद्रा में व्यय**

		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष (रु)	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (रु)
i)	यात्रा व्यय	224,798	312,393
ii)	ट्रेडमार्क नवीकरण		-
iii)	उपस्कर	1,365,102	721,358
	कुल	**1,589,900**	**1,033,751**

विदेशी मुद्रा के व्यय में अकादमिक संस्थानों द्वारा किए गए खर्च शामिल हैं।

31 कर्मचारी लागत में वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्रबंध निदेशक को अदा किया गया शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) का पारिश्रमिक शामिल है।

32 कंपनी ने 17 सितंबर, 2008 को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के साथ आईआईटी, बॉम्बे द्वारा डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व नाम – मीडिया लैब एशिया) के साथ मिलकर विकसित एक्वा सॉफ्टवेयर लाइसेंस का इस्तेमाल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के 2400 शेयर (अंकित मल्य 1 रु. प्रति शेयर) प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रकटर गैर–चालू निवेशों के अंतर्गत किया गया है।

33 **कर्मचारी लाभ**

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं।

परिभाषित लाभ योजनाए

A. उपदान निधि में अंशदान

31 मार्च, 2018 को कंपनी के कर्मचारियों के लिए कंपनी के उपदान निधि के विवरण नीचे दिए गए हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रमाणित किए गए हैं और जिन पर लेखापरीक्षक निर्भर रहे हैं।

		वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
i	मूल्यांकन विधि	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि
ii	बीमांकिक धारणाए	**LIC(2006-08)**	**LIC(2006-08)**
	मृत्यु दर	**अल्टीमेट**	**अल्टीमेट**
	आहरण दर	1%	1%
	डिस्काउंट दर	7.5%	8%
	वेतन वृद्धि	10.00%	10.00%
iii	मूल्यांकन के परिणाम	**रुपये**	**रुपये**
a.	विगत सेवा लाभ का PV	6,813,520	5,543,922
b.	वर्तमान सेवा लागत	203,168	249,197
c.	कुल सेवा उपदान	20,519,586	19,324,393
d.	उपचित उपदान	9,696,610	7,515,084

B. अवकाश नकदीकरण

आय एवं व्यय के विवरण में डेबिट किए गए संचयी अवकाश नकदीकरण और संविदागत कर्मचारियों की देयता के लिए 174,306 रु. (पिछले वर्ष 200,996 रु.) के संबंध में बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार, प्रावधान के लिए कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान में 2,150,115 रु. (पिछले वर्ष 2,247,003 रु.) शामिल हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कंपनी के लेखों में यथा प्रदर्शित कुल देयता 10,983,288 रु. (पिछले वर्ष 8,833,173 रु.) है। कंपनी ने देयता का वित्तपोषण नहीं किया है।

परिभाषित अंशदान योजनाए

कंपनी ने भविष्य निधि / पेंशन निधि के लिए 7,961,226 रु. (पिछले वर्ष 4,159,927 रु.) स्वीकार किए हैं।

34 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाएं

कंपनी को सप्लायरों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता है:

a) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि b) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज c) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और कद्ध लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम के तहत सप्लायरों की स्थिति में बारे से उनसे कन्फर्मेशन हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

35 कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत जारी लेखांकन मानकों (अर्थात् कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006) से संबंधित सामान्य निर्देशों में यथा परिभाषित लघु और मध्यम कंपनी (SMC) है जो कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के अनुसार लेखांकन मानक माने जाएंगे, ये लेनदेन प्रावधान के रूप में लेखांकन तक माने जाएंगे जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट किया गया है। तदनुसार, कंपनी ने लघु एवं मध्यम कंपनी पर यथा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है।

36 देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण यदि कोई हों, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों के अधीन हैं।

37 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी संख्या 1 से 37 के लिए हस्ताक्षर

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

एम. एस. राव
प्रबंध निदेशक और सीईओ
[डीआईएन . 08073419]

अरविंद गुप्ता
निदेशक
[डीआईएन . 00090360]

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

स्वचलित वित्तीय विवरण

राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस विभाग (NEGD)

(डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का विभाग)

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)

[डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का विभाग]

मार्च 31, 2018 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	**साम्य और देयताएं**			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	76,768,969	109,730,624
2	चालू देयताएं			
	(a) अन्य चालू देयताएं	4	697,759,787	1,389,074,286
	कुल		**774,528,756**	**1,498,804,910**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	5		
	(i) मूर्त संपत्तियां		50,969,153	106,639,038
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		25,799,816	3,091,586
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		82,560,683	21,851,403
			159,329,652	131,582,027
	(b) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	6	2,120,705	2,504,739
	(c) अन्य गैर चालू संपत्तियां	7	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(a) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	8	462,419,313	771,137,487
	(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	9	149,631,738	593,580,657
	(c) अन्य चालू संपत्तियां	10	1,027,348	-
	कुल		**774,528,756**	**1,498,804,910**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

हमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए लेखा खातों एवं अन्य अभिलेखों के साथ, और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त बैलेंस शीट, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के विवरण, और लेखों के संबंधित टिप्पणियों की जांच की है, और हम प्रमाणित करते हैं कि ये सही हैं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

कृते डिजिटल इंडिया कार्पोरेशन – NeGD

अध्यक्ष और सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)
[डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का विभाग]

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 4 and 16 देखें)	11	1,224,636,413	1,136,579,122
II.	अन्य आय	12	39,810	58,555
III.	कुल		**1,224,676,223**	**1,136,637,677**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय	13	962,307,138	732,729,288
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	14	33,006,938	30,905,136
	प्रशासन और अन्य व्यय	15	229,362,147	373,003,253
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		115,159,608	16,335,070
	– अन्य संपत्तियों पर		779,729	426,261
			115,939,337	16,761,331
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		115,939,337	16,761,331
IV.	कुल		**1,224,676,223**	**1,136,637,677**
V.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
VI.	विशिष्ट मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	**करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (VII- VIII)**		-	-
X.	कर संबंधी व्ययः			
XI.	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां आय एवं व्यय विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन – NeGD

अध्यक्ष और सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)
[डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का विभाग]

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

1 पृष्ठभूमि :

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD) डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन (पूर्व में मीडिया लैब एशिया) के अंतर्गत एक स्वतंत्र व्यापार विभाग है। डिजिटल भारत के विभिन्न कार्यक्रम प्रबंधन पहलुओं में रणनीतिक योजना और क्षमता निर्माण मानक नीतियों और दिशानिर्देशों का विकासय जागरूकता और संचारय मूल्यांकन और मूल्यांकनय और भौतिक और डिजिटल / सामाजिक प्लेटफार्मों के माध्यम से जन भागीदारी सहित ई–क्रांति पहल में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार का समर्थन करने के लिए NeGD को अनिवार्य किया गया है। NeGD राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर, भू–सूचना विज्ञान और डिजिटल भारत के राष्ट्रीय केंद्र के तहत परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भी जिम्मेदार है। NeGD में पूर्ण वित्तीय और मानव संसाधन स्वायत्तता है NeGD के खातों, वित्त और मानव संसाधन को नियंत्रित, प्रबंधित और रखरखाव विभाग द्वारा ही किया जाता है और विभाजन की अगुवाई अध्यक्ष और सीईओ, NeGD करते हैं।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार :

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखे उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोग :

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य :

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

(d) मूर्त और अमूर्त अचल परिसंपत्तियां :

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

अमूर्त परिसंपतियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता है।

(e) मूल्यह्रास/परिशोधन :

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।

सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेश

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

(h) कर्मचारी लाभ :

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है।

योजनाओं के तहत प्रदत्त/पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) परिभाषित लाभ योजना

उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी उपदान योजना को चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं।

संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान, राज्यों, और अन्य संगठनों पर किए गए व्ययः

राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान, राज्यों और अन्य संगठनों की अग्रिम राशि या तो आय और व्यय के वक्तव्य में वर्णित है या लेखा के वक्तव्य के आधार पर अचल संपत्ति के रूप में पूंजीकृत है, जिन्हें स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा आवधिक अंतराल पर सत्यापित किया गया हैं।

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेन :

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

(k) पट्टाकृत संपत्तियां :

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(l) संपत्तियों की हानि :

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(m) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां :

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 4 देखे)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	109,730,624		7,516,394	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	83,630,265		118,975,561	
घटा :				
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य	652,583		-	
घटा :		192,708,306		126,491,955
आय एवं व्यय खाते में अंतरित :				
- वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 5 देखें)		115,939,337		16,761,331
- कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के कार्यान्वयन के कारण मूल्यह्रास				
कुल		**76,768,969**		**109,730,624**

टिप्पणी 4 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g) और 16 देखें)		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	1,271,242,147	1,534,269,072
जमा :		
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित	652,583	-
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान :	670,682,630	951,148,900
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज	32,021,890	63,597,696
घटा :		
भारत सरकार को वापस की गई राशि	70,333,796	22,218,838
अचल संपत्तियों के लिए अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)	83,630,265	118,975,561
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 11 देखें)	1,224,636,413	1,136,579,122
	595,998,776	1,271,242,147
(b) जमा		
बयाना राशि		-
सुरक्षा निधि	16,262,594	-
(c) अन्य चालू देयताएं (अचल संपत्तियों के लिए)		-
(d) अन्य चालू देयताएं (व्यय के लिए)	57,954,068	50,812,659
(e) अन्य देय		
- स्रोत पर कर की कटौती	7,724,616	9,690,085
- सेवा कर	-	65,445
- वेतन और प्रतिपूर्तियां	-	-
- भविष्य निधि और अन्य कर्मचारी कटौतियां	14,520	14,520
- आपूर्तिकर्ता से प्रतिभूति जमा	19,805,213	57,249,430
कुल	**697,759,787**	**1,389,074,286**

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग **(NeGD)**
[डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का विभाग]

टिप्पणी 5 - अचल संपत्तियाँ
(टिप्पणी 2(d), (e), (g) and 17 देखें)

राशि रु. में

संपत्तियों का ब्यौरा	कुल संपत्तियाँ – लागत पर				मूल्यह्रास					शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के लिए	अनुसूची II के कार्यान्वयन के कारण	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2018 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ											
कंप्यूटर उपस्कर	127,421,023	49,609,685	1,141,950	175,888,758	24,249,071	103,339,818	-	489,367	127,099,522	48,789,236	103,171,952
कार्यालय उपकरण	3,448,708	331,584	-	3,780,292	1,971,407	995,734	-	-	2,967,141	813,151	1,477,301
फर्नीचर और जुड़नार	4,318,629	156,710	-	4,475,339	2,328,844	779,729	-	-	3,108,573	1,366,766	1,989,785
योग	**135,188,360**	**50,097,979**	**1,141,950**	**184,144,389**	**28,549,322**	**105,115,281**	**-**	**489,367**	**133,175,236**	**50,969,153**	**106,639,038**
पिछले वर्ष	19,415,357	115,773,003	-	135,188,360	12,040,327	16,508,995	-	-	28,549,322	106,639,038	7,375,030
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ											
सॉफ्टवेयर	4,222,616	33,532,286	-	37,754,902	1,131,030	10,824,056	-	-	11,955,086	25,799,816	3,091,586
योग	**4,222,616**	**33,532,286**	**-**	**37,754,902**	**1,131,030**	**10,824,056**	**-**	**-**	**11,955,086**	**25,799,816**	**3,091,586**
पिछले वर्ष	1,020,058	3,202,558	-	4,222,616	878,694	252,336	-		1,131,030	3,091,586	141,364
सकल योग	**139,410,976**	**83,630,265**	**1,141,950**	**221,899,291**	**29,680,352**	**115,939,337**	**-**	**489,367**	**145,130,322**	**76,768,969**	**109,730,624**
पिछले वर्ष	20,435,415	118,975,561	-	139,410,976	12,919,021	16,761,331	-	-	29,680,352	109,730,624	7,516,394
(iii) पूंजीगत चालू कार्य										82,560,683	21,851,403
										159,329,652	**131,582,027**

टिप्पणी 6 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
प्रतिभूति जमा	180,545	925,179
अग्रिम आय कर (tds)	1,940,160	1,579,560
कुल	**2,120,705**	**2,504,739**

टिप्पणी 7 – अन्य गैर चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
अन्य बैंक शेषः:		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 8 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 2 (c) देखें)		
हस्तगत रोकड़	40,000	21,206
बैंकों में शेष	(54,109,468)	(71,246,719)
अन्य बैंकों में शेष		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	516,488,781	842,363,000
कुल	**462,419,313**	**771,137,487**

टिप्पणी 9 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान	(1,612,012)	460,350,039
सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक सिस्टम	4,964,000	4,964,000
अन्य परियोजना अग्रिम	18,043,992	13,100,000
परिचालन व्यय के लिए राज्यों को अग्रिम	52,167,298	71,722,735
आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम	61,353,327	36,559,180
विश्वविद्यालयों के लिए अग्रिम	-	6,225,206
GCCS के बदले प्राप्य	13,494,690	-
(A)	148,411,295	592,921,160
अन्य ऋण और अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	1,220,443	370,497
कर्मचारियों को अग्रिम	-	289,000
(B)	1,220,443	659,497
Total (A + B)	**149,631,738**	**593,580,657**

टिप्पणी 10 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	1,027,348	
कुल	**1,027,348**	**-**

टिप्पणी 11 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2 (g) and 16 देखें)	1,224,636,413	1,136,579,122
कुल	**1,224,636,413**	**1,136,579,122**

टिप्पणी 12 – अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) ब्याज आय		
- सावधि जमाराशियों पर	-	-
- अग्रिम पर	-	-
(b) अन्य आय	39,810	58,555
कुल	**39,810**	**58,555**

टिप्पणी 13 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	447,379,002	455,822,852
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	8,385,901	3,831,582
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	506,542,235	273,074,854
कुल	**962,307,138**	**732,729,288**

टिप्पणी 14 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	33,006,938	30,109,774
कर्मचारी कल्याण	-	795,362
कुल	**33,006,938**	**30,905,136**

टिप्पणी 15 – प्रशासन एवं अन्य व्ययय

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन		
- अन्य	1,110,886	1,107,526
कार्यालय व्यय	8,275,356	8,376,841
यात्रा और संप्रेषण	16,691,218	11,985,362
विधि और व्यवसयिक शुल्क	111,552,101	84,833,836
विज्ञापन और सम्मेलन	88,085,338	259,862,689
भर्ती व्यय	134,500	3,199,399
संचार व्यय	3,147,878	3,600,556
विविध व्यय	364,870	37,044
कुल	**229,362,147**	**373,003,253**

16 NeGD ने वर्ष 2017-18 के दौरान **670,682,630** रु. (पिछले वर्ष **951,148,900** रु.) का सहायता अनुदान प्राप्त किया है। वर्ष के दौरान, सहायता अनुदान जमाओं पर ब्याज **32,021,890** रु (पिछले वर्ष **63,597,696** रु.) को सहायता अनुदान खाते में जमा कराया गया है। अर्जित/उपार्जित ब्याज को अनुदान सहायता के खाते में उस वर्ष जमा किया है, जिसमें यह बीमांकिक आधार पर अर्जित/उपार्जित हुआ है। NeGD ने वर्ष 2017-18 के दौरान MeitY को अनुदान की राशि में से 70,333,796 रु (पिछले वर्ष 22,218,838 रु) जिसमे 18,351,463 रु (पिछले वर्ष 7,134,955 रु) का ब्याज शामिल हैं, वापिस किया है।

अनुदान का ब्यौरा	**वित्त वर्ष 2017–18 (रु)**	**वित्त वर्ष 2016–17 (रु)**
NeGP के तहत राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए परियोजना क्षमता संवर्धन योजना चरण 2		507,600,000
NeGP 2014-17 के लिए जागरूकता और संवाद दृष्टिकोण एवं योजना	439,682,630	255,000,000
NeGD की कार्यप्रणाली 2.0	231,000,000	33,200,000
डिजिटल इंडिया सप्ताह प्रोग्राम शुरू करना	-	-
त्वरित आकलन प्रणाली	-	-
राष्ट्रीय डिजिटल लॉकर	-	-
ष्ट्रीय भू–सूचना विज्ञान केंद्र	-	-
परियोजना GeM के लिए DGS&D से प्राप्त निधि	-	55,348,900
उमंग (यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू–ऐज गवर्नेंस)	-	100,000,000
कुल	**670,682,630**	**951,148,900**

17 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूर्व अनुमति लिए बगैर सहायता अनुदान पर लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों को निपटान या भारग्रस्त नहीं किया जा सकता। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल, उन उद्देश्यों, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, से इतर उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कंपनी का आस्तित्व समाप्त हो रहा है तो ये संपत्तियां इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को लौटा दी जाएंगी, जो संपत्तियों को बेचने या निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगी।

18 NeGD ने राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नेंस संस्थान(NISG) और अन्य संस्थानों, राज्यों और विश्वविद्यालयों से भर्ती के लिए उपयोग किए गए निधियों और मानव संसाधन प्रबंधन गतिविधियों आदि के लिए दिए गए अग्रिमों में से 853,895,828 रु के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये है। जिसमें से NeGD को कुल मिलाकर 5,236,923 रु के खर्चों का चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित लेखा परीक्षित विवरण प्राप्त हुआ है और 848,658,905 रु इन संस्थानों के अधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित और संबंधित संस्थानों या संगठनों के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। खाते में उपयोग की जाने वाली आय और व्यय की मात्रा को अनुसंधान और/या विकास व्यय के तहत दिखाया गया है। नोट 9 में शामिल राशि को 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाया गया है।

बकाया पुष्टिकरण/उपयोगीयता प्रमाण पत्र निम्नलिखित संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जिसमें से 64,920,075 रु की राशि एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं :

a) खर्च और इन्फ्रा घटकों के लिए क्षमता निर्माण द्वितीय चरण के अंर्तगत राज्य – 41,858,965 रु
b) YASADA – 6,25,753 रु
c) भारतीय प्रबंधन संस्थान (AHM) – 30,59,050 रु
d) सार्वजनिक प्रणालियों में नवाचार केंद्र – 4,964,000 रु

e) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम – 1,500,000 रु
f) प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, पश्चिम बंगाल – 1,212,950 रु

g) नागालैंड ई–स्टेट सोसायटी – 2,000,000 रु
h) निदेशक सदस्य सचिव SCITeG – 1,000,000 रु
i) प्रबंध निदेशक, तेलंगाना राज्य प्रौद्योगिकी संस्थान – 1,350,000 रु
j) निदेशक, ITDA, उत्तराखंड – 50,00,000 रु
k) मेघालय सूचना प्रौद्योगिकी सोसायटी – 7,50,000 रु
l) A&C के अंतर्गत कार्यशाला आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालयों को – 15,99,357 रु

19 **विदेशी मुद्रा में व्यय**

	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (रु)	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (रु)
यात्रा व्यय	224,798	312,393
कूल	**224,798**	**312,393**

20 **कर्मचारी लाभ**

कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएं
कंपनी ने भविष्य निधि / पेंशन निधि के लिए 5,657,526 रु. (पिछले वर्ष 2,100,013 रु.)स्वीकार किए हैं।

21 वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं शून्य है; (पिछले वर्ष शून्य थी)।

22 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य थी)।

23 देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

24 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाएं

कंपनी को सप्लायरों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता है :

a) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि b) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज c) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और d) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम के तहत सप्लायरों की स्थिति में बारे से उनसे पुष्टिकरण हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

25 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

राष्ट्रीय ई–शासन विभाग (NeGD)
[डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का विभाग]

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

टिप्पणी संख्या 1 से 25 के लिए हस्ताक्षर

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 1106293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 28 जनवरी 2019

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन – NeGD

अध्यक्ष और सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 28 जनवरी 2019

माईगोव
(डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का विभाग)

माईगोव
[डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का विभाग]

मार्च 31, 2018 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	**साम्य और देयताएं**			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	113,124,863	25,339,762
2	चालू देयताएं			
	(a) अन्य चालू दयताए	4	132,046,852	77,339,494
	कुल		**245,171,715**	**102,679,256**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	5		
	(i) मूर्त संपत्तियां		18,787,860	16,730,335
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		94,337,003	8,609,427
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		71,826,806	65,608,928
			184,951,669	90,948,690
	(b) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	6	3,124,644	3,124,644
	(c) अन्य गैर चालू संपत्तियां	7	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(a) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	8	56,356,266	8,164,305
	(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	9	223,589	214,780
	(c) अन्य चालू सपात्तया	10	515,547	226,837
	कुल		**245,171,715**	**102,679,256**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

हमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए लेखा खातों एवं अन्य अभिलेखों के साथ, और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च 2017 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त बैलेंस शीट, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के विवरण, और लेखों के संबंधित टिप्पणियों की जांच की है, और हम प्रमाणित करते हैं कि ये सही हैं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन – माईगोव

सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

माईगोव

[डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का विभाग]

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 4 and 16 देखें)	11	479,876,617	1,066,194,458
II.	अन्य आय	12	-	-
III.	**कुल**		**479,876,617**	**1,066,194,458**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय	13	-	-
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	14	297,060,039	127,649,636
	प्रशासन और अन्य व्यय	15	182,816,578	938,544,822
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		93,350,054	25,925,407
	– अन्य संपत्तियों पर		131,041	64,155
			93,481,095	25,989,562
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		93,481,095	25,989,562
IV.	**कुल**		**479,876,617**	**1,066,194,458**
V.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
VI.	विशिष्ट मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	**करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (VII- VIII)**		-	-
X.	कर संबंधी व्ययः		-	-
XI.	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां आय एवं व्यय विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन – माईगोव

सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

माईगोव

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

1 पृष्ठभूमि :

माईगोव प्लेटफार्म अपनी किस्म की पहली और अनूठी शासन **सहभागी** पहल है जिसमें आम जनता बड़ी संख्या में शामिल है। माईगोव का आइडिया भारत के सामाजिक और आर्थिक बदलाव में योगदान देने के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए आम नागरिकों और विशेषज्ञों को शामिल करके विचारों एवं दृष्टिकोणों के आदान–प्रदान के लिए एक इंटरफेस का सृजन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म का इस्तेमाल करके सरकार को आम आदमी के करीब लाता है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 25.09.2014 के प्रशासनिक स्वीकृति पत्रांक L-14018/1/2014-HRD के तहत परियोजना माईगोव को मंजूरी प्रदान की है। माईगोव परियोजना का उद्देश्य विचार, फीडबैक और नीति निर्माण एवं निष्पादन में भाग लेने के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में योगदान देने के लिए आम आदमी को समर्थ बनाने के लिए एक इंटरनेट आधारित प्लेटफार्म मुहैया करना है। पांच वर्षों के लिए परियोजना का परिव्यय 99.48 करोड़ रुपये है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार :

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखें उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोग :

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्ताविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्यः

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

(d) मूर्त और अर्मूत अचल परिसंपत्तियाँ :

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।
अमूर्त परिसंपतियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

(e) मूल्यह्रास/परिशोधन :

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।

सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेश :

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान :

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

(h) कर्मचारी लाभ :

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है।

योजनाओं के तहत प्रदत्त/पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) परिभाषित लाभ योजना

उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी उपदान योजना को चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं।

संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) विदेशी मुद्रा लेनदेन :

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

(j) पट्टाकृत संपत्तियाँ :

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(k) संपत्तियों की हानि :

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(l) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियाँ :

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।
आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 4 देखे)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	25,339,762		46,445,398	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	181,266,196		4,883,926	
घटा :				
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य	-		-	
घटा :		206,605,958		51,329,324
आय एवं व्यय खाते में अंतरित :				
- वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 5 देखें)		93,481,095		25,989,562
कुल		**113,124,863**		**25,339,762**

टिप्पणी 4 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g) और 16 देखें)		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	(532,404,152)	338,292,912
जमा :		
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान :	582,450,476	188,360,846
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज	1,587,943	12,020,474
घटा :		
भारत सरकार को वापस की गई राशि	-	-
अचल संपत्तियों के लिए अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)	181,266,196	4,883,926
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 11 देखें)	479,876,617	1,066,194,458
	(609,508,546)	(532,404,152)
(b) अन्य चालू देयताएं (अचल संपत्तियों के लिए)	177,459,324	1,000,063
(c) अन्य चालू देयताएं (व्यय के लिए)	564,096,074	590,995,433
(d) अन्य देय		
- स्रोत पर कर की कटौती	-	17,718,639
- सेवा कर	-	29,511
कुल	**132,046,852**	**77,339,494**

टिप्पणी 5 - अचल संपत्तियाँ
(टिप्पणी 2(d), (e), (g) and 17 देखें)

राशि रु. में

संपत्तियों का ब्यौरा	कुल संपत्तियाँ – लागत पर				मूल्यह्रास					शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 20178 को	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के लिए	अनुसूची II के कार्यान्वयन के कारण	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2018 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ											
कंप्यूटर उपस्कर	71,525,852	38,024,558	-	109,550,410	55,214,328	35,872,312	-	-	91,086,640	18,463,770	16,311,524
कार्यालय उपकरण	142,566	120,304	-	262,870	74,320	125,584	-	-	199,904	62,966	68,246
फर्नीचर और जुड़नार	414,720	41,600	-	456,320	64,155	131,041			195,196	261,124	350,565
योग	**72,083,138**	**38,186,462**	**-**	**110,269,600**	**55,352,803**	**36,128,937**	**-**	**-**	**91,481,740**	**18,787,860**	**16,730,335**
पिछले वर्ष	70,132,582	1,950,556	-	72,083,138	35,977,417	19,375,386	-	-	55,352,803	16,730,335	34,155,165
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ											
सॉफ्टवेयर	20,895,212	143,079,734		163,974,946	12,285,785	57,352,158	-	-	69,637,943	94,337,003	8,609,427
योग	**20,895,212**	**143,079,734**	**-**	**163,974,946**	**12,285,785**	**57,352,158**	**-**	**-**	**69,637,943**	**94,337,003**	**8,609,427**
पिछले वर्ष	17,961,842	2,933,370	-	20,895,212	5,671,609	6,614,176	-	-	12,285,785	8,609,427	12,290,233
सकल योग	**92,978,350**	**181,266,196**	**-**	**274,244,546**	**67,638,588**	**93,481,095**	**-**	**-**	**161,119,683**	**113,124,863**	**25,339,762**
पिछले वर्ष	88,094,424	4,883,926	-	92,978,350	41,649,026	25,989,562	-	-	67,638,588	25,339,762	46,445,398
(iii) पूंजीगत चालू कार्य										71,826,806	65,608,928
										184,951,669	**90,948,690**

टिप्पणी 6 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
प्रतिभूति जमा	3,124,644	3,124,644
अग्रिम आय कर (tds)	-	-
कुल	**3,124,644**	**3,124,644.00**

टिप्पणी 7 – अन्य गैर चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
अन्य बैंक शेषः:		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 8 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 2 (c) देखें)		
हस्तगत रोकड़	-	-
बैंकों में शेष	26,266	8,164,305
अन्य बैंकों में शेष		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	56,330,000	-
कुल	**56,356,266**	**8,164,305**

टिप्पणी 9 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
आपूर्तिकर्ता के लिए अग्रिम	-	-
(A)	-	-
अन्य ऋण और अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	223,589	196,791
कर्मचारियों को अग्रिम		17,989
(B)	223,589	214,780
कुल योग **(A + B)**	**223,589**	**214,780**

टिप्पणी 10 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	515,547	226,837
कुल	515,547	**226,837**

टिप्पणी 11 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2 (g) and 16 देखें)	479,876,617	1,066,194,458
कुल	**479,876,617**	**1,066,194,458**

टिप्पणी 12 – अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
(a) ब्याज आय		
- सावधि जमाराशियों पर	-	-
- अग्रिम पर	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 13 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	-	-
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	-	-
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 14 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	297,060,039	127,616,183
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	-	33,453
कर्मचारी कल्याण	-	-
कुल	**297,060,039**	**127,649,636**

टिप्पणी 15 – प्रशासन एवं अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन	-	-
- अन्य	-	-
कार्यालय व्यय	33,822,998	20,900,537
यात्रा और संप्रेषण	1,783,459	2,203,619
विधि और व्यवसयिक शुल्क	122,600	65,000
विज्ञापन और सम्मेलन	146,411,889	905,085,641
वेबसाइट रखरखाव खर्च	138,402	153,496
संचार व्यय	530,119	2,719,831
विविध व्यय	7,111	1,536,258
क्लाउड सर्विस और डेटा संग्रहण	-	5,880,440
कुल	**182,816,578**	**938,544,822**

16 **माईगोव** ने वर्ष 2017-18 के दौरान 58,24,50,476 रु (पिछले वर्ष 18,83,60,846 रु) का सहायता अनुदान प्राप्त किया है। वर्ष के दौरान, सहायता अनुदान जमाओं पर 15,87,943 रु (पिछले वर्ष 1,20,20,474 रु) का ब्याज सहायता अनुदान खाते में जमा कराया गया है। अर्जित/उपार्जित ब्याज को अनुदान सहायता के खाते में उस वर्ष जमा किया है, जिसमें यह बीमांकिक आधार पर अर्जित/उपार्जित हुआ है।

अनुदान का ब्यौरा	वित्त वर्ष 2017—18 (रु)	वित्त वर्ष 2016—17 (रु)
माईगोव - शासन में नागरिकों की भागीदारी के लिए प्लेटफार्म	337,000,000	100,000,000
ई—ग्रीटिंग पोर्टल और संपर्क	14,66,21,157	88,360,846
MeitY से प्राप्त अनुदान — अनुदान अभियान के लिए	8,711,000	-
NILERD डिजी—धन संवर्धन से प्राप्त अनुदान	90,118,319	-
कुल	**582,450,476**	**188,360,846**

17 इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से पूर्व अनुमति लिए बगैर सहायता अनुदान पर लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों को निपटान या भारग्रस्त नहीं किया जा सकता। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल, उन उद्देश्यों, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, से इतर उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कंपनी का आस्तित्व समाप्त हो रहा है तो ये संपत्तियां इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को लौटा दी जाएंगी, जो संपत्तियों को बेचने या निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगी।

18 विदेशी मुद्रा में व्यय — शून्य रु है (पिछले वर्ष शून्य रु थी)।

19 वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं शून्य रु है; (पिछले वर्ष 53,239,522 रु थी)।

20 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य रु थी)।

21 देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

22 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाएं

कंपनी को सप्लायरों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता है:

a) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि b) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज c) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और d) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम के तहत सप्लायरों की स्थिति में बारे से उनसे पुष्टिकरण हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

23 वर्ष के दौरान माईगोव विभाग ने प्रधान मंत्री के मन की बात कार्यक्रम के लिए NICSI पंजीकृत विक्रेता से एसएमएस गेटवे और आउट बाउंड डायलिंग (OBD) की सेवाओं का उपयोग किया है। धन की अपर्याप्तता के कारण, माईगोव डिवीजन ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए NICSI को कार्य आदेश

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

जारी नहीं किया और उसने पिछले बिलिंग और NICSI द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर परिगणित 11,73,41,785 रुपये के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है।

24 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी संख्या 1 से 24 के लिए हस्ताक्षर

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

फर्म पंजीकरण संख्या 1106293W

सी.ए. अंकुश गोयल

साझेदार

सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक : 28 जनवरी 2019

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन - माईगोव

सीईओ

स्थानः नई दिल्ली

दिनांक : 28 जनवरी 2019

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग

मार्च 31, 2018 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
I.	साम्य और देयताएं			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(क) शेयर पूंजी		-	-
	(ख) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	54,445,192	55,382,592
	(ग) आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि	4	93,498,775	75,478,008
2	गैर–चालू देयताएं			
	(क) दीर्घकालिक प्रावधान	5	8,916,764	7,269,009
3	चालू देयताएं			
	(क) अन्य चालू देयताएं	6	49,564,590	57,962,335
	(ख) अल्पकालिक प्रावधान	7	2,520,154	253,958
	कुल		**208,945,475**	**196,345,902**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(क) अचल संपत्तियां	8		
	(i) मूर्त संपत्तियां		54,380,708	55,147,490
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		64,484	235,102
			54,445,192	55,382,592
	(ख) गैर चालू निवेश	9	2,400	2,400
	(ग) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	10	10,458,975	9,759,531
	(घ) अन्य गैर चालू संपत्तियां	11	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(क) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	12	138,734,730	110,981,646
	(ख) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	13	3,834,038	5,538,903
	(ग) अन्य चालू संपत्तियां	14	1,470,140	14,680,830
	कुल		**208,945,475**	**196,345,902**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां बैलेंस शीट विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

हमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए लेखा खातों एवं अन्य अभिलेखों के साथ, और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त बैलेंस शीट, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के विवरण, और मीडिया लैब एशिया (अकेले) के लेखों के संबंधित टिप्पणियों की जांच की है, और हम प्रमाणित करते हैं कि ये सही हैं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान (टिप्पणी 2 (g), 6 और 20 देखें)	15	75,443,981	69,415,583
II.	अन्य आय	16	308,845	126,967
III.	**कुल**		**75,752,826**	**69,542,550**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय (टिप्पणी 2 (l) देखें)	17	55,327,261	56,644,766
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	18	7,559,656	2,983,852
	प्रशासन और अन्य व्यय	19	12,865,909	9,913,932
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		4,340,095	2,425,074
	– अन्य संपत्तियों पर		855,845	893,313
			5,195,940	3,318,387
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		5,195,940	3,318,387
IV.	**कुल**		**75,752,826**	**69,542,550**
V.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
VI.	विशिष्ट मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(VII- VIII)**		-	-
X.	कर संबंधी व्ययः		-	-
XI.	वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां बैलेंस शीट विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

1 पृष्ठभूमि :

डजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन – प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग (DIC-TDDD) डिजिटल इंडिया के अंतर्गत भीतर एक विभाग है। DIC-TDDD आजीविका संवर्धन (कृषि, शिल्पकारों के लिए कैड टूल, सूक्ष्म एवं लघु आकार के उद्यमों के लिए ERP इत्यादि), स्वास्थ्य सेवा, निशक्तजनों के सशक्तिकरण और शिक्षा क्षेत्र के कार्यों मे प्रवृत है। DIC-TDDD दिव्यांगो, महिलाओं, बच्चों और जनजातियों के लिए आईसीटी समाधानों के प्रतिपादन को मजबूत कर रहा है। इस प्रयास में यह सरकार (उपयोगकर्ता विभागों/मंत्रालयों), अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों एवं अन्य संगठनों/उद्योगों के साथ कार्यरत है। DIC-TDDD 'लैब टू लैंड' और 'जल्द लाभ' जैसी आम नागरिक के लिए उपयोगी परियोजनाओं पर कार्य कर रही है।

DIC-TDDD का उद्देश्य आम नागरिक को सबसे उन्नत सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) के लाभ दिलाना है।

ITRA कार्यक्रम और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना DIC-TDDD द्वारा लागू की जा रही है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार :

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों **('GAAP')** के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखें उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोग :

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य :

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

(d) मूर्त और अमूर्त अचल परिसंपत्तियाँ :

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अधिगृहीत संपत्तियों का पूंजीकरण संबंधित संस्थाओं से आवधिक अंतराल पर प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों, जिन्हें स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा अंकेक्षित और संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा सत्यापित किया गया है, के आधार पर किया गया है।

अमूर्त परिसंपतियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता है।

(e) मूल्यह्रास/परिशोधन :

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।
सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेश

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

(h) कर्मचारी लाभ :

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है।

योजनाओं के तहत प्रदत्त/पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) परिभाषित लाभ योजना

उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी उपदान योजना को चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं।
संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों पर किए गए व्ययः

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों की अग्रिम राशि या तो आय और व्यय के वक्तव्य में वर्णित है या लेखा के वक्तव्य के आधार पर अचल संपत्ति के रूप में पूंजीकृत है, जिन्हें स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा आवधिक अंतराल पर सत्यापित किया गया हैं।

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

(k) पट्टाकृत संपत्तियाँ

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(l) अनुसंधान और/या विकास व्ययः

अनुसंधान और/या विकास व्यय में कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अनुसंधान एवं विकास, तैनाती एवं कार्यान्वयन कार्यकलाप करने के लिए किए गए सभी व्यय शामिल हैं।

(m) संपत्तियों की हानिः

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(n) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियाँ

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 6 देखे)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	55,382,592		56,344,151	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	4,258,540		2,356,828	
घटा :				
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य	-		-	
घटा :		59,641,132		58,700,979
आय एवं व्यय खाते में अंतरितः				
-वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 8 देखें)	5,195,940		3,318,387	
		5,195,940		3,318,387
कुल		**54,445,192**		**55,382,592**

टिप्पणी 4 – आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि
(टिप्पणी 25 देखें)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि				
क) आदि शेष	75,478,008		67,011,855	
ख) वर्ष के दौरान परिवर्धन				
i) वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	4,389,040		4,727,428	
ii) अन्य परिवर्धन				
- पीएचडी परियोजना उपरि व्यय	2,311,000		1,437,000	
- प्रायोजित परियोजनाएं उपरि व्यय	448,000		474,000	
- आई.टी.आर.ए. परियोजना उपरि व्यय	10,872,727		1,827,725	
जोड़ (क+ख)		93,498,775		75,478,008
घटा :				
ग) निधियों का उपयोग/व्यय	-		-	
i) राजस्व संबंधी व्यय	-		-	
ii) पूंजीगत व्यय	-		-	
जोड़ (ग)		-		-
वर्ष के अंत में इतिशेष (क+ख-ग)		93,498,775		75,478,008
कुल		**93,498,775**		**75,478,008**

टिप्पणी 5 – दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 29 देखें)	8,916,764	7,269,009
Total	**8,916,764**	**7,269,009**

टिप्पणी 6 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g) और 20 देखें)		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	53,708,837	74,626,304
जमा :		
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान :	71,299,821	47,254,500
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज	809,176	4,181,138
ऑनलाइन प्लेटफार्म और सूचना प्रणाली ओवरहेड्स	-	-
घटाः		
भारत सरकार को वापस की गई राशि		106,694
अचल संपत्तियों के लिए आरिक्षत निधि में अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)	4,258,540	2,356,828
परियोजना उपरि व्यय का आकस्मिक व्ययों के लिए आरक्षित निधि में अंतरण	448,000	474,000
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 15 देखें)	75,443,981	69,415,583
	45,667,313	53,708,837
(b) निक्षेप		
बयाना राशि		
प्रतिभूति	118,000	43,000
(c) अन्य चालू देयताएं (व्ययों के लिए)	2,130,808	2,705,857
(d) अन्य देय		
स्रोत पर कर की कटौती	247,914	214,899
सेवा कर	3,690	15,245
वेतन और प्रतिपूर्तियां	723,766	713,983
भविष्य निधि और अन्य कर्मचारी कटौतियां	328,900	266,315
अग्रिम में प्राप्त आय	50,000	-
अन्य	294,199	294,199
कुल	**49,564,590**	**57,962,335**

टिप्पणी 7 – अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 29 देखें)	698,034	253,958
उपदान	1,822,120	-
कुल	**2,520,154**	**253,958**

टिप्पणी 8 - अचल संपत्तियाँ
(टिप्पणी 2(d), (e), (g) and 21 देखें)

राशि रु. में

संपत्तियों का ब्यौरा	GROSS BLOCK - AT COST				मूल्यह्रास						शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के लिए	अनुसूची II के कार्यान्वयन के कारण	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2018 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ												
कंप्यूटर उपस्कर #	99,955,707	1,900,273	-	101,855,980	97,956,945	-	3,144,617	-	-	101,101,562	754,418	1,998,762
अनुसंधान उपस्कर	27,548,243	41,383	-	27,589,626	27,323,646	-	32,946	-	-	27,356,592	233,034	224,597
कार्यालय उपकरण *	19,742,728	511,969	-	20,254,697	19,366,858	-	430,664	-	-	19,797,522	457,175	375,870
फर्नीचर और जुड़नार	16,280,466	575,415	-	16,855,881	16,115,956	-	266,940	-	-	16,382,896	472,985	164,510
पट्टाकृत परिसर @	55,946,000	-	-	55,946,000	3,614,102	-	588,905	-	-	4,203,007	51,742,993	52,331,898
वाहन	3,273,756	977,574	-	4,251,330	3,221,903	-	309,324	-	-	3,531,227	720,103	51,853
योग	**222,746,900**	**4,006,614**	**-**	**226,753,514**	**167,599,410**	**-**	**4,773,396**	**-**	**-**	**172,372,806**	**54,380,708**	**55,147,490**
पिछले वर्ष	220,775,745	1,971,155		222,746,900	164,459,760	-	3,139,650	-	-	167,599,410	55,147,490	56,315,985
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ												
सॉफ्टवेयर	10,844,909	251,926	-	11,096,835	10,609,807	-	422,544	-	-	11,032,351	64,484	235,102
योग	**10,844,909**	**251,926**	**-**	**11,096,835**	**10,609,807**	**-**	**422,544**	**-**	**-**	**11,032,351**	**64,484**	**235,102**
पिछले वर्ष	10,459,236	385,673	-	10,844,909	10,431,070	-	178,737	-	-	10,609,807	235,102	28,166
सकल योग	**233,591,809**	**4,258,540**	**-**	**237,850,349**	**178,209,217**	**-**	**5,195,940**	**-**	**-**	**183,405,157**	**54,445,192**	**55,382,592**
पिछले वर्ष	231,234,981	2,356,828	-	233,591,809	174,890,830	-	3,318,387	-	-	178,209,217	55,382,592	56,344,151

1) @ पट्टाकृत परिसर 10.02.2011 से 95 वर्ष की अवधि के लिए परिशोधित किए गए हैं।
2) चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन की आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़ें पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किए गए हैं।

टिप्पणी **9** – गैर चालू निवेश

विवरण	Nominal Rs.	No. of	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
व्यापार निवेश (लागत पर) (टिप्पणी 27 देखें) एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के शेयरों में निवेश	1	2,400	2,400	2,400
कुल			**2,400**	**2,400**
टिप्पणी: गैर उद्धृत– लागत पर b) निवेश के मूल्य में कोई कमी नहीं आई है			2,400	2,400

टिप्पणी **10** – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
1) प्रतिभूति जमा	7,311,476	7,334,576
2) पूंजी अग्रिम	-	-
3) अग्रिम आय कर (tds)	3,147,499	2,424,955
कुल	**10,458,975**	**9,759,531**

टिप्पणी **11** – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
अन्य बैंक शेषः:		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 12 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
रोकड़ और रोकड समतुल्य (टिप्पणी 2 **(c)** देखें)		
हस्तगत रोकड़	88,953	83,749
बैंकों में शेष	36,941,240	51,030,406
अन्य बैंकों में शेष		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	101,704,537	59,867,491
कुल	**138,734,730**	**110,981,646**

टिप्पणी 13 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2 (i) देखें)		
(A)	3,198,813	3,760,460
	3,198,813	3,760,460
अन्य ऋण और अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	552,870	1,690,753
कर्मचारियों को अग्रिम	82,355	26,782
अन्य		60,908
(B)	635,225	1,778,443
कुल (A + B)	**3,834,038**	**5,538,903**

टिप्पणी 14 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	1,428,473	2,570,947
सहायता अनुदान प्राप्तियाँ	-	5,694,500
उपदान मूल्यांकन अधिशेष	-	399,531
संस्थानों / विभागों से प्राप्य राशि	41,667	6,015,852
कुल	**1,470,140**	**14,680,830**

टिप्पणी 15 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 6 and 20 देखें)	75,443,981	69,415,583
कुल	**75,443,981**	**69,415,583**

टिप्पणी 16 – अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) वेबसाइट की होस्टिंग और रखरखाव	-	93,750
(b) ब्याज आय		
– सुरक्षा जमा पर	22,320	24,823
(c) विविध ऋण शेष राशि (शुद्ध)	-	-
(d) विविध आय	286,525	8,394
कुल	**308,845**	**126,967**

टिप्पणी 17 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
व्यय – भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2(i) देखें)	4,004,948	9,729,617
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	24,548,327	22,604,255
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	1,355,140	598,242
यात्रा और संप्रेषण	2,050,620	3,104,089
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	373,605	360,681
व्यवसायिक शुल्क	2,560,771	1,038,183
संचार	1,746,465	1,563,784
किराया	12,801,058	12,768,983
रखरखाव	5,722,255	4,850,682
ट्रेडमार्क पंजीकरण	164,072	26,250
कुल	**55,327,261**	**56,644,766**

टप्पणी 18 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	3,180,144	2,463,322
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	3,318,799	(406,473)
कर्मचारी कल्याण	1,060,713	927,003
कुल	**7,559,656**	**2,983,852**

टिप्पणी 19 – प्रशासन एवं अन्य व्ययय

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
विद्युत	1,744,539	1,611,819
दरें और कर	227,540	260,552
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन		
- अन्य	5,743,580	4,158,855
बीमा	141,192	152,461
कार्यालय व्यय	526,189	442,671
यात्रा और संप्रेषण	1,808,842	1,276,515
विधि और व्यवसयिक शुल्क	844,212	527,330
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक *	486,750	375,985
भर्ती व्यय	99,108	158,205
संचार व्यय	369,242	328,933
बैठक व्यय	652,424	58,417
विविध व्यय	222,291	562,189
कुल	**12,865,909**	**9,913,932**

* अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
अंकेक्षकों को भुगतान (सेवा कर / जीएसटी सहित)		
a) अंकेक्षक	324,500	295,000
b) अन्य सेवाओं के लिए	103,250	45,925
c) व्ययों की प्रतिपूर्ति	59,000	35,060
कुल	**486,750**	**375,985**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

20 डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने 2017–18 के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) से 71,299,821 रु.(पिछले वर्ष 47,254,500 रु.) का सहायता अनुदान प्राप्त किया है। अगर अनुमोदित उद्देश्यों के लिए अनुदान सहायता के किसी भाग की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसे MeitY को वापस कर दिया जाएगा। वर्ष के दौरान, सहायता अनुदान जमाओं पर ब्याज के रूप में 809,176 रु. (पिछले वर्ष 4,181,138 रु.) प्राप्त हुए हैं जिसे सहायता अनुदान खाते में जमा कराया गया है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने अर्जित/उपार्जित ब्याज को अनुदान सहायता के खाते में उस वर्ष जमा किया है, जिसमें यह उपचय अधार पर अर्जित/उपार्जित हुआ है। कंपनी ने वर्ष 2017–18 के दौरान MeitY को शून्य रु (पिछले वर्ष 106,694 रु) का ब्याज वापस किया है।

अनुदान का ब्यौरा	वित्त वर्ष 2017–18 (रु)	वित्त वर्ष 2016–17 (रु)
डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन		
- प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग	62,167,760	40,000,000
- वाराणसी आईसीटी आधारित एकीकृत विकास कार्यक्रम (VIIDP) चरण 2	2,928,000	560,000
-बिथूर में महिला सशक्तिकरण के लिए आईसीटी – 'बिथूर शक्ति'	3,594,000	1,000,000
-बधिरों के लिए विजुअल स्पीच ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर (VSTS)	-	1,960,500
-बनारसी साड़ी की बुनाई के लिए ओपन सोर्स कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग (कैड) टूल	-	3,734,000
MeitY से सकल प्राप्त अनुदान	**68,689,760**	**47,254,500**
- पुनर्भव : जागरूकता जनरेशन और प्रचार योजना के तहत विकलांगता क्षेत्र से संबंधित सूचना के प्रचार के लिए एक वेब पोर्टल	225,000	-
- डीएसटी, भारत सरकार द्वारा बसनी, वाराणसी में ग्रामीण महिला प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना।	2,385,061	-
कुल	**71,299,821**	**47,254,500**

21 अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों के अनुसार, अनुदान सहायता से खरीदी गई संपत्ति का निपटान नहीं किया जा सकता, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना बंधा हुआ है। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल उन लोगों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है जिनके लिए अनुदान मंजूर किया गया है। इसके अलावा, कंपनी को अस्तित्व समाप्त होना चाहिए, ऐसी संपत्ति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वापस कर दी जाएगी, जो कि संपत्ति बेचने या अन्यथा निपटाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

22 डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने 3 संस्थानों से 3,608,964 रु का कुल व्यय और 11,382 रु का ब्याज प्राप्त किया है। 2 संस्थानों से प्राप्त 430,764 रु के व्यय का ब्यौरा इन संस्थानों के अधिकृत कर्मियों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स द्वारा लेखा परीक्षा के अधीन हैं। बकाया 1,978,985 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 5 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए है और एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं ।

इस तरह के खर्चों के ब्यौरे के आधार पर वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं।

23 विदेशी मुद्रा में व्यय शून्य (पिछले वर्ष शून्य रु.) है।

24 वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं शून्य (पिछले वर्ष शून्य रु.) है।

25 DIC- TDDD द्वारा एक रिजर्व फंड को आय के मुकाबले बनाया गया है, जिसमें प्रायोजित परियोजनाओं से मिलने वाली धनराशि शामिल है, जो कि भविष्य में उत्पन्न होने वाली भविष्य के साथ–साथ भविष्य की रख–रखाव की लागत या कंपनी के हितों के अनुकूल किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए हो सकती है। चालू वर्ष के दौरान परियोजना को ओवरहेड्स से प्राप्त 13,631,727 रुपये की राशि को रिजर्व फंड में स्थानांतरित कर दिया गया है। चूंकि फिक्स्ड डिपॉजिट विशेष रूप से निर्धारित नहीं किए गए हैं, इसलिए रु 4,389,040 तरल सावधि जमाओं पर अर्जित रिजर्व फंड में जमा किए गए हैं।

26 कर्मचारी लागत में वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान प्रबंध निदेशक को अदा किया गया शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) का पारिश्रमिक शामिल है।

27 कंपनी ने 17 सितंबर, 2008 को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के साथ आईआईटी, बॉम्बे द्वारा मीडिया लैब एशिया के साथ मिलकर विकसित एक्वा सॉफ्टवेयर लाइसेंस का इस्तेमाल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार, कंपनी को एग्रोकॉम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी प्रा. लि. के 2400 शेयर (अंकित मल्य 1 रु. प्रति शेयर) प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रकटर गैर–चालू निवेशों के अंतर्गत किया गया है।

28 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने मीडिया लैब एशिया को इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन और विनिर्माण (ESDM) एवं IT/ITES आधारित सेवा क्षेत्रों में पीएचडी छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना को कार्यान्वयन करने की जिम्मेदारी दी है। इस योजना के लिए 2014–15 से 9 वर्षों के लिए 466 करोड़ रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को सचिवीय, प्रबंधकीय सहायता और संस्थागत प्रणाली के निर्माण में मदद करेगा। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने परियोजना के लिए अलग खाता बनाए रखा है।

29 **कर्मचारी लाभ**

कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं।

परिभाषित लाभ योजनाएँ :

A. **उपदान निधि में अंशदान**

31 मार्च, 2018 को कंपनी के कर्मचारियों के लिए कंपनी के उपदान निधि के विवरण नीचे दिए गए हैं जो भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रमाणित किए गए हैं और जिन पर लेखापरीक्षक निर्भर रहे हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

		वित्त वर्ष 2017–18	वित्त वर्ष 2016–17
i	मूल्यांकन विधि	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि	प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट विधि
ii	बीमांकिक धारणाए		
	मृत्यु दर	**LIC(2006-08) अल्टीमेट**	**LIC(2006-08) अल्टीमेट**
	आहरण दर	1%	1%
	डिस्काउंट दर	7.5%	8%
	वेतन वृद्धि	10.00%	10.00%
iii	मूल्यांकन के परिणाम	**रुपये**	**रुपये**
a.	विगत सेवा लाभ का PV	6,813,520	5,543,922
b.	वर्तमान सेवा लागत	203,168	249,197
c.	कुल सेवा उपदान	20,519,586	19,324,393
d.	उपचित उपदान	9,696,610	7,515,084

B. अवकाश नकदीकरण

आय एवं व्यय के विवरण में डेबिट किए गए संचयी अवकाश नकदीकरण और संविदागत कर्मचारियों की देयता के लिए 155,438 रु. (पिछले वर्ष 158,095 रु.) के संबंध में बीमांकित मूल्यांकन के अनुसार, प्रावधान के लिए कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान में 1,936,393 रु. (पिछले वर्ष 1,907,717 रु.) शामिल हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कंपनी के लेखों में यथा प्रदर्शित कुल देयता 9,022,494 रु. (पिछले वर्ष 7,086,101 रु.) है। कंपनी ने देयता का वित्तपोषण नहीं किया है।

परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी ने भविष्य निधि / पेंशन निधि के लिए 1,637,911 रु. (पिछले वर्ष 1,460,590 रु.) स्वीकार किए हैं।

30 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाएं

कंपनी को सप्लायरों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता है:

a) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि b) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज c) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और कद्ध लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम के तहत सप्लायरों की स्थिति में बारे से उनसे कन्फर्मेशन हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

31 कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत जारी लेखांकन मानकों (अर्थात् कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006) से संबंधित सामान्य निर्देशों में यथा परिभाषित लघु और मध्यम कंपनी (SMC) है जो कंपनी (लेखें)

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन विभाग

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लेखों की टिप्पणियों के घटक भाग

नियमावली, 2014 के नियम 7 के अनुसार लेखांकन मानक माने जाएंगे, ये लेनदेन प्रावधान के रूप में लेखांकन तक माने जाएंगे जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट किया गया है। तदनुसार, कंपनी ने लघु एवं मध्यम कंपनी पर यथा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है।

32 देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

33 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं(पिछले वर्ष शून्य)।

34 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी संख्या 1 से 34 के लिए हस्ताक्षर

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 1106293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 28 जनवरी 2019

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

परियोजना **'आईटी अनुसंधान अकादमी (ITRA)'**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

मार्च 31, 2018 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	साम्य और देयताएं			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	9,889,552	20,063,149
2	गैर–चालू देयताएं			
	(a) दीर्घकालिक प्रावधान	4	893,248	815,658
3	चालू देयताएं			
	(a) अन्य चालू देयताएं	5	110,166,592	84,978,791
	(b) अल्पकालिक प्रावधान	6	75,171	40,399
	कुल		**121,024,563**	**105,897,997**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	7		
	(i) मूर्त संपत्तियां		8,481,328	18,188,036
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		1,408,224	1,875,113
	(iii) पूंजीगत चालू कार्य		497,472	971,350
			10,387,024	21,034,499
	(b) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	8	15,000	15,000
	(c) अन्य गैर चालू संपत्तियां	9	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(a) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	10	41,387,576	1,714,196
	(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	11	69,234,963	83,134,302
	(c) अन्य चालू संपत्तियां	12	-	-
	कुल		**121,024,563**	**105,897,997**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां बैलेंस शीट विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

हमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए लेखा खातों एवं अन्य अभिलेखों के साथ, और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त बैलेंस शीट, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के विवरण, और मीडिया लैब एशिया (अकेले) के लेखों के संबंधित टिप्पणियों की जांच की है, और हम प्रमाणित करते हैं कि ये सही हैं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान (टिप्पणी 2 (g), 5 और 18 देखें)	13	69,832,473	100,446,110
II.	अन्य आय	14	-	12,857
III.	**कुल**		**69,832,473**	**100,458,967**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय (टिप्पणी 2 (l) देखें)	15	65,157,349	95,974,346
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	16	1,507,872	1,438,263
	प्रशासन और अन्य व्यय	17	3,167,252	3,046,358
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		19,510,207	33,532,327
	– अन्य संपत्तियों पर		780,000	1,282,355
			20,290,207	34,814,682
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		20,290,207	34,814,682
IV.	**कुल**		**69,832,473**	**100,458,967**
V.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
VI.	विशिष्ट मदें		-	-
VII.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VIII.	असाधारण मदें		-	-
IX.	**करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (VII- VIII)**		-	-
X.	कर संबंधी व्ययः		-	-
XI.	**वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां बैलेंस शीट विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

1 पृष्ठभूमि :

आई.टी.आर.ए. एक साध्य सहायक कार्यक्रम है जो ईलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा पूरे भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और संबंधित संस्थानों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों और ईलेक्ट्रानिकी तथा इनके अनुप्रयोगों में अनुसंधान एवं विकास की गुणवत्ता एवं मात्रा को उन्नत बनाने हेतु एक राष्ट्रीय संसाधन का निर्माण करने में सहायता करने के लिए शुरू किया गया है।
ईलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने दिनांक 04-11-2010 के पत्रांक 1(1)/2010-ITRA के तहत मीडिया लैब एशिया द्वारा ''सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)'' नामक परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए पांच वर्षों के लिए 148-83 करोड़ रु. की सहायता अनुदान को स्वीकृति प्रदान की है। आईटीआरए ने 22-12-2010 के स्वीकृति आदेश पत्रांक 1(1)/2010-ITRA के तहत प्रथम रिलीज की तारीख से अपना काम करना शुरू कर दिया था। लागत में कोई बढ़ोतरी किए बिना आईटीआरए परियोजना की अवधि को दिसंबर, 2018 तक के लिए बढ़ाया गया है।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार :

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों **('GAAP')** के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखें उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोग :

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्ताविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य :

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

(d) मूर्त और अमूर्त अचल परिसंपत्तियाँ :

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अधिगृहीत संपत्तियों का पूंजीकरण संबंधित संस्थाओं से आवधिक अंतराल पर प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों, जिन्हें स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा अंकेक्षित और संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा सत्यापित किया गया है, के आधार पर किया गया है।

अमूर्त परिसंपतियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता है।

(e) मूल्यह्रास/परिशोधन :

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।
सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेश

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

(h) कर्मचारी लाभ :

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना

कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है।

योजनाओं के तहत प्रदत्त/पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) परिभाषित लाभ योजना

उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी उपदान योजना को चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है। प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं।

संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों पर किए गए व्ययः

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों की अग्रिम राशि या तो आय और व्यय के वक्तव्य में वर्णित है या लेखा के वक्तव्य के आधार पर अचल संपत्ति के रूप में पूंजीकृत है, जिन्हें स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा आवधिक अंतराल पर सत्यापित किया गया हैं।

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेन

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

(k) पट्टाकृत संपत्तियाँ

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(l) अनुसंधान और/या विकास व्ययः

अनुसंधान और/या विकास व्यय में कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अनुसंधान एवं विकास, तैनाती एवं कार्यान्वयन कार्यकलाप करने के लिए किए गए सभी व्यय शामिल हैं।

(m) संपत्तियों की हानिः

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(n) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियाँ

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 5 देखे)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	20,063,149		28,028,806	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	11,001,294		26,849,157	
घटा :				
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य	884,684		132	
घटा :		30,179,759		54,877,831
आय एवं व्यय खाते में अंतरितः				
-वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 7 देखें)		20,290,207		34,814,682
कुल		**9,889,552**		**20,063,149**

टिप्पणी 4 – दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 23 देखें)	893,248	815,658
कुल	**893,248**	**815,658**

टिप्पणी 5 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g), 18 और 19 देखें)		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	76,170,266	190,179,343
जमा :		
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित	1,067,167	132
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान :	119,600,000	14,400,000
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज	2,181,573	713,783
घटाः		
भारत सरकार को वापस की गई राशि	-	-
अचल संपत्तियों के लिए आरिक्षत निधि में अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)	11,001,294	26,849,157
परियोजना उपरि व्यय (टिप्पणी 25 देखें)	10,872,727	1,827,725
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 13 देखें)	69,832,473	100,446,110
	107,312,512	76,170,266
(b) अन्य चालू देयताएं (व्ययों के लिए)	1,729,581	7,976,571
(c) अन्य देय		
स्रोत पर कर की कटौती	41,625	134,985
सेवा कर	6,856	28,178
वेतन और प्रतिपूर्तियां	1,056,162	638,673
भविष्य निधि और अन्य कर्मचारी कटौतियां	19,856	30,118
कुल	**110,166,592**	**84,978,791**

टिप्पणी 6 – अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 23 देखें)	75,171	40,399
कुल	**75,171**	**40,399**

टिप्पणी 7 - अचल संपत्तियाँ
(टिप्पणी 2(d), (e), (g) and 20 देखें)

राशि रु. में

संपत्तियों का ब्यौरा	कुल संपत्तियाँ – लागत पर				मूल्यह्रास					शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के लिए	अनुसूची II के कार्यान्वयन के कारण	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2018 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ											
कंप्यूटर उपस्कर	25,409,926	3,278,670	137,226	28,551,370	23,315,468	1,802,756	-	2,576	25,115,648	3,435,722	2,094,458
अनुसंधान उपस्कर	47,995,636	4,234,630	819,531	51,410,735	34,264,514	15,539,905	-	136,494	49,667,925	1,742,810	13,731,122
अन्य कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	2,958,585	3,152,379	110,410	6,000,554	2,348,410	1,407,042	-	43,413	3,712,039	2,288,515	610,175
फर्नीचर और जुड़नार	5,576,635	42,000	-	5,618,635	3,824,354	780,000	-	-	4,604,354	1,014,281	1,752,281
योग	**81,940,782**	**10,707,679**	**1,067,167**	**91,581,294**	**63,752,746**	**19,529,703**	**-**	**182,483**	**83,099,966**	**8,481,328**	**18,188,036**
पिछले वर्ष	55,971,197	25,975,399	5,814	81,940,782	29,419,333	34,339,095	-	5,682	63,752,746	18,188,036	26,551,864
(ii) अमूर्त संपत्तियाँ											
सॉफ्टवेयर	2,622,967	293,615	-	2,916,582	747,854	760,504	-	-	1,508,358	1,408,224	1,875,113
योग	**2,622,967**	**293,615**	**-**	**2,916,582**	**747,854**	**760,504**	**-**	**-**	**1,508,358**	**1,408,224**	**1,875,113**
पिछले वर्ष	1,749,209	873,758	-	2,622,967	272,267	475,587	-	-	747,854	1,875,113	1,476,942
सकल योग	**84,563,749**	**11,001,294**	**1,067,167**	**94,497,876**	**64,500,600**	**20,290,207**	**-**	**182,483**	**84,608,324**	**9,889,552**	**20,063,149**
पिछले वर्ष	57,720,406	26,849,157	5,814	84,563,749	29,691,600	34,814,682	-	5,682	64,500,600	20,063,149	28,028,806
(iii) पूंजीगत चालू कार्य										**497,472**	**971,350**
										10,387,024	**21,034,499**

1) चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटन की आवश्यकतानुसार पिछले वर्ष के आंकड़े पुनःसमूहित/पुनःवर्गीकृत किए गए हैं।

टिप्पणी 8 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
1) प्रतिभूति जमा	15,000	15,000
2) पूंजी अग्रिम	-	-
3) अग्रिम आय कर (tds)	-	-
कुल	**15,000**	**15,000**

टिप्पणी 9 – अन्य गैर चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
अन्य बैंक शेषः:		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 10 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 2 (c) देखें)		
हस्तगत रोकड़	29,286	26,671
बैंकों में शेष	10,439,344	1,687,525
अन्य बैंकों में शेष		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	30,918,946	-
कुल	**41,387,576**	**1,714,196**

टिप्पणी 11 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम		
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2 (i) देखें)	68,937,843	82,885,430
(A)	68,937,843	82,885,430
अन्य ऋण और अग्रिम		
पूर्वदत्त व्यय	297,120	225,715
कर्मचारियों को अग्रिम	-	23,157
अन्य	-	-
(B)	297,120	248,872
कुल	**69,234,963**	**83,134,302**

टिप्पणी 12 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 13 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 5 and 18 देखें)	69,832,473	100,446,110
कुल	**69,832,473**	**100,446,110**

टिप्पणी 14 – अन्य आय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
विविध आय	-	12,857
कुल	**-**	**12,857**

टिप्पणी 15 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
व्यय – भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2(i) देखें)	38,668,746	69,796,522
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	9,196,165	9,798,596
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	112,372	100,809
यात्रा और संप्रेषण	2,240,841	2,272,820
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	1,809,006	2,087,729
व्यवसायिक शुल्क	1,260,395	1,332,982
संचार	770,599	810,590
किराया	8,584,258	8,161,826
रखरखाव	2,514,967	1,612,472
कुल	**65,157,349**	**95,974,346**

टप्पणी 16 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	1,332,653	1,226,996
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	6,090	7,153
कर्मचारी कल्याण	169,129	204,114
कुल	**1,507,872**	**1,438,263**

टिप्पणी 17 – प्रशासन एवं अन्य व्ययय

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन		
- अन्य	1,594,203	1,253,043
कार्यालय व्यय	794,011	831,629
यात्रा और संप्रेषण	338,436	144,472
विधि और व्यवसयिक शुल्क	-	20,650
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक *	44,250	17,175
भर्ती व्यय	210,221	412,965
संचार व्यय	166,777	287,248
विविध व्यय	19,354	79,176
कुल	**3,167,252**	**3,046,358**

* अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
अंकेक्षकों को भुगतान (सेवा कर / जीएसटी सहित)		
a) अंकेक्षक	-	-
b) अन्य सेवाओं के लिए	44,250	17,175
c) व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	-
कुल	**44,250**	**17,175**

18 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान 119,600,000 रु. (पिछले वर्ष 14,400,000 रु.) का सहायता अनुदान प्रदान किया है। अगर अनुमोदित उद्देश्यों के लिए अनुदान सहायता के किसी भाग की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसे MeitY को वापस कर दिया जाएगा। वर्ष के दौरान, सहायता अनुदान जमाओं पर ब्याज के रूप में 2,181,573 रु. (पिछले वर्ष 713,783 रु.) प्राप्त हुए हैं जिसे सहायता अनुदान खाते में जमा कराया गया है।

19 विभाग ने अर्जित / उपार्जित ब्याज को सहायता अनुदान के खाते में उस वर्ष जमा किया है, जिसमें यह बीमांकिक आधार पर अर्जित / उपार्जित हुआ है। ITRA – डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2017–18 के दौरान MeitY को शून्य राशि (पिछले वर्ष शून्य) का ब्याज वापस किया है।

20 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूर्व अनुमति लिए बगैर सहायता अनुदान पर लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों को निपटान या भारग्रस्त नहीं किया जा सकता। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल, उन उद्देश्यों, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, से इतर उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कंपनी का आस्तित्व समाप्त हो रहा है तो ये संपत्तियां इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को लौटा दी जाएंगी, जो संपत्तियों को बेचने या निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगी।

21 आईटी रिसर्च अकादमी ने i) 40 परियोजना टीम सदस्यों से 25,209,375 रु के कुल व्यय, 607,462 रू के प्राप्त ब्याज और 4,499,930 रु की अचल संपत्तियों के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त किया है। ii) 19 परियोजना टीम के सदस्यों से रु 13,459,370 के कुल व्यय, 163,429 रू के प्राप्त ब्याज और 5,434,197 रु की अचल संपत्तियों के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण को प्राधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। बकाया 22,109,136 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 13 परियोजना टीम सदस्यों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए हैं और एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं।
वित्तीय विवरणों को निश्चित संपत्तियों के खर्च और विवरण के इस तरह के विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है।

22 **विदेशी मुद्रा में व्यय**

		31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष (रु)	31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष (रु)
i)	उपस्कर	1,365,102	721,358
	कुल	**1,365,102**	**721,358**

विदेशी मुद्रा व्यय में अकादमिक संस्थानों द्वारा किए गए व्यय शामिल हैं।

23 **कर्मचारी लाभ**

कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार, निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैं:

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

A. अवकाश नकदीकरण

आय एवं व्यय के विवरण में डेबिट किए गए संचयी अवकाश नकदीकरण और संविदागत कर्मचारियों की देयता के लिए 32,696 रु. (पिछले वर्ष 31,922 रु.) के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, किए गए प्रावधान के लिए कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान में 79,666 रु. (पिछले वर्ष 100,596 रु.) शामिल हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कंपनी के लेखों में यथा प्रदर्शित कुल देयता 706,293 रु. (पिछले वर्ष 626,627 रु.) है। कंपनी ने देयता का वित्तपोषण नहीं किया है।

B. **परिभाषित अंशदान योजनाएं**

कंपनी ने भविष्य निधि / पेंशन निधि के लिए 118,462 रु. (पिछले वर्ष 107,962 रु.) स्वीकार किए हैं।

24 वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं शून्य रु. है; (पिछले वर्ष शून्य रु. थी)।

25 परियोजना के विविध और आकस्मिक ऊपरी व्यय वर्ष के दौरान डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन को अंतरित किए गए हैं।

26 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं (पिछले वर्ष शून्य थी)।

27 देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

28 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाए

कंपनी को प्रदायकों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता है :

a) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि b) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज c) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और कद्ध लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम के तहत सप्लायरों की स्थिति में बारे से उनसे पुष्टिकरण हासिल करने के लिए प्रयास कर रही है।

29 कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत जारी लेखांकन मानकों (अर्थात् कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006) से संबंधित सामान्य निर्देशों में यथा परिभाषित लघु और मध्यम कंपनी (SMC) है जो कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के अनुसार लेखांकन मानक माने जाएंगे, ये लेनदेन प्रावधान के रूप में लेखांकन तक माने जाएंगे जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट किया गया है। तदनुसार, कंपनी ने लघु एवं मध्यम कंपनी पर यथा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है।

30 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
सूचना प्रौद्योगिकी अनुसंधान अकादमी (ITRA)

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

टिप्पणी संख्या 1 से 30 के लिए हस्ताक्षर

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 1106293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक : 28 जनवरी 2019

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

परियोजना **‘इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरैया पीएचडी योजना’**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी' के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना

मार्च 31, 2018 को बैलेंस शीट

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	साम्य और देयताएं			
1	शेयरधारकों की निधियां			
	(a) शेयर पूंजी		-	-
	(b) आरक्षित निधि और अधिशेष	3	17,206	49,813
2	गैर–चालू देयताएं			
	(a) दीर्घकालिक प्रावधान	4	1,344,671	1,259,921
3	चालू देयताएं			
	(a) अन्य चालू देयताएं	5	294,977,818	90,353,719
	(b) अल्पकालिक प्रावधान	6	61,615	26,137
	कुल		**296,401,310**	**91,689,590**
II.	संपत्तियां			
1	गैर चालू संपत्तियां			
	(a) अचल संपत्तियां	7		
	(i) मूर्त संपत्तियां		17,206	49,813
	(ii) अमूर्त संपत्तियां		-	-
			17,206	49,813
	(b) दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	8	-	75,514
	(c) अन्य गैर चालू संपत्तियां	9	-	-
2	चालू संपत्तियां			
	(a) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य	10	88,089,944	15,790,469
	(b) अल्पकालिक ऋण और अग्रिम	11	208,294,160	75,773,794
	(c) अन्य चालू संपत्तियां	12	-	-
	कुल		**296,401,310**	**91,689,590**

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां बैलेंस शीट विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

हमने हमारे समक्ष प्रस्तुत किए गए लेखा खातों एवं अन्य अभिलेखों के साथ, और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार उपर्युक्त बैलेंस शीट, 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के विवरण, और मीडिया लैब एशिया (अकेले) के लेखों के संबंधित टिप्पणियों की जांच की है, और हम प्रमाणित करते हैं कि ये सही हैं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी' के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना

31 मार्च, 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय विवरण

	विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
			राशि रु. में	राशि रु. में
I.	सहायता अनुदान (टिप्पणी 2 (g), 5 और 17 देखें)	13	328,726,992	420,266,173
II	**कुल**		**328,726,992**	**420,266,173**
	व्यय :			
	अनुसंधान और विकास व्यय (टिप्पणी 2 (l) देखें)	14	321,579,266	414,311,845
	कर्मचारी लाभ संबंधी व्यय	15	6,037,435	4,276,811
	प्रशासन और अन्य व्यय	16	1,110,291	1,677,517
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय			
	– अनुसंधान संपत्तियों पर		32,607	104,702
	– अन्य संपत्तियों पर		-	-
			32,607	104,702
	घटा : अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधियों से अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)		32,607	104,702
III	**कुल**		**328,726,992**	**420,266,173**
IV.	विशिष्ट और असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (III-IV)		-	-
V.	विशिष्ट मदें		-	-
VI.	असाधारण मदों एवं कर से पहले व्यय की तुलना में आय का आधिक्य (V - VI)		-	-
VII.	असाधारण मदें		-	-
VIII.	करपूर्व व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(VII- VIII)**		-	-
IX.	कर संबंधी व्ययः		-	-
X.	वर्ष के लिए व्यय की तुलना में आय का आधिक्य **(IX-X)**		-	-

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सारांश 2

ऊपर निर्दिष्ट टिप्पणियां आय एवं व्यय विवरण के अभिन्न भाग हैं और इन्हें उसके साथ पढ़ा जाएं।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कपंनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या : 116293W

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या : 146017

प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी' के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

1 पृष्ठभूमि :

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी (NPE 2012) की नीति और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी नीति (NPIT 2012) आने वाले दशकों में वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने, इन ज्ञान सघन क्षेत्रों में शोध, विकास और आईपी सृजन के एक ईको सिस्टम का विकास करने में भारत को समर्थ बनाने के लिए पीएचडी धारकों की संख्या बढ़ाने पर बल देती हैं। NPE 2012, ने अन्य के साथ–साथ इलेक्ट्रानिकी प्रणाली डिजाइन और विनिर्माण और संबंधित फील्ड में 2020 तक हर वर्ष 2500 पीएचडी का सृजन करने का लक्ष्य रखा है। NPIT, 2012 में विशेषज्ञता वाले आईसीटी क्षेत्रों में नवीन शोध को बढ़ावा देने और क्वालिटी डॉक्ट्रॉल और पोस्टडॉक्ट्रॉल स्तर के लिए शोधार्थी तैयार करने के लिए उच्च शिक्षा के संस्थानों में उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने की संकल्पना की गई है। इस योजना के तहत पीएचडी डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान को सहायता प्रदान की जाएगी।

अकादमिक वर्ष 2014–15 से योजना के तहत पीएचडी उम्मीदवारों के चयन के लिए इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना की अवधि पांच वर्ष होगी। बहरहाल, योजना अवधि के दौरान पहले की वचनबद्धताओं के लिए वित्तपोषण 9वें वर्ष तक जारी रहेगा।

ईलेक्ट्रानिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 27-06-2014 के प्रशासनिक पत्रांक 1(5)2012HRD(Vol.IV) के तहत इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी के लिए **विश्वेश्वरय्या** पीएचडी योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का उद्देश्य 5 वर्षों के दौरान ESDM और IT/ITES में 1500 पीएचडी का सृजन करना है। इस योजना के लिए 9 वर्षों के लिए 466 करोड़ रु. (संशोधित) के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 (अब कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8) के तहत पंजीकृत है, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार को सचिवीय, प्रबंधकीय सहायता और संस्थागत प्रणाली के निर्माण में मदद करेगा।

2 महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां :

(a) वित्तीय विवरण तैयार करने के आधार :

वित्तीय विवरण कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (GAAP) के अनुसार तैयार किए जाते हैं। लेखें उपचय आधार पर ऐतिहासिक लागत परिपाटी और वर्तमान व्यापार अनुमानों के आधार पर तैयार किए गए हैं। नए जारी लेखांकन मानकों को अपनाने के कारण हुए बदलावों या मौजूदा लेखांकन मानकों की पुनरीक्षा की गई है, जो यहां इसमें प्रयुक्त लेखांकन नीति में परिवर्तन के लिए अपेक्षित थे, को छोड़कर लेखांकन नीतियों का निरंतर प्रयोग किया गया है।

(b) प्राक्कलनों का प्रयोग :

GAAP के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को प्राक्कलन और धारणाएं तैयार करनी अपेक्षित होती हैं जो वित्तीय विवरणों की तारीख पर परिसंपत्तियों और देयताओं की सूचित राशियों तथा सूचित अवधि के दौरान राजस्व एवं व्यय की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। वास्ताविक परिणाम इन प्राक्कलनों से भिन्न हो सकते हैं। प्राक्कलनों के आसपास की परिस्थितियों में बदलाव के बारे में जानने के बाद प्रबंधन प्राक्कलनों में उचित बदलाव करते हैं। प्राक्कलनों में किए गए बदलाव उस अवधि के वित्तीय विवरणों में दर्शाए जाते हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं और अगर ये महत्वपूर्ण हैं तो इनका प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाता है।

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन
'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी' के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

(c) रोकड़ और रोकड़ समतुल्य :

रोकड़ में हस्तगत रोकड़ और बैंक में मांग जमाराशियां शामिल हैं। रोकड़ समतुल्य अल्पकालिक शेष (अर्जन की तारीख से तीन माह या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले), उच्च तरलता वाले निवेश है जो रोकड़ की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तित किए जाते हैं और जो मूल्य में बदलाव के अमहत्वपूर्ण जोखिम के अधीन हैं।

(d) मूर्त और अर्मूत अचल परिसंपत्तियां :

अचल परिसंपत्तियों को ऐतिहासिक लागत घटा संचयी मूल्यह्रास/परिशोधन और हानियां, यदि कोई हो, पर दर्शाया जाता है। लागत में उधार लेने की लागत, आवक भाड़ा, चुंगी, कर और परिसंपत्तियों को उनके वांछित इस्तेमाल के लिए चालू हालत में लाने के लिए परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और संस्थापना के संबंध में किए गए आकस्मिक व्यय शामिल हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अधिगृहीत संपत्तियों का पूंजीकरण संबंधित संस्थाओं से आवधि के अंतराल पर प्राप्त होने वाले प्रतिवेदनों, जिन्हें स्वतंत्र लेखाकारों द्वारा अंकेक्षित और संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा सत्यापित किया गया है, के आधार पर किया गया है।

अमूर्त परिसंपतियां, इनको अधिगृहीत करने पर किए गए व्यय के आधार पर रिकार्ड की जाती हैं और इन्हें लागत घटा संचयी परिशोधन और हानियों पर दर्शाया जाता है।

(e) मूल्यह्रास/परिशोधन :

पट्टाकृत परिसरों के अलावा, अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास, संपत्ति को उपयोग में लाने की तारीख से उसकी अनुमानित उपयोगी आयु पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर मुहैया कराया गया है। कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के तहत विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार कंपनी ने अपनी अचल संपत्तियों की अनुमानित उपयोगी आयु का आकलन किया है और अनुसूची II के अनुसार उपयोगी आयु को अपनाया है। 5000 रु. या इससे कम मूल्य वाली संपत्ति को उनके प्राप्त करने के वर्ष के दौरान पूरा अवमूल्यन किया गया है। पट्टाकृत परिसरों का परिशोधन पट्टे की प्राथमिक अवधि के दौरान सीधी रेखा पद्धति पर किया गया है।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सहित अचल संपत्तियों का परिशोधन पांच वर्ष या अनुमानित उपयोगी आयु, इनमें से जो भी कम हों, के दौरान सीधी रेखा पद्धति के आधार पर किया गया है।

सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का पूंजीकरण किया गया है और समतुल्य राशि अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित की गई है। तदनुसार, ऐसी अचल संपत्तियों के विलोपन अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से समायोजन के द्वारा किया जाता है।

(f) निवेश :

गैर–चालू निवेशों के तहत शामिल दीर्घकालिक निवेश, ऐसे निवेश के मूल्य में अस्थायी से इतर, लागत घटा कमी के लिए प्रावधान पर किए जाते हैं। चालू निवेश कम लागत पर किए जाते हैं और शुद्ध मूल्य और परिणामी कमी, यदि कोई हों, राजस्व से प्रभारित किया जाता है। लागत में दलाली, शुल्क और चुंगी जैसे अधिग्रहण प्रभार शामिल हैं।

(g) सहायता अनुदान :

वर्ष के दौरान, व्यय के लिए इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान को किए गए व्यय की सीमा तक आय एवं व्यय लेखा में अंतरित किया गया है। अचल संपत्तियों को खरीदने में इस्तेमाल किए गए सहायता अनुदान के भाग को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि में अंतरित किया गया है। सहायता अनुदान से खरीदी गई अचल संपत्तियों पर वर्ष के दौरान प्रभारित मूल्यह्रास की समतुल्य राशि को अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि से आय एवं व्यय विवरण में अंतरित किया गया है और मूल्यह्रास प्रभार में घटाया गया है। अनुमोदित सहायता अनुदान के अप्रयुक्त भाग को देयता के रूप में माना गया है।

(h) कर्मचारी लाभ :

(i) अल्पकालिक कर्मचारी लाभ :
अल्पकालिक कर्मचारी लाभ के रूप में वर्गीकृत सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ देयताएं, सेवाएं प्रदान करने के 12 माह के अंदर पूर्णतया देय होती हैं। ऐसे लाभों के अनुमान लगाए जाते हैं और उस अवधि के लिए दिए जाते हैं, जिसमें कर्मचारी ने संबंधित सेवा प्रदान की है।

(ii) परिभाषित अंशदान योजना :
कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी परिभाषित अंशदान योजना के जरिये भविष्य निधि के तहत लाभ प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जिसमें कर्मचारी और कंपनी, दोनों कर्मचारी के मूल वेतन के निर्दिष्ट प्रतिशत पर हर माह अंशदान करते हैं। ये अंशदान सरकार द्वारा अनुमोदित भविष्य निधि में किए जाते हैं। सरकार द्वारा नियमित उक्त भविष्य निधि योजना में अंशदान एक परिभाषित अंशदान योजना है। योजनाओं के तहत प्रदत्त/पेय अंशदान उस अवधि के दौरान स्वीकार किए जाते हैं जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

(iii) परिभाषित लाभ योजना :
उपदान (वित्तपोषित) मुहैया कराने की लागतें निर्धारित करने में प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर किए गए वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्याशित यूनिट क्रेडिट पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी ने अपनी उपदान योजना को चलाने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से एक समझौता किया है।
प्रत्येक पात्र कर्मचारी के लिए उपदान की अधिकतम राशि आयकर नियमों के तहत निर्दिष्ट सीमाओं के अध्यधीन है।

(iv) दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ :
दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ जैसे अवधि के दौरान स्वीकार की गई क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर हैं।

संविदागत कर्मचारियों के संबंध में अवेलमेंट सहित अवकाश नकदीकरण के प्रावधान उपार्जित है और संबधित कर्मचारी के साथ किए गए संविदा के अनुसार पूर्ण देयता आधार पर तुलन पत्र की तारीख पर कर्मचारी की बची संचयी छुट्टियों के आधार पर प्रदान किए जाते हैं।

(i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों पर किए गए व्ययः

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य संगठनों की अग्रिम राशि या तो आय और व्यय के वक्तव्य में वर्णित है या लेखा के वक्तव्य के आधार पर अचल संपत्ति के रूप में पूंजीकृत है, जिन्हें स्वतंत्र अंकेक्षकों द्वारा अंकेक्षित या संबंधित संगठनों के प्रमुखों द्वारा आवधिक अंतराल पर सत्यापित किया गया हैं।

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

(j) विदेशी मुद्रा लेनदेन :

विदेशी मुद्रा लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है। वर्ष के दौरान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण मुद्रा में घट–बढ़ को उसी अवधि के आय एवं व्यय विवरण में आय या व्यय के रूप में दर्शाया जाता है।

विदेशी मुद्रा संपत्तियां और देयताएं वर्ष के अंत की दरों पर परिवर्तित की जाती हैं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मुद्रा में घट–बढ़ को आय एवं व्यय के विवरण में दिखाया जाता है। विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत पर की गई गैर–मौद्रिक मदों को लेनदेन की तारीख पर विनिमय दर पर दर्शाया जाता है।

(k) पट्टाकृत संपत्तियां :

पट्टे पर ली गई संपत्तियां, जिनमें जोखिमों का बड़ा हिस्सा और स्वामित्व का रिवार्ड्स पट्टाकार के पास रहता है, प्रचालन पट्टे के रूप में वर्गीकृत की जाती हैं। पट्टाकृत संपत्तियों के किराये और अन्य सभी व्यय राजस्व व्यय माने जाते हैं।

(l) अनुसंधान और/या विकास व्यय :

अनुसंधान और/या विकास व्यय में कंपनी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठनों द्वारा अनुसंधान एवं विकास, तैनाती एवं कार्यान्वयन कार्यकलाप करने के लिए किए गए सभी व्यय शामिल हैं।

(m) संपत्तियों की हानि :

प्रबंधन तुलन पत्र की तारीख पर इस बात का आकलन करता है कि क्या कोई ऐसा संकेत है कि किसी संपत्ति में हानि हो सकती है। अगर ऐसे कोई संकेत होते हैं तो इसकी वसूलीयोग्य राशि का अनुमान लगाता है (अर्थात् संपत्ति के निवल विक्रय मूल्य और प्रचलित मूल्य से अधिक)। संपत्तियों की वसूली योग्य राशि या रोकड़ जनरेटिंग यूनिट, जिससे संपत्ति संबंधित है, की वसूली योग्य राशि, वाहक राशि से कम है तो वाहक राशि को इसकी वसूली योग्य राशि में से घटाया जाता है। इस कटौती को हानि माना जाता है और इसे आय एवं व्यय विवरण में दर्शाया जाता है। अगर तुलन पत्र की तारीख पर यह संकेत है कि पूर्व में आकलित हानि अब मौजूद नहीं है तो वसूली योग्य राशि का पुनःआकलन किया जाता है और राशि को अधिकतम ह्रासयोग्य ऐतिहासिक लागत के अध्यधीन ऐसी वसूली योग्य राशि पर दर्शाया जाता है। हानि का ऐसा विपर्यय, यदि किया जाता है, तो विपर्यय को हानि को स्वीकार करने के बाद होने वाली घटना से निष्पक्षता से जोड़ सकते हैं।

(n) प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्तियां :

कंपनी प्रावधान तब स्वीकृत करती हैं जब पिछली घटना के परिणामस्वरूप कानूनी और रचनात्मक दायित्व होता है, जिसके लिए यह संभावना होती है कि रोकड़ बहिर्प्रवाह अपेक्षित होगा और दायित्व की राशि का विश्वसनीय अनुमान तैयार किया जा सकेगा। आकस्मिक देयताएं तब प्रकट होती हैं जब कंपनी के पास संभावित या मौजूदा दायित्व हों और यह संभावना है कि रोकड़ का बरिर्प्रवाह अपेक्षित नहीं होगा या विश्वसनीय प्राक्कलन संभव नहीं है। संसाधनों के संभावित बहिर्प्रवाह के सबंध में संभावित दायित्व या मौजूदा दायित्व दूर हैं तो कोई प्रावधान या प्रकटन नहीं किया जाता है।

आकस्मिक संपत्तियां न तो स्वीकार की जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं। प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक संपत्तियों की प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है।

टिप्पणी 3 – आरक्षित निधियां और अधिशेष
(टिप्पणी 2(g) and 5 देखे)

विवरण	31 मार्च, 2018		31 मार्च, 2017	
	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में	राशि रु. में
अचल संपत्तियों के लिए आरक्षित निधि				
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	49,813		128,616	
जमा :				
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का अंतरण	-		25,899	
घटा :				
वर्ष के दौरान विलोपन का अवलेखित मूल्य	-		-	
		49,813		154,515
घटा :				
आय एवं व्यय खाते में अंतरितः		32,607		104,702
-वर्ष के लिए मूल्यह्रास (टिप्पणी 7 देखें)				
कुल		**17,206**		**49,813**

टिप्पणी 4 – दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 24 देखें)	1,344,671	1,259,921
कुल	**1,344,671**	**1,259,921**

टिप्पणी 5 – अन्य चालू देयताएं

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
(a) सहायता अनुदान खाता (टिप्पणी 2(g), 17 और 18 देखें)		
पिछली बैलेंस शीट के अनुसार	89,271,288	432,924,789
जमा :		
अचल संपत्तियों के विलोपन संबंधी आरक्षित निधि से अंतरित	532,967,950	69,187,000
वर्ष के दौरान प्राप्त सहायता अनुदान :		
वर्ष के दौरान सहायता अनुदान पर अर्जित ब्याज	3,009,890	8,888,571
घटाः		
भारत सरकार को वापस की गई राशि		-
अचल संपत्तियों के लिए आरिक्षत निधि में अंतरित (टिप्पणी 3 देखें)	-	25,899
संस्थागत उपरि व्यय (टिप्पणी 25 देखें)	2,311,000	1,437,000
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सूचना प्रणाली उपरि व्यय	-	-
आय एवं व्यय खाते में अंतरित (टिप्पणी 13 देखें)	328,726,992	420,266,173
	294,211,136	89,271,288
(b) अन्य चालू देयताएं (व्ययों के लिए)	256,508	490,361
(c) अन्य देय		
स्रोत पर कर की कटौती	64,654	86,147
सेवा कर	-	18,712
वेतन और प्रतिपूर्तियां	363,005	419,481
भविष्य निधि और अन्य कर्मचारी कटौतियां	82,515	67,730
कुल	**294,977,818**	**90,353,719**

टिप्पणी 6 – अल्पकालिक प्रावधान

विवरण	31 मार्च, 2018	31 मार्च, 2017
	राशि रु. में	राशि रु. में
कर्मचारी कल्याण के लिए प्रावधान		
अवकाश नकदीकरण (टिप्पणी 2 (h) और 24 देखें)	61,615	26,137
कुल	**61,615**	**26,137**

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

'इलेक्ट्रॉनिकी और आईटी' के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना

टिप्पणी 7 - अचल संपत्तियाँ

(टिप्पणी 2(d), (e), (g) and 19 देखें)

Amount in Rupees

संपत्तियों का ब्यौरा	कुल संपत्तियाँ – लागत पर				मूल्यह्रास					शुद्ध कुल संपत्तियाँ	
	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के दौरान परिग्रहीतियाँ	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2018 को	1 अप्रैल, 2017 को	वर्ष के लिए	अनुसूची II के कार्यान्वयन के कारण	वर्ष के दौरान कटौतियां	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2018 को	31 मार्च, 2018 को
(i) मूर्त संपत्तियाँ											
कंप्यूटर उपस्कर	750,894	-	-	750,894	718,847	19,565	-	-	738,412	12,482	32,047
कार्यालय उपकरण	102,352	-	-	102,352	84,586	13,042	-	-	97,628	4,724	17,766
योग	**853,246**	**-**	-	**853,246**	**803,433**	**32,607**	**-**	**-**	**836,040**	**17,206**	**49,813**
पिछले वर्ष	827,347	25,899		853,246	698,731	104,702	-	-	803,433	49,813	128,616

टिप्पणी 8 – दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया		
1) प्रतिभूति जमा	-	25,000
2) पूंजी अग्रिम	-	-
3) अग्रिम आय कर (tds)	-	50,514
कुल	**-**	**75,514**

टिप्पणी 9 – अन्य गैर चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
<u>अन्य बैंक शेषः:</u>		
सावधि जमा राशियां 12 माह से अधिक की परिपक्वता अवधि सहित	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 10 – रोकड और रोकड़ समतुल्य

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
<u>रोकड़ और रोकड़ समतुल्य (टिप्पणी 2 (c) देखें)</u>		
हस्तगत रोकड़	5,000	5,000
बैंकों में शेष	88,084,944	15,785,469
<u>अन्य बैंकों में शेष</u>		
3 माह से कम अवधि की परिपक्वता वाली बैंक जमाएं	-	-
कुल	**88,089,944**	**15,790,469**

टिप्पणी 11 – अल्पकालिक ऋण और अग्रिम

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
<u>रोकड़ या अन्य रूप में वसूली योग्य अग्रिम</u>		
<u>अप्रतिभूति, जिन्हें अच्छा माना गया</u>	-	-
भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और अन्य संगठन (टिप्पणी 2 (i) देखें)	208,177,584	75,718,226
(A)	208,177,584	75,718,226
<u>अन्य ऋण और अग्रिम</u>		
पूर्वदत्त व्यय	116,576	55,568
(B)	116,576	55,568
कुल	**208,294,160**	**75,773,794**

टिप्पणी 12 – अन्य चालू संपत्तियां

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
बैंक सावधि जमाराशियों पर अर्जित ब्याज	-	-
कुल	**-**	**-**

टिप्पणी 13 – सहायता अनुदान

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
सहायता अनुदान खाते से अंतरित (टिप्पणी 2(g), 5 और 17 देखे)	328,726,992	420,266,173
कुल	**328,726,992**	**420,266,173**

टिप्पणी 14 – अनुसंधान और विकास व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
आईआईटी और अन्य संगठनों को पीएचडी वित्तीय सहायताः फैलोशिप, किराया, उपभोग्य और ओवरहेड्स की प्रतिपूर्ति	311,561,359	402,592,663
वेतन भत्ते और अन्य लाभ	7,128,193	8,010,181
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	212,831	195,336
यात्रा और संप्रेषण	510,156	1,436,922
अनुसंधान कार्यशाला और सम्मेलन	1,814,608	1,650,711
संचार	183,814	402,575
रखरखाव	168,305	23,457
कुल	**321,579,266**	**414,311,845**

टप्पणी 15 – कर्मचारी लाभ व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
वेतन, भत्ते और अन्य लाभ	5,640,314	3,911,298
भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	334,496	296,026
कर्मचारी कल्याण	62,625	69,487
कुल	**6,037,435**	**4,276,811**

टिप्पणी 16 – प्रशासन एवं अन्य व्यय

विवरण	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
मरम्मत एवं रखरखाव		
- भवन		
- अन्य	-	411,751
कार्यालय व्यय	725,436	840,805
यात्रा और संप्रेषण	268,820	164,153
अंकेक्षकों का पारिश्रमिक *	44,250	17,175
भर्ती व्यय	3,000	89,562
संचार व्यय	63,722	78,300
विविध व्यय	5,063	75,771
कुल	**1,110,291**	**1,677,517**

* अंकेक्षकों का पारिश्रमिक	31 मार्च, 2018 राशि रु. में	31 मार्च, 2017 राशि रु. में
अंकेक्षकों को भुगतान (सेवा कर / जीएसटी सहित)		
a) अंकेक्षक	-	-
b) अन्य सेवाओं के लिए	44,250	17,175
c) व्ययों की प्रतिपूर्ति	-	-
कुल	**44,250**	**17,175**

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

17 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय (MeitY), भारत सरकार ने दिनांक 11.05.2017, 06.07.2017, 01.01.2018, 16.3.2018 और 23.03.2018 के स्वीकृति पत्र के तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2017-18 के दौरान 532,967,950 रु. (पिछले वर्ष 69,187,000 रु.) क सहायता अनुदान प्रदान किया है। अगर अनुमोदित उद्देश्यों के लिए अनुदान सहायता के किसी भाग की जरूरत नहीं पड़ती है तो इसे MeitY को वापस कर दिया जाएगा। सहायता अनुदान जमाओं पर ब्याज के रूप में 3,009,890 रु. (पिछले वर्ष 8,888,571 रु) प्राप्त हुए हैं जिसे सहायता अनुदान खाते में जमा कराया गया है।

18 विभाग ने अर्जित/उपार्जित ब्याज को सहायता अनुदान के खाते में उस वर्ष जमा किया है, जिसमें यह बीमांकिक आधार पर अर्जित/उपार्जित हुआ है। वर्ष 2017–18 के दौरान ''इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी योजना'' ने शून्य रु. (पिछले वर्ष शून्य रु.) राशि का ब्याज MeitY को वापस किया है।

19 इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से पूर्व अनुमति लिए बगैर सहायता अनुदान पर लागू नियम एवं शर्तों के अनुसार, सहायता अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों को निपटान या भारग्रस्त नहीं किया जा सकता। इन परिसंपत्तियों का इस्तेमाल, उन उद्देश्यों, जिनके लिए स्वीकृति प्रदान की गई है, से इतर उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कंपनी का आस्तित्व समाप्त हो रहा है तो ये संपत्तियां इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को लौटा दी जाएंगी, जो संपत्तियों को बेचने या निपटान करने के लिए स्वतंत्र होगी।

20 इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वेश्वरय्या पीएचडी येाजना ने i) 58 संस्थानों से 186,465,928 रु के कुल व्यय और 775,372 रू के प्राप्त ब्याज के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण प्राप्त किया है। ii) 32 संस्थानों से रु 125,095,432 के कुल व्यय और 478,520 रू के प्राप्त ब्याज के सकल बही मूल्य का लेखापरीक्षित विवरण को प्राधिकृत कर्मियों द्वारा प्रमाणित किया गया है और ये खाते संबंधित संस्थानों के चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन हैं। बकाया 27,884,530 रु के कुल पुष्टिकरण / उपयोगीयता प्रमाण पत्र 33 संस्थानों से प्राप्त नहीं हुए हैं, जो कि 'ऋण और अग्रिम' के तहत दिखाए गए हैं और जो एक वर्ष से अधिक समय से बकाया हैं।

वित्तीय विवरण व्ययों के ऐसे विवरण और अचल परिसंपत्तियों के विवरण के आधार पर तैयार किए गए हैं।

21 वर्ष के अंत में पूंजी और वचनबद्धताएं शून्य हैं।

22 वर्ष के अंत में आकस्मिक देयताएं शून्य हैं।

23 विदेशी मुद्रा में व्यय शून्य रु. है।

24 **कर्मचारी लाभः**

कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006 के अनुसार, निम्नलिखित प्रकटन किए गए हैंः

A. अवकाश नकदीकरण

आय एवं व्यय के विवरण में डेबिट किए गए संचयी अवकाश नकदीकरण और संविदागत कर्मचारियों की देयता के लिए 13,828 रु. (पिछले वर्ष 10,979 रु.) के संबंध में बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, किए गए प्रावधान के लिए कर्मचारियों को भुगतान और प्रावधान में 134,056 रु. (पिछले वर्ष 238,690 रु.) शामिल हैं। बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार और कंपनी के लेखों में यथा प्रदर्शित कुल देयता 1,254,501 रु. (पिछले वर्ष 1,120,445 रु.) है। कंपनी ने देयता का वित्तपोषण नहीं किया है।

31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के खातों के अंश का सारांश

B. परिभाषित अंशदान योजनाए

कंपनी ने भविष्य निधि / पेंशन निधि के लिए 523,706 रु. (पिछले वर्ष 491,362 रु.) स्वीकार किए हैं।

25 परियोजना के संस्थागत अतिरिक्त व्यय, वर्ष के दौरान डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन जो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के लिए विश्वश्वर्या पीएचडी योजना की कार्यान्वयन एजेंसी है, को अंतरित किए गए हैं।

26 देनदारों और लेनदारों के साथ शेष पुष्टिकरण, संतुलन और तत्संबंधी समायोजनों, यदि कोई हों, के अधीन हैं।

27 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बकाया

कंपनी को सप्लायरों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत उनकी स्थिति के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए इस संबंध में प्रकटन निम्नानुसार किया जाता हैः

a) लेखांकन वर्ष के अंत में सप्लायरों को देय और बकाये की राशि b) वर्ष के दौरान अदा किया गया ब्याज c) लेखांकन वर्ष के अंत में देय ब्याज और d) लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और अदत्त ब्याज नहीं दिया गया है।

कंपनी अधिनियम के तहत अपनी स्थिति के संबंध में आपूर्तिकर्ताओं से पुष्टि प्राप्त करने के प्रयास कर रही है।

28 कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत जारी लेखांकन मानकों (अर्थात् कंपनी (लेखांकन मानक) नियमावली, 2006) से संबंधित सामान्य निर्देशों में यथा परिभाषित लघु और मध्यम कंपनी (SMC) है जो कंपनी (लेखें) नियमावली, 2014 के नियम 7 के अनुसार लेखांकन मानक माने जाएंगे, ये लेनदेन प्रावधान के रूप में लेखांकन तक माने जाएंगे जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 में निर्दिष्ट किया गया है। तदनुसार, कंपनी ने लघु एवं मध्यम कंपनी पर यथा लागू लेखांकन मानकों का पालन किया है।

29 पिछले वर्ष के आंकड़ों को चालू वर्ष के वर्गीकरण / प्रकटन के अनुरूप जहां कहीं आवश्यक था, वहां पुनर्समूहित / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

टिप्पणी संख्या 1 से 29 के लिए हस्ताक्षर।

कृते ए. पी. संजगिरि एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
फर्म पंजीकरण संख्या 1106293W

सी.ए. अंकुश गोयल
साझेदार
सदस्यता संख्या 146017

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

कृते डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

प्रबंध निदेशक और सीईओ

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 जनवरी 2019

डिजिटल डिजाइन बनाने के लिए चिक™ कैड सॉफ्टवेयर को सीखती हुई एक महिला कारीगर

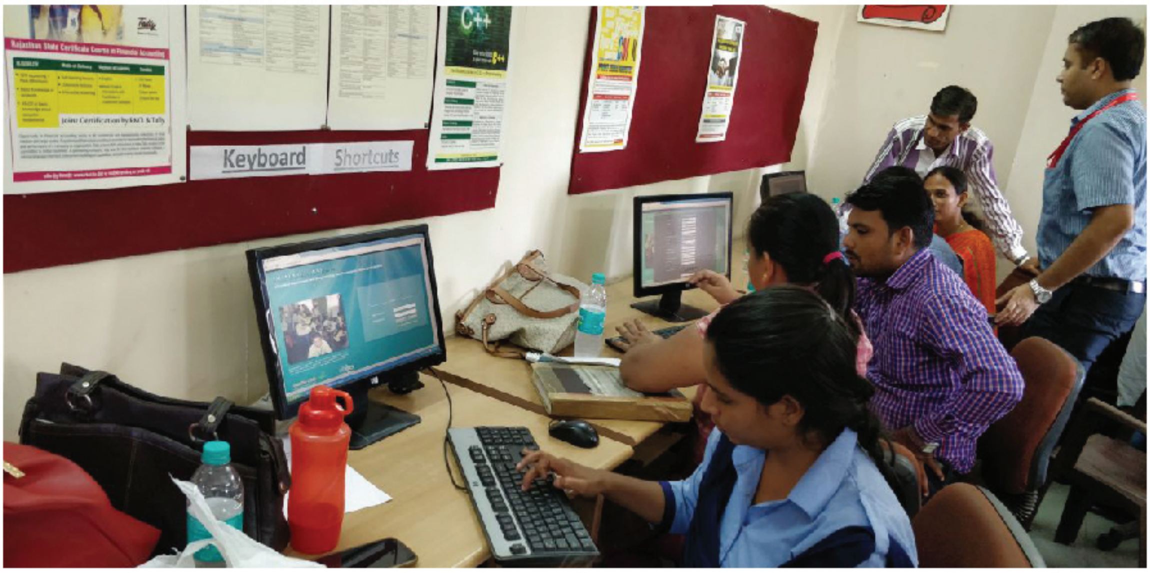

जयपुर, राजस्थान में राज्य सरकार के सहयोग से पुनर्ज्जनी™ पर प्रशिक्षण कार्यशाला

उमंग एकेपीएस मोबाइल ऐप के माध्यम से कृषि–विशेषज्ञ को भेजने हेतु अपनी फसल का चित्र लेता हुआ किसान

दृश्य वाणी प्रशिक्षण प्रणाली का क्षेत्र परिनियोजन

fMftVy bfM;k d,ikjs'ku

ijh—r dk;kZy;% fMftVy bfM;k d,ikjs'ku] lef) opj ikdZ]
lVy ,e-vkbZ-Mh-lh- jksM] #2] pkSFkh eftay] v/ksjh ¼iwoZ½] ecbZ & 400093 ¼Hkkjr½
VyhQksu% +91-22-28312930/31] QSDl% +91-22-28379158
bZesy% ruchi@digitalindia.gov.in   osclkbV% www.medialabasia.in

डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन

पंजीकृत कार्यालयः डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, समृद्धि वेंचर पार्क,
सेंट्रल एम.आई.डी.सी. रोड, #2, चौथी मंजिल, अंधेरी (पूर्व), मुंबई – 400093 (भारत)
टेलीफोनः +91-22-28312930/31, फैक्सः +91-22-28379158
ईमेलः ruchi@digitalindia.gov.in वेबसाइटः www.medialabasia.in